असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

23 जुलाई, 2019

षोडश विधान-सभा 23 जुलाई, 2010 ई0

---------- मंगलवार,तिथि ----------

त्रयोदश सत्र 01 श्रावण,1941(शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय-11.00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है ।

प्रश्नोत्तर काल

(व्यवधान)

अच्छा बैठिये । ये नहीं जायेगा । चलिये अल्पसूचित प्रश्न ।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या- 26 (श्री मिथिलेश तिवारी)

(व्यवधान)

अध्यक्ष: संजय जी, अगर कोई मामला गंभीर है तो इसको आप हल्का यहां क्यों कर रहे हैं ? श्री मिथिलेश तिवारी जी, शिक्षा विभाग ।

श्री मिथिलेश तिवारी: पूछता हूँ ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष: शिक्षा विभाग । चलिये, अब श्री मिथिलेश तिवारी का उत्तर सुनिये ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री: (1)आंशिक स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि प्रयोगशाला उपकरण के संबंध में उक्त सूचना सही है । परन्तु विभागीय पत्रांक 132 दिनांक 19-2-18 के माध्यम से राज्य के 2400 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उपस्करों के क्रय हेतु एक अरब बीस करोड़ की राशि स्वीकृत की गयी थी ।

(2) वस्तुस्थिति यह है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत संचालित 138 उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विरूद्ध 58 विद्यालयों के लिए प्रति विद्यालय पांच लाख रू0 की दर से कुल दो करोड़ नब्बे लाख रू0 का आवंटन उपलब्ध कराया गया था । जहां तक प्रयोगशाला उपकरण का प्रश्न है तो अंकित करना है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत संचालित 139 माध्यमिक विद्यालयों एवं 56 उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विरूद्ध क्रमश: 92 एवं 46 विद्यालयों के लिए ही राशि गोपालगंज जिला को आवंटित की गयी थी । उक्त स्वीकृत राशि से उपस्कर एवं प्रयोगशाला उपकरण क्रय के लिए विद्यालयों को चिन्हित करने के क्रम में

बालिका उच्च विद्यालयों एवं नव उत्क्रमित वैसे उच्च माध्यमिक विद्यालय जिनका विद्यालय भवन का निर्माण पूर्ण हो चुका था, को प्राथमिकता देनी थी । उक्त के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, गोपालगंज के पत्रांक 351 दिनांक 22-7-19 से प्राप्त सूचना के आधार पर प्रश्नगत प्रखंड सिधवलिया स्थित उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय, अमरपुरा जगीरहां सहित उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों में उपस्कर एवं प्रयोगशाला मद में राशि का आवंटन नहीं किया गया । राज्य के अन्य विद्यालयों में उपस्कर एवं प्रयोगशाला उपकरणों की विद्यालयवार आवश्यकता का आकलन किया जा रहा है । इस क्रम में विभागीय पत्रांक 1496 दिनांक 22-7-19 के द्वारा प्रश्नगत विद्यालयों की जांच कराकर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश जिला शिक्षा पदाधिकारी, गोपालगंज को दिया गया है । इस वित्तीय वर्ष में आवश्यक राशि का उपबंध कराकर उपस्कर एवं प्रयोगशाला उपकरण की व्यवस्था की जायेगी ।

श्री मिथिलेश तिवारी: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो आज यहां प्रश्न का जवाब दिया है इसमें अध्यक्ष महोदय, 2 अरब 20 करोड़ रू0 और 1 अरब 20 करोड़ रू0, दो मद में एक विद्यालय के उपस्कर खरीदने के मद में और दूसरा प्रयोगशाला के मद में, महोदय ये इतनी बड़ी राशि दी गयी और उसमें माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, गोपालगंज के डी0ई0ओ0 के माध्यम से जो जवाब आया है ,मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय कि चरवाहा विद्यालय, विशुनपुर जो कुचायकोट प्रखंड में है और उत्क्रमित मध्य विद्यालय, बेदौली, ये दोनों विद्यालय में पैसा चला गया और जिस विद्यालय का मैंने उल्लेख किया है महोदय, दोनों विद्यालय में बैठने का बेंच नहीं है, प्रयोगशाला नहीं है और इन दोनों विद्यालयों को इससे बंचित कर दिया गया । मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जिन विद्यालयों को दिया गया, उसको किस आधार पर दिया गया और जिन विद्यालयों को नहीं दिया गया उसके नहीं देने का कारण क्या था और पूरे राज्य में कितने ऐसे विद्यालय हैं जिनको यह राशि भेजी गयी थी..

अध्यक्ष: अब एक पूरक में चार मत पूछ डालिये ।

श्री मिथिलेश तिवारी: ठीक है महोदय ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया है और हमने कहा है महोदय कि 2400 उच्च माध्यमिक विद्यालय में ही अभी पैसा दिये गये हैं उपकरण के लिए, उपस्कर के लिए, बाकी शेष जो विद्यालय है उसके बारे में

सरकार चिन्तित है, उसके बारे में हम कार्रवाई करेंगे । उसकी भी चर्चा खंड–3 के अंतिम पारा में हमने कहा है कि प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है, प्रतिवेदन आयेगा तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे ।

अध्यक्षः माननीय सदस्य का भी यही कहना है, उन्होंने तो दो विद्यालय में कहा है कि कुछ को गया है तो इसका भी मामला देख कर, इसको कैसे जायेगा, दिखवा लीजिये ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्रीः उसके बारे में तो स्पष्ट निर्देश दिया जा चुका है । जैसे ही प्रतिवेदन प्राप्त होगा कार्रवाई करेंगे ।

श्री मिथिलेश तिवारी : महोदय , इसमें महोदय बड़े पैमाने पर धांधली की गयी है जो पैसे का बंटवारा हुआ है विद्यालयों में महोदय, उसमें जिला शिक्षा कार्यालयों के माध्यम से बड़े पैमाने पर धांधली हुई है और इसमें बहुत बड़ी राशि सरकार ने दी है । मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा...

अध्यक्षः धांधली के बारे में सूचना आप माननीय मंत्री जी को लिखित रूप में दीजियेगा, वे उसकी जांच करायेंगे ।

(व्यवधान)

श्री मो0 नेमतुल्लाहः महोदय, यह पूरे बिहार की स्थिति है..

अध्यक्षः नेमतुल्लाह जी, यह पूरे बिहार का मामला है तो हमने भी पूरे बिहार के परिप्रेक्ष्य में ये बातें कही है । अगर धांधली की बात है तो आप इसकी सूचना माननीय मंत्री जी को दीजियेगा, वह उसकी जांच करायेंगे । अब पूरे बिहार का है तो क्या किया जाय, जांच नहीं करायी जाय ।

<u>अल्पसूचित प्रश्न संख्या– 27(श्री भोला यादव)</u>

अध्यक्षः श्री भोला यादव जी का जवाब दीजिये ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्रीःक्या भोला बाबू का जवाब आपलोगों को नहीं चाहिए । आप सभी लोग एक ही बार खड़े हो जाते हैं । क्या उनसे आपको प्यार नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय,(1)उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(2)उत्तर अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि यद्यपि राज्य के किसी विश्वविद्यालय में योग की पढ़ाई नहीं हो रही है परन्तु राज्य में मुंगेर में बिहार स्कूल ऑफ योगा अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्थान हैं, जहां योग की शिक्षा दी जाती है । इस संस्थान में योग के विभिन्न पाठ्यक्रम संचालित किये जाते हैं ।

(3) बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 के प्रावधानों के अनुसार विश्वविद्यालयों में किसी पाठ्यक्रम के संचालन हेत कुलाधिपति कार्यालय से अध्यादेश निर्गत होने के उपरांत विश्वविद्यालय ही सक्षम प्राधिकार है। राज्य सरकार को विश्वविद्यालय से प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरांत सिर्फ सीट निर्धारण की शक्ति है ।

श्री भोला यादव: महोदय, माननीय मंत्री जी के जवाब से हम सहमत नहीं है । सरकार के पास में इच्छाशक्ति होनी चाहिए । सरकार यदि चाहे तो योग की पढ़ाई करा सकती है । किसी भी विश्वविद्यालय में नहीं है, कामेश्वर सिंह संस्कृत यूनिवर्सिटी जो बना है उसमें आपको बतावें महोदय, इन्हीं सब विद्याओं के लिए उसको ख्याति प्राप्त है और वहां पर यदि सरकार इस योग के विभाग को खोले तो निश्चित रूप से ये गवर्नर साहब मान्यता देंगे लेकिन यदि सरकार की इच्छा नहीं होगी तो थोड़े हो पायेगा । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या माननीय मंत्री जी सरकार के माध्यम से महामहिम महोदय से निवेदन करेंगे कि योग का पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय में शुरू किया जाय ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री:अध्यक्ष महोदय ,लगता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का असर भोला बाबू पर भी थोड़ा थोड़ा होने लगा है और रामदेव बाबा का भी थोड़ा हो रहा है यह अच्छी बात है । महोदय, हमने स्पष्ट उत्तर दिया है कि जो विश्वविद्यालय है..

अध्यक्ष: श्रवण जी, ये मामला योग का है और योग चाहे किसी दल के कोई सदस्य हों या किसी दल के किसी जगह के कोई लोग हैं, सभी के लिए फायदेमंद होता है।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री:नहीं, उधर भोला बाबू का ज्यादा ... ...

श्री भोला यादव: एक मिनट । महोदय माननीय मंत्री जी जो कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी बातें और अन्य बातें, बिहार योग का पहले से ही जन्मस्थली रहा है महोदय और बिहार से ही येाग की शुरूआत हुई है और उसका मिशाल अभी कायम है मुंगेर में । प्रधानमंत्री जी तो आज इस बात को लाये हैं लेकिन बिहार इसके लिए पहले से ही विख्यात रहा है और मैं माननीय मंत्री जी से पुन: आग्रह करूंगा कि इन विषयों को उधर डायभर्ट न कर के यहां पढ़ाई शुरू हो, इसकी दिशा में कदम बढ़ावें और जवाब दें ।

टर्न–2/मधुप/23.07.2019

श्री नन्द किशोर यादव, मंत्री : महोदय, भोला बाबू बिल्कुल सच बोल रहे हैं, ये ठीक कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में योग विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले बिहार में हुई थी । इनको तो मोदी जी को बधाई देना चाहिये कि बिहार के अन्दर जो योग विश्वविद्यालय था, उस योग को अन्तर्राष्ट्रीय योग के रूप में परिवर्तित करने का काम किया, पूरी दुनिया भी योग कर रही है, तो बिहार को माननीय प्रधानमंत्री जी ने सलाम किया है । इनको तो बधाई देना चाहिए ।

श्री भोला यादव : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बधाई ही नहीं, बहुत–बहुत बधाई दे रहा हूँ बशर्ते ये चालू करा दें तब, ये सरकार में हैं चालू कर दें तब ।

अध्यक्ष : अब मंत्री जी को जवाब देने दीजिये ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यू0जी0सी0 एवं राजभवन से इसका सीधा संबंध है । यदि सरकार के पास योग शिक्षा हेतु कोई प्रस्ताव आता है, सरकार पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने के बिन्दु पर विचार करेगी ।

अध्यक्ष : सरकार विचार करेगी । अब तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे ।

श्री भोला यादव : आता है वाला बात नहीं । महोदय, लावें ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : क्या पूरक है ?

श्री समीर कुमार महासेठ : महोदय, मेरा पूरक प्रश्न है । मंत्री जी जवाब में कह रहे थे, मुँगेर को दरभंगा से जोड़ रहे थे.....

अध्यक्ष : कहाँ जोड़ रहे थे ! उन्होंने कहा कि वहाँ व्यवस्था है । जोड़ नहीं रहे हैं ।

श्री समीर कुमार महासेठ : यह भी जान लें कि लालूजी के टाईम में ही....

अध्यक्ष : तारांकित प्रश्न संख्या–1884 : श्री यदुवंश कुमार यादव ।

(व्यवधान)

भोला जी, अब छोड़ दीजिये ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष जी, माननीय भोला यादव जी ने जो विषय उठाया है, हम निश्चित रूप से राज्यपाल महोदय से बात करेंगे, नये राज्यपाल आ रहे हैं । निश्चित तौर पर योग को विषय के रूप में शामिल कराने पर विचार किया जायेगा ।

श्री भोला यादव : महोदय, उप मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने संज्ञान लिया और सरकार से यह अपेक्षा है कि योग विषय को विश्वविद्यालय स्तर की पढ़ाई में शामिल किया जाय।

अध्यक्ष : ....और आसन भी यही चाहता है कि इसी तरह का माहौल बना रहे ।

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, कल माननीय मंत्री विजेन्द्र बाबू ने भोला बाबू के प्रश्न पर कहा था कि राज्य के अन्दर में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि राज्य के छात्रों का हम यहीं पर नियोजन करें.....

अध्यक्ष : कहाँ आप दूसरे सवाल पर आ गये !

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव : जरा सुना जाय, महोदय । कल इनके अस्वीकार करने के बाद आंध्र की सरकार ने 75 फीसदी वहाँ के लोगों के लिए व्यवस्था की है।

तारांकित प्रश्न संख्या-1884 (श्री यदुवंश कुमार यादव)

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : महोदय, 1- आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि विद्यालय में कुल छात्र-छात्राओं की संख्या-1817 है ।

2- आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि विद्यालय में कुल 14 कमरे उपलब्ध हैं । जिसके अन्तर्गत 09 कमरों में पठन-पाठन का कार्य संचालित किया जा रहा है, 03 कमरे जर्जर अवस्था एवं 02 कमरों का निर्माण माननीय विधायक-सह-प्रबंध समिति के अध्यक्ष द्वारा कराया गया है, जो बनकर तैयार है।

विभागीय पत्रांक-1459 दिनांक-20.07.2019 द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेशित किया गया है कि संबंधित कार्यकारी एजेंसी से सम्पर्क कर 02 नवनिर्मित कमरों को विद्यालय प्रशासन को हस्तगत कराने की कार्रवाई सुनिश्चित करें ।

जहाँ तक जर्जर विद्यालय भवन का प्रश्न है, विभागीय पत्रांक-1460 दिनांक-20.07.2019 द्वारा प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि0, पटना से आग्रह किया गया है कि प्रश्नगत विद्यालय का स्थलीय निरीक्षण कराकर छात्र-छात्राओं के अनुपात में अतिरिक्त वर्ग-कक्ष के निर्माण हेतु प्राक्कलन तैयार कर विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराया जाय ।

श्री यदुवंश कुमार यादव : महोदय, यह प्रतिवेदन बिल्कुल गलत है । वहाँ छात्र-छात्राओं की संख्या 2070 है जबकि जवाब में 1200 बताया गया है । महोदय, हम वर्गवार कह देते हैं :-

वर्ग-9 : 600 विद्यार्थी
वर्ग-10 : 750 विद्यार्थी
वर्ग-11 : 360 विद्यार्थी
वर्ग-12 : 360 विद्यार्थी

कुल : 2070 विद्यार्थी हैं और मात्र 07 कमरा ही उपलब्ध है 02 कमरा नया बनाने के बाद, 07 कमरा मात्र है और उसमें 2070 विद्यार्थियों का सामंजन, पठन-पाठन हो रहा है । इसलिये हमने निवेदन करेंगे कि जो मानक है 39 कमरा का, वह पूरा नहीं करता है, इसलिये मानक के अनुसार कमरा निर्माण की माँग हम सरकार से करते हैं ।

अध्यक्ष : प्रश्न सं0 1885 : डॉ0 रामानुज प्रसाद । शिक्षा विभाग ।

(व्यवधान)

आपने तो अनुरोध किया, पूरक पूछा नहीं था । आपके अनुरोध पर मंत्री जी जरूर गौर करेंगे ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जवाब में भी मैंने दिया है कि हमने वहाँ पर भेजा है, जाँच कराकर, जो स्थिति है उसका मूल्यांकन करके प्राक्कलन की भी माँग की गई है । आपका तो सब जवाब दे दिया ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 1885 (डॉ0 रामानुज प्रसाद)

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : महोदय, उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि सारण जिला के दिघवारा प्रखण्डान्तर्गत कुरैया पंचायत के प्राथमिक विद्यालय, विशुनपुर में 04 कमरा था, जिसमें से वर्ष 2016 में आई बाढ़ से 01 कमरा ध्वस्त हो गया है तथा 01 कमरा आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुआ है । शेष 02 कमरा अच्छी स्थिति में है, जिसमें छात्र/छात्राएं पठन-पाठन करते हैं ।

वित्तीय वर्ष 2014-15 के बाद किसी भी वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त वर्ग कक्ष के निर्माण हेतु बजटीय प्रावधान नहीं है, जिसके कारण उक्त विद्यालय में भवन निर्माण का कार्य नहीं कराया जा सका ।

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्राथमिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान), सारण के पत्रांक 237/SS दिनांक-16.02.2019 द्वारा राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, पटना से उपरोक्त विद्यालय के 02 अतिरिक्त वर्ग कक्ष के निर्माण की मॉग की गई है । समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत केन्द्र से राशि प्राप्त होते ही उक्त विद्यालय के 02 अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कराया जायेगा ।

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा के पत्रांक 828 दिनांक-18.07.2019 के द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, बिहार को निदेशित किया गया है कि अपने जिलान्तर्गत ऐसे विद्यालयों, जो जर्जर एवं क्षतिग्रस्त हैं, को चिन्हित करते हुए ऐसे जर्जर कमरों/भवनों में एवं खुले में पठन-पाठन का कार्य संचालित न करायें एवं आवश्यकतानुसार ऐसे विद्यालयों को निकटतम विद्यालयों से संबद्ध कराकर संचालित करायें ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी के द्वारा जो जवाब पढ़वाया गया है या मंत्री जी ने जो जवाब पढ़ा..... (व्यवधान) बिल्कुल । जवाब बनाकर पदाधिकारी भेजा, मंत्री जी ने सदन में पढ़ा....

अध्यक्ष : आप कहॉ इसमें पड़ गये ! पूरक पूछिये ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके यहॉ भेजवा रहा हूँ, यह देखा जाय कि इसमें कैसे बच्चे पढ़ते होंगे, मैं फोटो भी लाया हूँ और याचिका के लिए वहॉ के लोगों ने जो आवेदन भी मुझको भेजवाया है ।

मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर केन्द्र ने सर्व शिक्षा अभियान की राशि काट दी है, डबल इंजन की सरकार हमलोग रोज चिल्ला रहे हैं, इतना महत्वपूर्ण विभाग जो गरीबों को, बच्चों को पढ़ाने का था, उसका पैसा मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि नहीं आ रहा है । 2016 में यह भवन गिरा है, लोग पेड़ के नीचे अपने बच्चों को पढ़वाने के लिये मजबूर हैं, उसमें अगर बच्चे जायेंगे तो कब वह शेष भाग गिरकर लोग मर जायेगा । मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या राज्य सरकार अपने मद से उक्त विद्यालय के क्षतिग्रस्त कमरे हैं या इसके नये भवन का निर्माण कराना चाहती है या नहीं ?

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमने स्वीकार किया है कि भवन क्षतिग्रस्त है लेकिन कुछ कमरे ठीक भी हैं, 02 कमरा अच्छी स्थिति में है, पढ़ाई उसमें चल रही है। माननीय सदस्य की जो चिन्ता है, सरकार भी चिन्तित है और सरकार चाहती है

कि भवनों का निर्माण हो, तो राज्य सरकार अपनी निधि उपलब्धता के आधार पर आवश्यकतानुसार इसके निर्माण की कार्रवाई करेगी ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा पूरक यह है कि उपलब्धता के आलोक में कह रहे हैं, तो कबतक उपलब्धता होगा, माननीय मंत्री महोदय ? आप इस विशेष विद्यालय का, राज्य भर का आप बनवायेंगे लेकिन माननीय अध्यक्ष जी को हमने दिया है, जरा-सा सेक्रेटरी साहब दिखलाइये अध्यक्ष जी को, इस विद्यालय को आप जल्द बनवाने का विचार रखते हैं कि नहीं ? बनवायेंगे तो कबतक ?

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : इतना स्पष्ट उत्तर देने के बाद भी आप संतुष्ट नहीं होइयेगा ! आपको संतुष्ट होना चाहिये । सरकार जब कह रही है कि इसपर ध्यान देंगे, उसपर कार्रवाई करेंगे, बच्चों को पढ़ने के लिए भवन का निर्माण कराया जायेगा, तो आपको संतुष्ट होना चाहिए ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : यह बता दीजिये न कि कबतक बनवायेंगे ?

अध्यक्ष : मंत्री जी, इसको प्राथमिकता के आधार पर देखवा लीजियेगा ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : प्राथमिकता में है, महोदय ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : कबतक ?

अध्यक्ष : कहा है कि प्राथमिकता पर देखेंगे ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : जरा फोटो देखा जाय, अध्यक्ष महोदय ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, माननीय सदस्य ने स्पष्ट कहा, मात्र एक प्राथमिक विद्यालय का । मंत्री जी बता दें कि कबतक बनवायेंगे ।

अध्यक्ष : मंत्री जी ने कहा है कि प्राथमिकता के आधार पर बनवा देंगे ।

टर्न-3/आजाद/23.07.2019

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : इसी वित्तीय वर्ष में बनवा देंगे । चिन्ता मत कीजिए ललित बाबू ।

श्री अवधेश कुमार सिंह : माननीय संसदीय कार्य मंत्री को इसके लिए बधाई ।

अध्यक्ष : यह आगे भी रहेगा या अभी तक ही ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-1886(श्री सुनील कुमार)</u>

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत डुमरा प्रखंड स्थित हरिछपरा पंचायत के मध्य विद्यालय, लोहडीह में 04 वर्ग कक्ष, 02 शौचालय,

01 चापाकल एवं 01 किचेन शेड है । उक्त विद्यालय के 02 वर्ग कक्ष क्षतिग्रस्त हैं, जिसमें शिक्षण कार्य संचालित नहीं होता है । समग्र शिक्षा अभियान अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु राशि अप्राप्त है । केन्द्र से राशि उपलब्ध होते ही भवन निर्माण कार्य कराया जायेगा ।

श्री सुनील कुमार : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने रामानुज बाबू के पूरक जवाब में जो कहा है, उतना ही आश्वासन हमको भी दे दें, इसके अलावे हमको कुछ नहीं पूछना है ।

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : निश्चित रूप से इसी वित्तीय वर्ष में ।

अध्यक्ष : हो गया । मंत्री जी, बराबर सकारात्मक रहते हैं ।

तारांकित प्रश्न सं0-1887(श्री हरिशंकर यादव)

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : महोदय, उत्तर स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी, सिवान के पत्रांक-784 दिनांक 19.07.2019 द्वारा प्राप्त सूचनानुसार प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, रघुनाथपुर के प्रतिवेदन के आधार पर रघुनाथपुर प्रखंड के पंजवार पंचायत में नियोजन इकाई द्वारा दो उर्दू शिक्षकों का नियोजन किया गया था, परन्तु पंचायत नियोजन इकाई के पंचायत सचिव के द्वारा उक्त शिक्षकों के नियोजन एवं वेतन भुगतान संबंधी वांछित कागजात उपलब्ध नहीं कराने के कारण वेतन भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो सकी है ।

जिला शिक्षा पदाधिकारी के उक्त पत्रानुसार जिला कार्यालय द्वारा संबंधित नियोजन इकाई के पंचायत सचिव एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी, रघुनाथपुर से कारण पृच्छा करते हुए भुगतान संबंधी वांछित कागजात की मांग की गयी है जिसके प्राप्त होते ही वेतन भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जायेगी ।

उक्त वर्णित स्थिति में विभागीय पत्रांक-946 दिनांक 22.07.2019 द्वारा संबंधित शिक्षकों का वेतन भुगतान एक सप्ताह के अन्दर करने तथा जिन पदाधिकारियों द्वारा संबंधित शिक्षकों के वेतन भुगतान संबंधी वांछित कागजात उपलब्ध नहीं कराया गया है उनके विरूद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ करने हेतु प्रपत्र 'क' गठित कर सक्षम प्राधिकार को देने हेतु निदेशित किया गया है ।

श्री हरिशंकर यादव : अध्यक्ष महोदय, चार साल से दोनों शिक्षक गांव से चन्दा मांगकर के उनको खिलाते हैं । एक दिन वे खिलाते हैं और एक दिन वो खिलाते हैं । चार

साल से उर्दू शिक्षक वहां पर दो हैं । एक शिक्षक का पंचायत सचिव को पैसा देकर बदली हो गया और दूसरा आता है तो कहता है कि एक लाख रू0 दीजिए तो कहां से वह गरीब आदमी देगा तो इसी कारण से वे चार साल से पढ़ा रहे हैं और अगल-बगल गांव के लोग जहां पर वे डेरा लेकर रहते हैं, उनको खाना खिलाते हैं चन्दा बटोर करके लेकिन आज तक उनको एक पैसा नहीं मिला है । ये लोग क्या-क्या लिखकर मामले को उलझा देते हैं और सब पैसा उनका फंसा हुआ है ।

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के प्रश्न के उत्तर में हमने स्पष्ट रूप से जवाब दिया है कि एक सप्ताह के अन्दर भुगतान करायेंगे और जिन अधिकारियों के चलते उनका भुगतान समय पर नहीं हुआ है, उनपर कार्रवाई भी करेंगे महोदय तो ये कैसा जवाब चाहते हैं माननीय हरिशंकर बाबू ।

श्री हरिशंकर यादव : महोदय, चार साल से वह मर रहा है और उनको वेतन नहीं मिल रहा है।

तारांकित प्रश्न सं0-1888(श्री सरोज यादव)

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : महोदय, आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी, भोजपुर, आरा ने पत्र संख्या-988 दिनांक 20.07.2019 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नाधीन विद्यालय +2 उच्च विद्यालय, धमार में प्रबंधकारिणी समिति का गठन किया जा चुका है ।

10+2 उच्च विद्यालय, ख्वासपुर एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय, पकड़ी में प्रबंधकारिणी समिति के गठन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है ।

उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय, हरकटोला(नथमलपुर) प्रखंड बड़हरा भोजपुर के प्रभारी प्रधानाध्यापक के असामयिक निधन हो जाने के कारण प्रश्नाधीन विद्यालय के दैनिक कार्यों के निष्पादन हेतु, उच्च माध्यमिक विद्यालय, ज्ञानपुर के प्रभारी प्रधानाध्यापक को प्राधिकृत किया गया है, फलस्वरूप विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन में विलम्ब हुआ है । विभागीय पत्रांक-1509 दिनांक 22.07.2019 के द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी, भोजपुर को यह निदेश दिया गया है कि अगले 15 दिनों के अन्दर प्रश्नगत विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन करते हुए विभाग को संसूचित करें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने कह दिया कि 15 दिनों के अन्दर कीजिए ।

श्री सरोज यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास साक्ष्य है, इन्होंने कहा कि कमिटी का गठन कुछ जगह हो गया है, मैं साक्ष्य दे रहा हूँ । महोदय, मैं जब से निर्वाचित हुआ हूँ, लगभग चार साल होने जा रहा है और अभी तक वहां पर कमिटी का गठन नहीं किया गया है। इतना ही नहीं अध्यक्ष महोदय, मैं बार-बार निदेशक, शिक्षा विभाग से मिलने का काम किया, उनसे मिलने के बाद स्पष्ट उन्होंने कहा कि मैं डी0ई0ओ0 पर कार्रवाई कर रहा हूँ, अभी भी मेरे हाथ में लेटर है, इसी माह का लेटर निकला हुआ है । उन्होंने इस लेटर में स्पष्ट लिखा है कि अभी तक अगर प्रबंधकारिणी समिति का गठन नहीं हुआ है तो मैं कार्रवाई करूंगा और उन्होंने मुझे एक सप्ताह का आश्वासन दिया था अध्यक्ष महोदय और लगभग 20 दिन बीतने जा रहा है और अभी तक इसपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है । कंटीन्यू इसी तरह से बरगलाया जाता है अध्यक्ष महोदय और मेरा कार्यकाल मात्र एक साल बच गया है तो इसे हमारे क्षेत्र का विकास बाधित हुआ है 4 साल, इसके लिए कौन दोषी हैं ? मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि इस तरह से कैसे होगा सर ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : हुजूर, हमने कहा कि प्रधानाध्यापक की मृत्यु के कारण .....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : सुनिये न । आप ही लोग बोलिए ।

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : सुनियेगा तब न । अब जमुई चले जाईयेगा तो कहां मिलेगा ? आरा तक रहने दीजिए तब न सुनाई पड़ेगा । अध्यक्ष महोदय, हमने उत्तर में कहा है ....

अध्यक्ष : आपने बहुत सकारात्मक जवाब दिया है । माननीय सदस्य हवाला दे रहे हैं उच्चाधिकारी का, जिसने इनको सूचित किया या संबंधित अधिकारी को निदेश दिया कि एक हफ्ता के अन्दर आप प्रबंधकारिणी समिति का गठन कर दें लेकिन इसके बावजूद भी किसी पदाधिकारी के द्वारा लापरवाही बरती जा रही है निश्चित रूप से इसको देखवा लीजिए और जो पदाधिकारी इस तरह का काम करता है, उसको चिन्हित करके उसपर कार्रवाई होनी चाहिए । एक पदाधिकारी के कारण सरकार की नीति पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है तो ऐसे पदाधिकारियों पर निश्चित कार्रवाई होनी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, इसी तरह का मामला दूसरे जगह भी है ...

अध्यक्ष : देख लेंगे सब जगह । (व्यवधान)

श्री शिवचन्द्र राम : महोदय, इसी तरह का मामला पूरे राज्य का है

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, अन्य जगहों के बारे में भी इसकी सूचना लेकर के हर जगह प्रबंधकारिणी समिति बन जाय, यह सरकार को देखना चाहिए ।

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : ठीक है सर । निदेश दिया जायेगा ।

अध्यक्ष : अब तारांकित सं0-1889 का जवाब दीजिए माननीय मंत्री जी ।

तारांकित प्रश्न सं0-1889(श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह)

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : महोदय, आंशिक स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि बिहार कोचिंग संस्थान(नियंत्रण एवं विनियमन) अधिनियम 2010 अधिसूचित है । इसके तहत कोचिंग संस्थानों के निबंधन के साथ-साथ कोचिंग में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं आवश्यक आधारभूत संरचना के लिए प्रावधान किए गए हैं ।

इस अधिनियम के प्रस्तावना में यह अंकित है कि विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं एवं पाठ्यक्रमों की तैयारी तथा विशिष्ट संस्थानों आदि में प्रवेश हेतु बेहतर शैक्षणिक अनुसमर्थन निजी कोचिंग संस्थानों के द्वारा प्रदान किया जायेगा ।

श्री सरोज यादव : महोदय,महोदय, ...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब क्या संज्ञान लेंगे । बात कहां से कहां चली गई, अधिकारी पर हमने कार्रवाई करने का निदेश दिया, अब क्या संज्ञान लेना है । अगर आप चाहते हैं कि सदन में अव्यवस्था करें तो यह अच्छी बात नहीं है । इनकी बातों का संज्ञान लेकर हमने आसन से निदेश दिया कि ऐसे पदाधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए । अब क्या संज्ञान लिया जाय ।

इस प्रश्न में दूसरा मामला नहीं आयेगा । माननीय मंत्री जी, आप अपना उत्तर जारी रखिए ।

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : कोचिंग संस्थानों के संचालन अवधि के संबंध में उक्त अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है ।

उक्त अधिनियम के प्रावधानों को सम्यक रूप से लागू करने हेतु विभागीय पत्रांक-1318 दिनांक 11.07.2019 के द्वारा सभी जिला पदाधिकारीगण को आवश्यक निदेश निर्गत किए गए हैं ।

अतएव विद्यालय संचालन के समय पर ही कोचिंग संचालन करने वाले संचालकों पर कार्रवाई का विचार तत्काल विचाराधीन नहीं है ।

टर्न-4/शंभु/23.07.19

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में पहले तो कहा है कि स्वीकारात्मक है, फिर कहा है कि आंशिक स्वीकारात्मक है, अगर आंशिक स्वीकारात्मक ही है तो 2010 में जो प्रावधान बना कि ऐसे कोचिंग संचालकों पर कार्रवाई की जायेगी तो अब तक 9 साल के अंदर कितने कोचिंग संचालकों पर कार्रवाई की गयी है ? हम स्पष्ट रूप से जानना चाहते हैं ।

अध्यक्ष : अब यह सूचना अभी होगी तब न ।

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य की जो चिंता है उसको संज्ञान में लेते हैं और उसपर कार्रवाई करेंगे ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : महोदय, एक मिनट । इन्होंने बताया कि अभी 2019 में इसके लिए पुनः पत्र जारी किया गया है तो इसका मतलब है कि 2010 में ये जो कानून बनाया गया या नियम बनाया गया कि कोचिंग संचालकों पर कार्रवाई की गयी तो क्या अभी तक पूरे बिहार में एक भी कोचिंग संचालकों पर कार्रवाई नहीं की गयी ? इसका जवाब दें माननीय मंत्री महोदय ।

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : महोदय, मैं विभाग से मंगवाकर माननीय सदस्य को वितरित कर दूंगा ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-1890(श्रीमती सुनीता सिंह चौहान)(अनुपस्थित)</u>
<u>तारांकित प्रश्न सं0-1891(डा0 फैयाज अहमद)(अनुपस्थित)</u>

<u>तारांकित प्रश्न सं0-1892(श्री सुधांशु शेखर)</u>

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1-आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार अम्बिका टेन प्लस टू उच्च विद्यालय, आमी, सारण के कला संकाय के प्रायोगिक विषयों की परीक्षा में परीक्षार्थियों की संख्या निर्धारित मापदंड से कम रहने के कारण इस विद्यालय के परीक्षार्थियों का प्रायोगिक परीक्षा आयोजित करने हेतु इन्हें यदुनन्दन महाविद्यालय, दिघवारा, सारण के साथ संबद्ध किया गया था ।

2- इन्टरमीडियेट परीक्षाफल प्रकाशन की तिथि 30.03.2019 तक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति किसी भी स्तर से प्रश्नाधीन विद्यालय के परीक्षार्थियों के कला संकाय 2019 के गृह विज्ञान, संगीत एवं मनोविज्ञान विषय के प्रायोगिक परीक्षा निर्धारित परीक्षा केन्द्र द्वारा नहीं लिये जाने की सूचना नहीं दी गयी है । उक्त परीक्षा केन्द्र द्वारा भेजे गये प्रदत्त अंक संबंधी विवरणी के आधार पर परीक्षाफल प्रकाशित किया गया है।

3- दिनांक 22.07.2019 को बोर्ड की बैठक में विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के आलोक में उक्त विद्यालय में कला संकाय के प्रायोगिक विषयों की परीक्षा से वंचित परीक्षार्थियों को सैद्धांतिक विषयों के प्राप्तांक के आधार पर प्रायोगिक परीक्षा में औसत अंक देकर उनका परीक्षाफल घोषित कर दिया गया है । जिसमें सभी परीक्षार्थी उत्तीर्ण हैं ।

4- जिला शिक्षा पदाधिकारी, सारण ने अपने पत्रांक सं0-708, दिनांक-24.04.2019 द्वारा प्राचार्य, यदुनन्दन महाविद्यालय दिघवारा सारण से संदर्भित परीक्षा संचालन नहीं कराये जाने के संबंध में कारणपृच्छा किया है तथा उसकी प्रतिलिपि समिति को भेजी गयी है । तब तक परीक्षाफल प्रकाशित हो चुका था तथा गृह विज्ञान, संगीत एवं मनोविज्ञान विषय के प्रायोगिक परीक्षा में अनुपस्थित रहने के कारण प्रश्नाधीन विद्यालय के परीक्षार्थी असफल (फेल) हो गये । केन्द्राधीक्षक के उक्त लापरवाही के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा केन्द्राधीक्षक से स्पष्टीकरण पूछा गया है ।

5- केन्द्राधीक्षक ने अपने स्पष्टीकरण बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को उपलब्ध कराया है । समीक्षोपरान्त प्राप्त स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा परीक्षा के संबंध में दिये गये निदेश का उल्लंघन करने एवं बिहार विद्यालय परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 में उल्लेखित निदेशों का अनुपालन नहीं करने के आरोप में केन्द्राधीक्षक, प्राचार्य यदुनन्दन महाविद्यालय, दिघवारा सारण के विरूद्ध विधि सम्मत अनुशासनिक एवं कानूनी कार्रवाई करने के लिए कुल सचिव, जयप्रकाश विश्वविद्यालय सारण को अनुशंसा भेजी गयी है ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-1893(श्री मिथिलेश तिवारी)</u>

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : 1-आंशिक स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-232, दिनांक-06.05.2010 के द्वारा प्रश्नगत विद्यालय को 50 लाख रूपये का अनुदान स्वीकृत किया गया था ।

2- आंशिक स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 नं0-4913/15 में दिनांक 30.06.2016 को दिये गये आदेश में यह अंकित किया गया है कि प्रश्नगत महाविद्यालय में नये सिरे से शासी निकाय प्रबंध समिति गठित किये जाएं ताकि निमित्त शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को निर्गत किया जानेवाला अनुदान जो पूर्व से लंबित है उसका निराकरण हो सके । उक्त न्यायादेश के आलोक में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (उच्च माध्यमिक) संबद्धता विनियमावली, 2011 यथा संशोधित 2013 के अध्याय-v(क) के विनियम-17(क) के तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पत्रांक सं0-902/डी-17, दिनांक-15.11.2017 द्वारा प्रश्नगत विद्यालय में शासी निकाय एवं प्रबंध समिति का गठन कर दिया गया है । बिहार सरकार के संकल्प सं0-538, दिनांक-19.05.2009 के कंडिका-(x) के तहत पूर्व में दिये गये अनुदान से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र राज्य सरकार को उपलब्ध कराने के उपरांत ही आगामी वित्तीय वर्ष में अनुदान स्वीकृत किया जाना है । उक्त राशि निकाय एवं प्रबंध समिति के गठन के उपरांत शैक्षणिक सत्र-2008-10 से सत्र-2011-13 तक अनुदान की राशि विमुक्त करने हेतु प्रभारी प्राचार्य, पंडित दीन दयाल उपाध्याय इन्टर महाविद्यालय, खजूरिया, बरौली, गोपालगंज को समिति द्वारा दिनांक 22.04.2019 को पूर्व से राज्य सरकार के द्वारा दिये गये अनुदान से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण प्रतिवेदन समिति कार्यालय में भेजने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है । अभी तक प्रासंगिक महाविद्यालय से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है । याचित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् समीक्षोपरान्त अनुदान निर्गत करने के संबंध में नियमानुसार निर्णय लिया जा सकेगा ।

श्री मिथिलेश तिवारी : अध्यक्ष महोदय, माननीय उच्च न्यायालय, पटना का आदेश मेरे हाथ में है और इसमें माननीय न्यायालय ने स्पष्ट कहा है । यह 30.06.2016 का आदेश है और इसमें स्पष्ट माननीय न्यायालय का आदेश है कि तीन महीने के अंदर ये जितना भी माननीय मंत्री जी ने कहा कि शासी निकाय को हटा दीजिए, नया शासी निकाय बनाइये। महोदय, यह 2016 में ही हो चुका है और लगातार उस विद्यालय के जो अभी नयी शासी निकाय है वह लगातार दौड़ रही है और उनको आज तक अनुदान की राशि उपलब्ध नहीं करायी गयी है । महोदय, पटना उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी अगर विभाग सोया हुआ है, अगर विभागीय

अधिकारी इसका संज्ञान नहीं ले रहे हैं तो माननीय मंत्री जी बतायें कि सरकार इसपर क्या कार्रवाई करेगी ?

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय मिथिलेश तिवारी जी के प्रश्न के उत्तर में हमने विस्तार से चर्चा की है और नयी समिति का भी गठन हो गया है । अभी तक समिति ने एक भी प्रस्ताव समिति के पास उपलब्ध नहीं कराया है, अनापत्ति प्रमाण पत्र जब देंगे- एक बार उनको अनुदान की राशि मिली है और दुबारा लेने के लिए पुनः उनको युटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा तभी उसका भुगतान होगा ।

अध्यक्ष : नयी समिति का गठन हो गया है ?

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : जी । माननीय उच्च न्यायालय ने कहां कहा है कि बिना नियम-कानून के इनको दे दीजिए । माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि इनको मिलना चाहिए और सरकार भी देना चाहती है, लेकिन जब तक युटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं देंगे तो कैसे उनको पैसा मिलेगा ?

अध्यक्ष : मंत्री जी कह रहे हैं.....

श्री मिथिलेश तिवारी : अध्यक्ष महोदय, कमिटी का गठन हो गया, उपयोगिता प्रमाण पत्र भी पहुंच गया, अब जवाब में नयी बात आ रही है कि उपयोगिता प्रमाण पत्र ही नहीं पहुंचा । अध्यक्ष महोदय, यह तो 2015 में ही इस महाविद्यालय पर भिजलेंस का केस हुआ और केस के बाद उसके सचिव का देहान्त हो गया ।

क्रमशः

टर्न-5/ज्योति/23-07-2019

क्रमशः

श्री मिथिलेश तिवारी : उसमें भी अध्यक्ष महोदय, सबसे आश्चर्य की बात है कि उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा है और माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि 3 महीने के अंदर उनको इस मामले को डिसपोज करिये तब भी विभाग ने नहीं किया इसलिए अध्यक्ष महोदय मैं जानना चाहता हूँ कि यदि उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा है और जो प्रबंध कारिणी समिति (व्यवधान) बैठिये न, नेमतुल्लाह साहेब आप जो कहना चाहते हैं कहिये मैं ही कह देता हूं, चिन्ता मत करिये मैं ही उसका अध्यक्ष था विधायक बनने के पहले, गलत केस दर्ज हुआ है सुनिये ऐसे तो जितने विधायक यहाँ बैठे हैं अध्यक्ष महोदय, यह जो कहना चाहते हैं मैं बताता हूं मैं उस समय विधायक नहीं था और अध्यक्ष पर एफ.आई.आर. हुआ और

जितने विद्यालय बिहार में चल रहे हैं, जिसके सभी माननीय सदस्य अध्यक्ष हैं महोदय न अध्यक्ष चेक काटता है और न अध्यक्ष किसी काम में शामिल रहता है लेकिन कई ऐसे, यह मैं ही अकेला नहीं हूँ । कई ऐसे अध्यक्षों पर एफ.आई. आर. कर दिया गया ।..

अध्यक्ष : आप प्रश्न पर ही रहिये, प्रश्न है उन लोगों को अनुदान की राशि विमुक्त करने के संबंध में ।

श्री मिथिलेश तिवारी : अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही जानना चाहता हूँ कि यदि माननीय न्यायालय का आदेश है और उनकी उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा है तो आज तक उनको राशि विमुक्त क्यों नहीं हुई ?

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो नयी कमिटी बनी है उसके द्वारा कोई उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है अगर नयी कमिटी उपयोगिता प्रमाण पत्र देगी तो तीन महीने के अंदर उनको राशि का भुगतान करा दिया जायेगा ।

श्री मो0 नेमतुल्लाह : अध्यक्ष महोदय, अद्यतन स्थिति क्या है विजिलेंस की जो जॉच हुई उसकी रिपोर्ट हुई उसपर क्या हुआ ?

अध्यक्ष : अभी राशि विमुक्त करने की बात है ।

श्री मो0 नेमतुल्लाह : अध्यक्ष महोदय, उसी पर कह रहा हूं कि एफ.आई.आर. हुआ, विजिलेंस केस हुआ ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या 1894 श्री रामचन्द्र सहनी</u>

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, आंशिक रुप से स्वीकारात्मक है । पश्चिमी चंपारण जिला में सर्वश्री तिरुपति सूगर मिल बगहा, सर्वश्री हरिनगर सूगर मिल, हरिनगर, सर्वश्री न्यू स्वदेसी सूगर मिल, नगरकटियागंज, सर्वश्री मझौलिया सूगर इंडस्ट्रीज लि0, मझौलिया, एच.पी.सी.एल. बायोफ्यूवेल सूगर मिल, लौरिया अवस्थित है । उपरोक्त इकाईयों में जलस्राव से उपचार हेतु कोई जल बहिस्राव संयत्र के लिए इन इकाईयों को किसी भी परिस्थिति में अपने बहिस्राव में किसी नदी या जल स्त्रोत में निस्सरित नहीं करने का निदेश है । उपचार व्यवस्था के बावजूद सर्वश्री मझौलिया सूगर इंडस्ट्रीज, मझौलिया तथा सर्वश्री एच.पी.सी.एल. बायोफ्यूवेल लि0, लौरिया द्वारा प्रदूषित बहिस्राव का निस्सरण क्रमशः कोहरा एवं सिकहरना नदी में किए जाने के कारण उक्त इकाईयों द्वारा समर्पित 20-20 लाख रुपये का बैंक गारन्टी जप्त किया गया है । सर्वश्री हरिनगर सूगर मिल, हरनिगर द्वारा भी प्रदूषित बहिस्राव का निस्सरण किए जाने के कारण उन्हें भी 20

लाख रुपये का बैंक गारन्टी जमा करने का निदेश दिया गया है । उक्त अनुपालन नहीं होने पर इकाई के विरुद्ध अग्रतर कार्रवाई की जायेगी । सर्वश्री एच.पी.सी.एल. बायोफ्युवेल लि0, लौरिया को भी पुनः कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है परिषद् द्वारा सभी चीनी मिलों को अपने बहिस्राव का उपचार कर पुनः उपयोग एवं सिंचाई कार्य करने का निदेश दिया गया है ।

श्री रामचन्द्र सहनीः महोदय, कम ही सुन सके हैं लेकिन स्थिति यह है कि मैंने मुख्य रुप से तीन मिल के बारे में चर्चा की है । रामनगर, एक है नरकटियागंज और एक है मंझौलिया तीन मिलों की हमने चर्चा की है । इन तीनों मिलों के पास ट्रीटमेंट प्लान्ट हैं लेकिन कभी भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, केवल उर्जा बचाने के लिए और अपना जो प्रदूषित जल है, जो जहरीला भी है सिकहरना नदी में छोड़ते हैं नतीजा होंता है कि पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चंपारण और मुजफ्फरपुर तक नदी प्रदूषित होती है, लाखों मछुआरे इसमें बेरोजगार हो गए हैं और वहॉ एक उद्योग चलता था सिप उद्योग जिसमें सिप से बटन बनाया जाता था, वह उद्योग भी चौपट हो गया है, खत्म हो गया है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री रामचन्द्र सहनी : मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ और मैंने कल सूचना लिखित और मौखिक रुप से दी है लेकिन इनके जो अफसर होते हैं पौल्युशन कंट्रोल बोर्ड के वे जाते हैं और प्रभावित हो कर चीनी मिलों से वापस आते हैं, कोई कारगर कार्रवाई नहीं होती है तो मैं मंत्री जी से प्रश्न पूछता हूं कि क्या कोई कारगर कार्रवाई के लिए पौल्युशन बोर्ड के अलावा और किसी स्त्रोत से या निकाय से उसकी जॉच करवाना चाहेंगे ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, लगता है कि माननीय सदस्य उत्तर सुन नहीं पाए । मैंने लिखा ही है कि मझौलिया सूगर इंडस्ट्रीज, मझौलिया, तथा सर्वश्री एच.पी.सी.एल. बायोफ्युवेल लौरिया द्वारा प्रदूषित बहिस्राव का निस्सरण कोहरा एवं सिकहरना नदी में किए जाने के कारण यानी पाया गया पौल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा ये दो मिलों द्वारा कोहरा सिकहरना नदी में बहिस्राव किया जा रहा है और उसके आधार पर दोनों इकाईयों का जो बैंक गारन्टी था 20-20 लाख रुपये का बैंक गारन्टी, जप्त कर लिया गया है और आगे भी अध्यक्ष महोदय, हम किसी भी कीमत पर नदी में बहिस्राव नहीं होने देंगें और इसके लिए कठोर से कठोर कार्रवाई उन सभी चीनी मिलों के खिलाफ की जायेगी ।

श्री मो. नेमतुल्लाह : अध्यक्ष महोदय, सभी चीनी मिलों में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगावाने का विचार रखते हैं माननीय मंत्री जी ?

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : सभी चीनी मिलों में इ.टी.पी. लगा हुआ है एफलुएंट ट्रीटमेंट प्लान्ट और उनको जो बहिस्राव है उसको ट्रीट करके जो पानी है उसको एक जगह स्टोर करके रखना और फिर उस पानी को सिंचाई के लिए दिया जाना है लेकिन शिकायत मिली की जब पारैल्युशन कंट्रोल बोर्ड के लोग गए हैं दो चीनी मिलों का मैंने उल्लेख किया है, उनके बैंक गारन्टी को जप्त कर लिया गया है तीसरे हरिनगर को नोटिस दी गयी है और भविष्य में भी अगर इसका उल्लंघन पाया जायेगा तो उनको पेनलाईज करने का काम, उनको दंडित करने का काम सरकार की ओर से किया जायेगा ।

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि जो मछली मर जाती है वो आपदा प्रबंधन में उसकी क्या प्रोविजन है यानी आपदा प्रबंधन से उसको क्या दिलाने का प्रयास करेंगे, इसका मूल्यांकण करावें कि जितने दिनों से डैमेज हुआ है, आपदा प्रबंधन से कम से कम उनको किसान की तरह पैसा दिलाने की व्यवस्था करें मंत्री जी ।

तारांकित प्रश्न संख्या 1895 श्री सुनील कुमार

श्री संतोष कुमार निराला, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी सरकारी बस पड़ाव रेलवे स्टेशन के समीप है । सरकारी बस पड़ाव तक बसों का आवागमन शहर से बाहर बाई पास से होकर होता है फलस्वरुप सरकारी बस पड़ाव के कारण वहां जाम की समस्या उत्पन्न नहीं होती है अतएव उक्त सरकारी बस पड़ाव को सीतामढ़ी शहर के बाहर अन्यत्र स्थापित करना लोक हित में उचित नहीं है ।

श्री सुनील कुमार : अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी शहर में कोई बाई पास नहीं है, एक ही रास्ता है एक मेहसौल से चलकर सीतामढ़ी बस स्टैण्ड आती है और एक डुमरा से चल कर राजो पट्टी होते हुए सीतामढ़ी जाती है । कोई बाई पास नहीं है और हमेशा जाम लगा रहता है एक तरफ मेहसौल से चल कर आती है, वहाँ रेलवे गुमती है वहां जाम लगा रहता है । इधर मेहसौल चौक पर जाम लगा रहता है इसलिए माननीय मंत्री जी ने कहा कि बाई पास से चलकर आती है तो बाई पास से चलकर आने का प्रश्न ही नहीं है, सीतामढ़ी में कोई बाई पास नहीं है इसलिए जनहित में और जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए सीतामढ़ी में जाम की बहुत बड़ी समस्या रहती है, हमेशा जाम लगा रहता है इसलिए आग्रह करना

चाहते हैं कि वहॉ के बस स्टैण्ड को शहर से बाहर जो अभी नयी सड़क बनी है एन.एच. 77 बना है, उसपर कहीं अवस्थित करा दिया जाय और वहॉ सरकारी जमीन है बरियारपुर के पास तो वहां क्यों नहीं सरकारी बस स्टैण्ड को ट्रांसफर कर दिया जाता है, वहॉ कर देने से लोगों को भी सहूलियत होगी और शहर को जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न संख्या 1896 (श्री बशिष्ठ सिंह)

अध्यक्ष : आपने उत्तर पढ़ा है वशिष्ठ जी ?

श्री वशिष्ठ सिंह : जी ।

अध्यक्ष : आपका उत्तर 22 तारीख के शाम में अपलोड कर दिया गया है । ठीक है, चलिए मंत्री जी ।

श्री राम सेवक सिंह,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1- उत्तर स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि वार्ड परिसीमन के तहत् आई.सी.डी.एस. निर्देशालय के पत्रांक 1196 दिनॉक 11-03-2013 द्वासरा कुल 41188 आंगनवाड़ी केन्द्रों की मांग की गयी जिसके विरुद्ध महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक 14-1/2013 सी.डी.-1 दिनॉक 1-12-2014 द्वारा केवल 23041 आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्वीकृति दी गयी है । स्वीकृत केन्द्रों को आई.सी.डी.एस. निर्दिशालय के पत्रांक 1159 दिनॉक 27-03-21017 द्वारा राज्य के 503 ग्रामीण पारियोजनाओं में आवंटित कर दिया गया एवं शेष रिक्त वार्डों के नजदीक के वार्ड में टैग कर वार्ड के बच्चों एवं महिलाओं को आंगनवाड़ी केन्द्र में दी जाने वाली सुविधाओं से आच्छादित किया गया है ।

2-उक्त के आलोक में पंचायत गारा में कुल 9 वार्ड के विरुद्ध कुल 8 वाड्रों में 8 आंगनवाड़ी केन्द्र स्वीकृत किया गया है, सिर्फ वार्ड नं0 2 नोनियाटोला पंडितपुरा में आंगनवाड़ी केन्द्र नहीं है जिसे अन्य वार्डों में टैग कर संचालित किया जा रहा है । रिक्त वार्डों के विरुद्ध भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत वार्ड नं0 2 में पंडितपुरा में आंगनवाड़ी केन्द्र की स्थापना प्राथमिकता के आधार पर अध्यक्ष महोदय किया जायेगा ।

टर्न-6/23.07.2019/बिपिन

श्री बशिष्ठ सिंह : महोदय, दो वार्ड में 600 पब्लिक हैं और एक वार्ड की दूरी ढ़ाई कि.मी. है दोनों की और दो जगह पर हो गया है और अति पिछड़ा का यह टोला है, जब हमलोग उस इलाके में जाते हैं तो उनका अनुरोध होता है कि विधायक जी हमलोग अति पिछड़ा समाज से हैं और बच्चा हमलोगों का ढ़ाई कि.मी. नहीं जा पाता है । किसी तरह से यहां हमलोगों को आंगनबाड़ी केंद्र खुलवा दिया जाए ताकि हमारे बच्चे का भी पठन-पाठन हो । तो हम माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करते हैं कि वहां शीघ्र प्राथमिकता के आधार पर एक आंगनबाड़ी केंद्र खुलवा दिया जाए तो काफी कृपा होगी ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 1897 (श्रीमती रंजु गीता)

श्री रमेश ऋषिदेव, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, 1- स्वीकारात्मक है । सीतामढ़ी जिलांतर्गत प्रखंड नानपुर के पंचायत कोयली के ग्राम-कोयली, वार्ड नं0-1 में अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय के नाम से 83 डी0 जमीन उपलब्ध है । जिला पदाधिकारी सीतामढ़ी के पत्रांक 737 दिनांक 22.7.2019 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त जमीन थाना नं0-194, खाता 737, खेसरा 1820, रकबा 83 डी0 जो श्री चौधरी नौनिहाल सिंह, पिता-चौधरी विश्वनाथ सिंह के नाम से रैयती था । श्री सिंह द्वारा उक्त जमीन की जमाबंदी अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय के नाम से किया गया था जो वर्त्तमान में कायम है । नया आवासीय विद्यालय खोलने के लिए 3 से 5 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है जबकि मात्र 83 डी0 भूमि उपलब्ध है जिसमें नया आवासीय विद्यालय खोलना संभव नहीं है । वर्त्तमान में जिला में नया आवासीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । सक्षम प्राधिकार के माध्यम से पर्याप्त भूमि उपलब्ध होने पर आवासीय विद्यालय खोलने पर विचार किया जाएगा ।

श्रीमती रंजु गीता: अध्यक्ष महोदय, काफी दिन से जिस समय यह प्रावधान, पॉलिसी बनाया गया, विशेष रूप से दो-तीन एकड़ की बात कही जा रही है । जिस समय बना था उस समय इतने यही जमीन की मांग की गई थी । अनुसूचित जाति एवं अति पिछड़ा जाति के समाज के लोगों ने अपने भूमि को दान में दिया था कि यहां बनेगा । तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से आग्रह करती हूं और मांग करती हूं कि निश्चित रूप से वह ब्लॉक ही नहीं, पंचायत ही नहीं, पूरा नानपुर प्रखंड अति पिछड़ा और अनुसूचित जाति की बहुलता है । इसलिए वहां आवासीय अनुसूचित छात्रावास बनना विद्यालय के

साथ बहुत जरूरी है, तो कब तक मंत्री महोदय वहां बनाने विचार रखते हैं ? महोदय, इन्होंने तो कहा कि वहां बनाने का विचाराधीन ही नहीं है ।

अध्यक्ष : इन्होंने तो कहा कि विचार ही नहीं है तो कब तक का कहां सवाल है ?

श्रीमती रंजु गीता: दो समाज के लोगों ने वहां भूमि दान कर दिया है ।

अध्यक्ष : अब विचार करेंगे तब न कब तक ?

श्रीमती रंजु गीता : भूमि भी दान कर दी है महोदय ।

श्री राजेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, सभी जिलों में अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय खुलना है । माननीय सदस्या का कहना है कि चिन्हित् भूमि जो उसपर विद्यालय खोला जाए । सरकार का कहना है कि जितनी जमीन चाहिए उतना उपलब्ध नहीं है जिसके वजह से सरकार अभी विचार नहीं रख रही है । आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहेंगे कि सभी जिलों में जब विद्यालय खुलना है तो सरकार भूमि उपलब्ध कर वहां विद्यालय खोलने का विचार रखती है ?

अध्यक्ष : इसका तो उत्तर इन्होंने दे ही दिया है कि उपलब्ध नहीं है, इसलिए नहीं खोल रहे हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार: सरकार की जिम्मेवारी है महोदय । यह सरकार की जवाबदेही है कि हर जिला में खोले ।

श्रीमती रंजु गीता : अध्यक्ष महोदय, एक पूरक और । महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि ठीक है, जब लोगों के द्वारा जो जमीन दी गई...

अध्यक्ष : उसी समय कहते तो राजेन्द्र जी से पहले आपसे पूछवाते ।

श्रीमती रंजु गीता: महोदय, लोगों द्वारा दी गई जमीन कम पड़ रहा है तो सरकार अपने स्तर से वहां सरकारी जमीन उपलब्ध कराकर जल्द-से-जल्द खोलवाए ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या 1898 (श्री मनोहर प्रसाद सिंह)</u>

श्री श्रवण कुमार, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, आंशिक स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि नया प्राथमिक विद्यालय झब्बू टोला प्रखंड अमदाबाद को 0.20 एकड़ सरकारी जमीन प्राप्त है । समग्र शिक्षा अभियान के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड (PAB) के द्वारा विद्यालय के भवन निर्माण हेतु राशि अप्राप्त रहने के कारण अभी तक उक्त विद्यालय का भवन निर्माण नहीं कराया जा सका है । राशि प्राप्त होते ही भवन निर्माण की कार्रवाई की जाएगी । वर्त्तमान में उक्त विद्यालय को उत्क्रमित मध्य विद्यालय मेधु टोला, प्रखंड-अमदाबाद में संबद्ध कर संचालित किया जा रहा है ।

श्री मनोहर प्रसाद सिंह: महोदय, कब तक इसको कर दिया जाएगा क्योंकि वह बहुत इन्टेरियर जगह है ?

श्री श्रवण कुमार, मंत्री: महोदय, यह दूसरा केस है । हमने पहले जो उत्तर दिया है महोदय, वह क्षतिग्रस्त विद्यालय के बारे में दिया है और यह नया भवन है महोदय । तो जब समग्र शिक्षा अभियान से राशि प्राप्त होगा तो प्राथमिकता के आधार पर उनको बनवा देंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या 1899 (डॉ0 अशोक कुमार)

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री: महोदय, उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत राज्य के प्रत्येक प्रखंड में एक आउटडोर स्टेडियम निर्माण का लक्ष्य है । वर्ष 2008 से 2013-14 तक प्रखंड स्तर के कुल 206 स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति दी गई है तथा कुल 90,65,19,634/-रूपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है ।

2. उत्तर अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि अब तक कुल 307 स्टेडियम की स्वीकृति प्रदान की गई है । 148 स्टेडियमों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है । 74 स्टेडियमों का कार्य प्रगति पर है तथा 85 स्टेडियम का निर्माण कार्य प्रारंभ करने की प्रक्रिया में है ।

3. विभाग द्वारा लगातार स्टेडियम निर्माण शीघ्र पूर्ण कराने एवं जहां अब तक कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया है, उसे शीघ्र प्रारंभ कराने का निदेश दिया गया है । साथ ही, इस कार्य में विलंब करने वाले दोषी पदाधिकारी एवं एवं एजेंसी को चिन्हित कर उनके विरूद्ध कड़ी कार्रवाई का निर्देश भी दिया गया है ।

टर्न : 07/कृष्ण/23.07.2019

डॉ अशोक कुमार : माननीय अध्यक्ष महादेय, कड़ी कार्रवाई करने का माननीय मंत्री कब निर्देश दिये हैं, उसका पत्रांक एवं दिनांक बतावें ।

अध्यक्ष : कार्रवाई करने का कब निर्देश दिये हैं ?

श्री प्रमोद कुमार,मंत्री : महोदय, पत्रांक 856 दिनांक 22.07.2019 द्वारा सभी जिलों को सरकार के अपर सचिव ...

(व्यवधान) महोदय, चिट्ठी पढ़ दें ?

अध्यक्ष : अशोक जी, माननीय मंत्री जी के पत्र में पत्रांक, दिनांक की कोई कमी नहीं रहती है ।

श्री प्रमोद कुमार,मंत्री : महोदय, सभी जिला को चिट्ठी दी गयी है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप संतुष्ट नहीं हैं । आप अंतिम पूरक प्रश्न पूछ लीजिये । समय खत्म हो रहा है ।

डॉ अशोक कुमार : अध्यक्ष महोदय, यह मुख्यमंत्री की योजना है और मेरे सवाल आने के बाद मंत्री जी ने पत्र लिखा है । यह सरकार कितनी संवेदनशील है, अपनी नीति के खिलाफ काम कर रही है । मंत्री जी आज घोषणा करें कि कितने दिनों के अंदर उक्त पदाधिकारियों पर कार्रवाई की जायेगी जिन्होंने स्टेडियम निर्माण का कार्य शुरू नहीं कराया है ।

श्री नन्द किशोर यादव,मंत्री : सरकार बहुत संवेदनशील है, सरकार तो इतना संवेदनशील है कि विपक्ष के माननीय सदस्य अगर प्रश्न करते हैं तो तुरंत सरकार कार्रवाई करने के लिये चिट्ठी लिखती है, यह संवेदनशीलता है । इसलिये यह सवाल नहीं है । हम सम्मान करते हैं आपका ।

डॉ0 अशोक कुमार : महोदय, मेरे सवाल के बाद इन्होंने लिखा है । कब तक कार्रवाई करेंगे यह बतायें ।

श्री प्रमोद कुमार,मंत्री : महोदय, सभी जिलों को यह पत्र गया है और पत्र का अंतिम अंश हम पढ़कर सुना देते हैं । सुन लीजिये आपलोग । महोदय, सरकार गंभीर है । सभी जिलाधिकारी को निर्देश दिया गया है ।

अंतिम अंश – यह अत्यंत गंभीर विषय है, जिसमें आप व्यक्तिगत रूचि लेकर शीघ्र कार्रवाई करने की अपेक्षा है। अतः उपरोक्त विषय से संबंधित सभी निर्माण हेतु स्वीकृत स्टेडियम, जिसका कई वर्ष बीत जाने के बाद भी निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ है अथवा अबतक निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है, के संबंध में विस्तृत जांच कराकर इसके लिये दोषी पदाधिकारी/एजेंसी के विरूद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करते हुये यदि आवश्यकता हो तो उनके विरूद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज करायी जाय और कृत कार्रवाई के संबंध में 15 दिनों के अंदर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करने का कष्ट करें ।

(व्यवधान)

सभी डी0एम0 को 15 दिनों का समय दे दिये हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य अशोक जी । अब तो आप संतुष्ट हो जाईये । माननीय मंत्री जी एफ0आई0आर0 करने की बात कर रहे हैं ।

डॉ अशोक कुमार : हुजूर, आप ही बोल दीजिये, हम संतुष्ट हो जायेंगे । क्या होना चाहिए ? आप ही नियमन दे दीजिये ।

अध्यक्ष : अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ । जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों, उन्हें सदन पटल पर रख दिये जायें । कार्यस्थगन प्रस्ताव ।

कार्यस्थगन प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 23 जुलाई, 2019 के लिये निम्न माननीय सदस्यों से कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है :-

श्री समीर कुमार महासेठ, श्री मो0 नेमतुल्लाह, श्री सत्यदेव राम, श्री राजेन्द्र कुमार, श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव, श्री कुमार कृष्ण मोहन, श्री मो0 नवाज आलम एवं श्री सरोज यादव ।

आज सदन में वित्तीय वर्ष 2019-20 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण में सम्मिलित अनुदान की मांग पर वाद-विवाद तथा मतदान एवं विनियोग विधेयक के व्यवस्थापन का कार्यक्रम निर्धारित है ।

अतएव बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 176(3) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना को अमान्य किया जाता है ।

अब शून्यकाल लिये जायेंगे । श्री विनोद प्रसाद यादव ।

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, मेरा कार्यस्थगन प्रस्ताव है ।

अध्यक्ष : आपका हम कार्यस्थगन प्रस्ताव देखें है, आपका कार्यस्थगन कार्य व्यवस्था पर है । यह कार्य व्यवस्था क्या है ? आप अपनी सूचना पढ़िये । पढ़ने के लिये कह रहे हैं । आप कार्य व्यवस्था पर कार्यस्थगन प्रस्ताव दिये हैं । यह कार्य व्यवस्था कौन-सी शब्दावली आपने प्रयोग किया है ? वह जरा पढ़ लीजिये न ।

श्री विनोद प्रसाद यादव ।

शून्यकाल

डॉ विनोद प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, गया जिला के डोभी थानान्तर्गत बिक्रम कुमार पिता कोविन्द्र दास एवं शंकर कुमार पिता कैलाश दास ग्राम औरवांदोहर की मृत्यु सड़क दुर्घटना में जी0टी0 रोड पर पोखरा के पास दिनांक 13.03.2019 को हो गयी थी । मृतकों के आश्रितों को मुआवजा भुगतान की मांग करता हूं ।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिलान्तर्गत जोगिया से औरंगाबाद जाने-आने के क्रम में बटाने नदी पर पुल क्षतिग्रस्त हो गया है जिससे आवागमन बंद हो गया है । पैदल पुल पार करने पर कभी भी दुर्घटना हो सकती है ।

अत: वर्णित स्थान पर अविलंब पुल निर्माण कराने की मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : श्री अशोक कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-224) अनुपस्थित ।

श्री अशोक कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-203) : अध्यक्ष महोदय, कैमूर जिला में भयंकर अकाल की स्थिति है, पीने के लिये पानी नहीं मिल रहा है, सोन से निकलने वाली गारा और करगहर वितरणी में पानी नहीं है, पानी के अभाव में धान का बिचड़ा सूख रहा है ।

अतः कैमूर जिला को सुखाग्रस्त घोषित करने की मांग करता हूं ।

श्री मो0 नेमतुल्लाह : अध्यक्ष महोदय, दिनांक 19.07.2019 को अभिनन्दन पिता श्री राम कुमार वार्ड नंबर- 6 भड़कुंया बरौली जिला गोपालगंज की मृत्यु प्रखंड कार्यालय के तालाब में डूबने से हो गई है ।

अतः सरकार मृतक के आश्रित को अनुग्रह अनुदान राशि शीघ्र दे ।

श्री संजय कुमार तिवारी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि पशु चिकित्सकों को मानव चिकित्सकों के समान वेतन मिलेगा परन्तु केवल 22 अनुबंधित पशु चिकित्सक ही इसका लाभ उठा रहे हैं । लगभग 1100 स्थायी पशु चिकित्सक इससे वंचित हैं ।

अतः मैं पशु चिकित्सकों को समान वेतनमान देने की मांग सदन से करता हूं ।

श्री ललन पासवान : अध्यक्ष महोदय, रोहतास जिलान्तर्गत चेनारी प्रखंड के उगहनी पंचायत में कैमुर पहाड़ी से गिरनेवाली नदी सुपही नाला पर चेक डैम का निर्माण हो जाने से 2 हजार एकड़ खेत में किसानों को खेती करने में सुविधा होगी ।

अतः शीघ्र चेकडैम का निर्माण करायें ।

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, राज्य में सुखाड़ होने पर तालाब सूखने से मछलियां मर जाती है और बाढ़ में पानी के साथ बह जाती हैं । आपदा विभाग द्वारा मत्स्यपालकों को मछलिया नष्ट होने पर मुआवजा नहीं दिया जाता है ।

अतः बाढ़-सुखाड़ से मछलियां नष्ट होने को प्राकृतिक आपदा घोषित कर मुआवजा की मांग करता हूं ।

श्री प्रह्लाद यादव : अध्यक्ष महोदय,लखीसराय जिला के सूर्यगढ़ा बाजार के स्वर्ण व्यवसायी श्रवण अग्रवाल के दुकान में घुसकर एक सप्ताह पूर्व अपराधी सोना एवं नगद करोड़ों रूपये लूट लिये तथा विरोध करने पर श्रवण अग्रवाल को गोली मार दी। सी0सी0कैमरा में घटना में सम्मिलित अपराधियों का चेहरा स्पष्ट है परन्तु पुलिस अबतक अपराधी को पकड़ नहीं पायी है ।

अतः अपराधियों की गिरफ्तारी और लूटे हुये सामान की वापसी हो ।

श्रीमती पुनम कुमारी उर्फ पुनम पासवान : अध्यक्ष महोदय, कटिहार जिला के कोढ़ा प्रखंड अन्तर्गत कोलासी चौक से हरदा चौक तक 12 कि0मी0 सड़क जर्जर है जिससे आम जनता को आने-जाने में काफी परेशानी होती है । सरकार से उक्त सड़क को बनाने की मांग करती हूं ।

श्री नन्द कुमार राय : अध्यक्ष महोदय, मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत मोतीपुर प्रखंड के ग्राम महवल राम अयोध्या भगत के घर के निकट एवं ग्राम ससना महेश सहनी के घर के निकट डंडा नदी पर चचरी पुल से आवागमन से हमेशा दुर्घटना हाती है ।

उक्त दोनों स्थलों पर पुल का निर्माण की मांग करता हूं ।

श्री सरोज यादव : अध्यक्ष महोदय, भोजपुर जिला के बड़हरा प्रखंड में ग्राम पिपरपांती बरजा एवं शालीग्राम सिंह के टोला सहित जिवाराम के टोला में गंगा नदी के किनारे बांध मरम्मति का कार्य मई, 2018 में हुआ था, तीन माह में ही बांध क्षतिग्रस्त हो गया ।

अत: जांच करवाकर दोषी पदाधिकारी वं संवेदक पर कार्रवाई करावे ।

श्री राजेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, हरसिद्धि विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत रक्सौल छपवा से अरेराज जानेवाली एस0एच0 रोड में सेवराहां मुख्य कैनाल नहर पर पुल टूटने के कारण इस अन्तर्राष्ट्रीय मार्ग पर बड़ी गाड़ियों का आवागमन बंद होने से भारी क्षति हो रही है । जनजीवन तबाह है ।

अत: जनहित में सरकार उक्त पुल अविलंब बनावे ।

श्री सुबोध राय : अध्यक्ष महोदय, बिहार सरकार के वित्त विभाग के संशोधित संकल्प ज्ञापांक 918 दिनांक 25.10.2018 के आलोक में मृतक पेंशनधारी स्व0 इन्दु पण्डित एल0एच0वी0 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बख्तियारपुर, पटना की आश्रित अविवाहिता पुत्री कुमारी दयाल देई को पारिवारिक पेंशन दिलाने की मांग करता हूं ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, पूर्णियां विधान सभा के आनंद नगर, संथाली टोला सहित आधा दर्जन पंचायतों के 3000 से ज्यादा घरों में बाढ़ के पानी से लोग विस्थापित हैं तथा हजारो हेक्टेअर में फसल की बर्बादी हुई है ।

अत: बाढ़ से विस्थापित परिवारों को जी0आर0देने एवं सर्वे कर फसल क्षति मुआवजा देने की मांग करता हूं ।

टर्न-8/अंजनी/दि0 23.07.2019

श्रीमती भागीरथी देवी : अध्यक्ष महोदय, बेतिया जिला के प्रखंड गौनाहा के ग्राम-हरदिया भाया भुस्की, मेहनौल मटियरिया होते हुए बनहवा पर्सा तक जानेवाली पथ के जीर्णोद्धार की मांग करती हूँ ।

श्री फैसल रहमान : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत ढ़ाका विधान सभा में बाढ़ आने से ग्रामीणों एवं किसानों के जान-माल, फसलों का भारी नुकसान हुआ है ।

अत: मैं सरकार से ढ़ाका विधान सभा को बाढ़ग्रस्त घोषित करने की मांग करता हूँ ।

डा0 सी0एन0गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, छपरा जिला के सदर प्रखंड, छपरा शहर एवं रिविलगंज प्रखंड में रविवार, सोमवार को बारिश के कारण भगवान बाजार, काशाी बाजार, बैंक कॉलोनी सहित अन्य जगहों पर बिजली की व्यवस्था चरमरा गयी है ।

अत: मैं उक्त मोहल्लों में चरमरा गयी विद्युत व्यवस्था को दुरूस्त करने की मांग करता हूँ ।

श्री मिथिलेश तिवारी : अध्यक्ष महोदय, बिहार में आये बाढ़ और सुखाड़ के कारण आपदा प्रभावित किसानों को फसल क्षति मुआवजा राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है लेकिन आपदा प्रभावित मछुआरों को मुआवजा देय नहीं है, जबकि मत्स्यपालन को कृषि का दर्जा प्राप्त है ।

अत: मैं सरकार से आपदा प्रभावित मत्स्यपालकों के लिए भी मुआवजा प्रावधान करने हेतु मांग करता हूँ ।

श्री शत्रुधन तिवारी : अध्यक्ष महोदय, सारण जिला के अमनौर प्रखंडान्तर्गत पैगा मित्रसेन पंचायत के पैगा तथा अपहर पंचायत के जलालपुर ग्राम में अनुसूचित जाति के लगभग सौ परिवार वास की जमीन के अभाव में नहर किनारे झोपड़ी में रहते हैं।

मैं सरकार से उन्हें वास की जमीन तथा आवास देने की मांग करता हूँ ।

श्री रामविशुन सिंह : अध्यक्ष महोदय, भोजपुर जिला में गैर कोषागार से संबंधित नियोजित शिक्षकों का दो साल पूर्व का 7वें वेतन का अन्तर बकाया (एरियर) राशि लंबित

है, जबकि यह राशि शाहाबाद के अन्य जिले बक्सर, रोहतास एवं कैमूर में मिल चुका है ।

अतः मैं उक्त शिक्षकों को बकाया एरियर भुगतान कराने की मांग करता हूँ।

श्री सिद्धार्थ : अध्यक्ष महोदय, पटना कैनाल की बड़ी नहर एवं विभिन्न वितरणियों में उपयुक्त मात्रा में पानी उपलब्ध नहीं रहने के कारण किसानों को धान की रोपनी में भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है ।

अतः पटना कैनाल में उपयुक्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराने की मांग करता हूँ ।

श्री रत्नेश सादा : अध्यक्ष महोदय, सहरसा जिला के सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड के अंचलाधिकारी एवं कर्मचारी के द्वारा वार्डपार्षद चन्द्रमणि के पुस्तैनी जमीन के जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा अपर समाहर्त्ता, सहरसा को किया गया, जिसका वाद सं0-68/19 है, जिसकी जांच कराकर धर्मदेव चौधरी, अंचलाधिकारी एवं कर्मचारी पर विभागीय कार्रवाई करने की मांग करता हूँ ।

श्री मो0 नवाज आलम : अध्यक्ष महोदय, पुराना शाहाबाद का जिला मुख्यालय आरा को प्रमंडल बनाया जाय,जिससे चार जिले भोजपुर, रोहतास, कैमूर और बक्सर के लोगों को सुविधा प्रदान हो ।

मैं सदन के माध्यम से सरकार से शाहाबाद का मुख्यालय आरा को प्रमंडल बनाने की मांग करता हूँ ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चम्पारण जिला के मोतीहारी प्रखंडान्तर्गत बहुअरी-झिटकहिया, नौरंगिया, ध्रुवलखौरा, बरवा, कटहा, रमगढ़वा, रामसिंहछितौनी, टिकुलिया, बरदाहा पंचायत सम्पूर्ण बाढ़ प्रभावित हैं तथा अन्य पंचायत भी बाढ़ तथा वर्षापात से पूर्णतः क्षतिग्रस्त है ।

अतः मैं सम्पूर्ण प्रखंड क्षेत्र में आपदा राशि सहित अन्य सुविधा मुहैया कराने की मांग करता हूँ ।

श्री रामचन्द्र सहनी : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चम्पारण जिला के सुगौली विधान सभा क्षेत्र में आये भीषण प्रलयकारी बाढ़ से लोग त्रस्त हैं लेकिन अबतक कोई भी राहत सामग्री वितरण एवं बचाव कार्य नहीं किया गया है ।

अतः तत्काल क्षेत्र को बाढ़ग्रस्त घोषित कर मुआवजा देने की मांग करता हूँ ।

श्री विद्या सागर केशरी : अध्यक्ष महोदय, अररिया जिलान्तर्गत फारविसगंज नगर पर्षद से सटे सीताधार नदी को भूमाफियाओं एवं अतिक्रमणकारियों ने पूरी तरह कब्जा कर रखा है, जिससे 1987, 2008, 2017 एवं 2019 में आयी बाढ़ से सीताधार नदी के बहाव अवरूद्ध होने के कारण शहर पूरी तरह जलमग्न हो गया, जिससे जान-माल की भारी तबाही उठानी पड़ी ।

महोदय, सीताधार नदी को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाय, यह मैं सदन से मांग करता हूँ ।

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव : अध्यक्ष महोदय, जहानाबाद जिला में विगत पांच वर्षों से जून, जुलाई माह में कम वर्षा से किसान परेशान हैं, कृषि अनुपात में वर्षा कम होने के चलते बिचड़े सूख रहे हैं, धान रोपनी का कार्य नहीं हो रहा है।

अतः मैं जहानाबाद जिले को अकाल क्षेत्र घोषित करने की मांग करता हूँ ।

श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत चकिया प्रखंड के सीताकुंड से टिकुलिया जानेवाली पथ में लखना नाला पर पुल ध्वस्त होने से लोगों को आवागमन में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है ।

अतः मैं उक्त ध्वस्त पुल की जगह नया पुल निर्माण कराने की मांग करता हूँ।

श्री चन्द्रशेखर : अध्यक्ष महोदय, मधेपुरा जिला मुख्यालय के नदियों में आयी बाढ़ के पानी के दबाब एवं बहाव के कारण निर्माणाधीन महिला अल्पसंख्यक छात्रावास सहित नदी के किनारे अवस्थित सैकड़ों मकान एवं जन-जीवन की सुरक्षा हेतु अविलम्ब कटाव निरोधक कार्य कराने की मांग सरकार से करता हूँ ।

श्री सत्यदेव राम : अध्यक्ष महोदय, गोपालगंज जिलान्तर्गत भोरे प्रखंड में मीरगंज-भोरे मुख्य पथ पर मौजा खजुराहांमिश्र में निर्माणाधीन पेट्रोलपंप के कार्य को देख रहे श्री रामाश्रय सिंह की हत्या दिनांक 13.06.2019 को कर दी गयी । एफ0आई0आर0 भोरे थाना कांड संख्या-205/19 दिनांक 13.06.2019 दर्ज है ।

अत: मैं मुख्य आरोपी बृजकिशोर सिंह सहित सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग करता हूँ ।

श्री सुदामा प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, बिहार में आज आम महिलाओं के साथ-साथ पुलिसकर्मियों/कामकाजी महिलाओं पर संस्थागत अत्याचार के मामले की बाढ़ सी आ गयी है । इन मामलों में मेरी मांग है कि संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाय और कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी की जाय ।

श्री शमीम अहमद : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस नेता फखरूद्दीन खां की हत्या 19.07.2019 को अपराधियों द्वारा गोली मारकर कर दी गयी ।

अत: मैं अपराधी को जल्द-से-जल्द गिरफ्तार करते हुए परिजन की सुरक्षा की मांग करता हूँ ।

श्री जिवेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, उत्तर बिहार में आयी बाढ़ से दरभंगा जिलान्तर्गत जाले एवं सिंहवाड़ा प्रखंड में सड़क, कृषि एवं जान-माल की भारी क्षति हुई है ।

अत: मैं दरभंगा जिले के जाले एवं सिंहवाड़ा प्रखंड के सभी पंचायतों को पूर्ण बाढ़ प्रभावित पंचायत घोषित करने की मांग करता हूँ ।

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, नालन्दा जिलान्तर्गत हिलसा विधान सभा क्षेत्र के हिलसा, करायपशुराय, परवलपुर व थरथरी प्रखंड में ग्रामीण कार्य द्वारा बनायी जा रही सड़कों की गुणवत्ता मानक के विरूद्ध है तथा कुछ सड़कें लम्बे समय से संवेदकों की लापरवाही के कारण लंबी पड़ी है ।

अत: जांच कर कार्रवाई करने की मांग करता हूँ ।

अध्यक्ष : अब ध्यानाकर्षण सूचनायें ली जायेगी ।

ध्यानार्षण सूचनाएँ तथा उसपर सरकारी वक्तव्य

डॉ0 रामानुज प्रसाद, स0वि0स0 से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार(उद्योग विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना में सहायक अधीक्षक एवं समकक्ष पदों के स्वीकृत 21 पदों में से 18 पदों की रिक्ति के बावजूद 19 वर्षों से नियुक्ति नहीं होने के कारण Post Graduate Diploma in Sericulture (PGDS) प्री सर्विस प्रशिक्षण प्राप्त अर्हक योग्यताधारी उम्मीदवार दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं तथा कर्मियों के अभाव में विभागीय योजनायें भी कार्यान्वित नहीं हो पाती हैं ।

अतः उक्त प्रशिक्षण प्राप्त अर्हक योग्यताधारी उम्मीदवारों को हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना में सहायक अधीक्षक या समकक्ष के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।

श्री राम नारायण मंडल, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, समय चाहिए ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

टर्न-9/राजेश/23.7.19

सर्वश्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह, विद्या सागर सिंह निषाद एवं अन्य दस सभासदों की ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार(पथ निर्माण विभाग)की ओर से वक्तव्य।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, प्रत्येक वर्ष सावन महीने में लाखों श्रद्धालु एवं भक्तजन पहलेजा से पवित्र गंगाजल के साथ मुजफ्फरपुर तक पक्की रास्ता पर बिना जूता-चप्पल के पैदल यात्रा कर बाबा गरीबनाथ को जल अर्पित करते हैं । एन0एच0 पथ होने के कारण गाड़ियों के अत्यधिक परिचालन से दुर्घटना की संभावना बनी रहती है । कावड़िया भक्तों के अत्यधिक संख्या को देखते हुए प्रशासन द्वारा रास्ता भी बंद कर दिया जाता है जिससे आमलोगों को आवागमन में काफी कठिनाई होती है ।

अतएव कावड़िया भक्तजन के सुविधा तथा आमलोगों के आवागमन को सुचारु रखने के लिए पहलेजा से मुजफ्फरपुर तक अलग से कावड़िया पथ बनाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।

श्री नंद किशोर यादव, मंत्री: महोदय, समय चाहिए । जो जवाब मेरे पास आया है, उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ, चूंकि रात में जवाब आया है, तो उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ, इसलिए दूसरे दिन जवाब दूंगा ।

अध्यक्ष: ठीक है ।

श्री रामानुज प्रसाद: महोदय, इसी सत्र में जवाब आ जायेगा न ।

अध्यक्ष: हॉ भाई, इसी सत्र में आयेगा । स्थगित होने का मतलब ही वही होता है ।

सभा के समक्ष प्रतिवेदनों का रखा जाना

अध्यक्ष: माननीय सभापति, लोक लेखा समिति ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, सभापति, लोक लेखा समिति: अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-239 के तहत लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन संख्या- 687, 688, 689, 690, 691 एवं 692 की एक-एक प्रति सदन में उपस्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष: माननीय सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति ।

श्री हरिनारायण सिंह, सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति: अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-211 के तहत बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, बिहार बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड से संबंधित समिति का क्रमश: 205वॉ, 206वॉ
एवं 207वॉ प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सदन में उपस्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष: अब सभा की बैठक 2.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न-10/सत्येन्द्र/23-7-19

(अन्तराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है ।

वित्तीय कार्य

माननीय सदस्यगण, वित्तीय वर्ष 2019-20 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित अनुदान की मांगों का व्यवस्थापन होगा । उक्त विवरण में सम्मिलित अनुदानों के मांगों की कुल संख्या 33 है और आज इसके लिए एक ही दिन का समय निर्धारित है । अत: किसी एक विभाग के अनुदान की मांग के प्रस्ताव पर वाद विवाद, सरकार का उत्तर तथा मतदान हो सकता है। मैं मांग संख्या-37, ग्रामीण कार्य विभाग को लेता हूँ, जिस पर वाद-विवाद, सरकार का उत्तर एवं मतदान होगा । शेष मांगों का व्यवस्थापन गिलोटीन यानी मुखबंध के द्वारा किया जायेगा । आज के विवाद के लिए तीन घंटे का समय उपलब्ध है । विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है और इसी समय में से सरकार को उत्तर के लिए समय दिया जायेगा :

राष्ट्रीय जनता दल	60 मिनट
जनता दल यूनाईटेड	52 मिनट
भारतीय जनता पार्टी	41 मिनट
इंडियन नेशनल कांग्रेस	19 मिनट
सी0पी0आई0(एम0एल0)	02 मिनट
लोक जनशक्ति पार्टी	02 मिनट
हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा	01 मिनट
निर्दलीय	03 मिनट

अध्यक्ष: माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग अपनी मांग प्रस्तुत करें ।

श्री शैलेश कुमार, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

'' ग्रामीण कार्य विभाग के संबंध में प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन के मांगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं

के लिए 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्त्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2019 के उपबंध के अतिरिक्त 11,00,00,00,000/-(ग्यारह अरब) रू0 से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय ।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

अध्यक्षः इस मांग पर माननीय सदस्य श्री रामदेव राय, श्री राजेश कुमार एवं श्री विजय प्रकाश से कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं । ये सभी व्यापक हैं, जिन पर सभी माननीय सदस्य विचार विमर्श कर सकते हैं । माननीय सदस्य, श्री रामदेव राय जी का प्रस्ताव प्रथम है अतएव माननीय सदस्य श्री रामदेव राय जी अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

श्री रामदेव रायः अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

'' इस शीर्षक की मांग 10/-रूपये से घटायी जाय ।''

इसलिए घटायी जाय कि महोदय, माननीय मंत्री जी और सरकार और ये विभाग पथों के निर्माण में निवेश करने में जरूर ही कुछ अपना करामात दिखायी है परन्तु उन्होंने गुणवत्ता पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया है, थोड़ा भी ध्यान गुणवत्ता पर नहीं दिया है । शायद उनके विभाग के पदाधिकारी, मुझे लगता है कि मालूम नहीं है कि गुणवत्ता किस प्रकार निर्धारण किया जाता है । एक ओर सड़क बनती है, दूसरी ओर सड़क टूटती जा रही है।

श्री प्रह्लाद यादवः अध्यक्ष महोदय, पदाधिकारी दीर्घा बिल्कुल खाली है..

अध्यक्षः कहां ? कहां खाली है ?

श्री प्रह्लाद यादवः पदाधिकारी लौबी ।

अध्यक्षः आसन से उस तरफ नहीं दीखता है ।

श्री रामदेव रायः महोदय, व्यय की गुणवत्ता का निर्णय सामाजिक और भौतिक अधिसंरचना के निर्माण के लिए समर्पित व्यय के अनुपात तथा सामान्य सेवाओं के विकासेत्तर व्यय की तुलना के सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर विकास मूलक व्यय के अनुपात में किया जाता है इसलिए व्यय की गुणवत्ता के महत्वपूर्ण मापदंड हैं । कुल व्यय के साथ पूंजीगत परिव्यय का अनुपात सकल घरेलू उत्पाद के साथ पूंजीगत परिव्यय का अनुपात, सामाजिक एवं आर्थिक व्यय पर राजस्व व्यय का अनुपात और गैर वेतन व्यय का अनुपात, ये अनुपात जितनी ऊंचे होंगे उतना ही विभाग का काम ऊंचा होगा । मगर गुणवत्ता पर इन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया है । मंत्री जी बहुत कुशल कारीगर तो है, कुशल व्यक्ति भी है,

व्यवहार कुशल भी हैं, सब लोगों से अच्छा संबंध भी अधिक रहता है लेकिन लगता है सड़क के निर्माण कार्य में, सड़क के उन्नयन कार्य में क्षेत्रीय विधायक का जितना योगदान होना चाहिए, वह नहीं हो पाता है । शायद विभाग का कोई समन्वय क्षेत्रीय विधायक से नहीं होता है, जिस कारण से गुणवत्ता पर इसका बुरा असर पड़ता है । अगर ऐसा होता जो पहले हुआ करता था, हम लोगों के समय में, मैं भी इस विभाग में मंत्री रहा हूँ, तो निश्चित रूप से, विधायकों को और पदाधिकारियों को क्षेत्रवार बैठाया जाता था, अगर मंत्री जी इस तरह करते तो मंत्री जी का भार थोड़ा कम हो जाता लेकिन मंत्री जी का भार कम नहीं हो पा रहा है, ये कार्यालय में बैठते हैं और भर दिन परेशान रहते हैं । मोनेटरिंग करने वाला सेल भी मुझे लगता है कोई हाई क्वालिटी का उसमें टेक्नीशियन नहीं है जिसके कारण मोनेटरिंग नहीं हो पाता है, किस क्षेत्र में कितनी सड़कें बनी, असंतुलित है ,कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं ज्यादा कम और कहीं कुछ नहीं, यही कारण है कि ग्रामीण पथों के हिस्से में...

श्री ललित कुमार यादवः अध्यक्ष महोदय, पदाधिकारी दीर्घा में विभाग में कोई लोग नहीं है..

अध्यक्षः आप उधर क्यों देखते हैं इधर देखिये न ।

श्री ललित कुमार यादवः अध्यक्ष महोदय...

(व्यवधान)

अध्यक्षः शायद विभाग के लोग समझते होंगे कि मंत्री जी सक्षम हैं । चलिये, रामदेव बाबू का समय जा रहा है ।

श्री रामदेव रायः देश में बिहार का राष्ट्रीय और राज्य उच्च पथों के निर्माण के लिए हमारे ख्याल से छठा पोजिशन है और अन्य सड़कों के मामले में पॉचवां स्थान है । सबसे आगे महाराष्ट्र है, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर कर्नाटक और तब राजस्थान है। ग्रामीण सड़कों के हिस्से के लिहाज से सिर्फ तीन जिले मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण और मधुबनी आगे है । अब बताईए असमानता नहीं है ? आपके सड़कों के वितरण में समानता नहीं है, जिस कारण अन्य क्षेत्रों में विकास का जितना प्रभाव पड़ना चाहिए सड़कों का, वह नहीं हो पा रहा है । राज्य सरकार ने अपने बजट का हालांकि 10 प्रतिशत सड़कों और पुलों पर खर्च करने का दावा किया है, मुझे लगता है कि 10 प्रतिशत पैसा समय पर खर्च नहीं हो पाता है । अगर आप मोनेटरिंग करते, आर्थिक सर्वेक्षण में इसका रिपोर्ट देते और श्वेत पत्र जारी करते तो हमलोगों को बात समझ में आती कि आप कितना पैसा पिछले साल का खर्च किये क्योंकि पैसा देने में सरकार कोताही नहीं की है तो

फिर पैसा खर्च करने में क्यों कोताही है । मैं जो थोड़ा-सा उपलब्ध किया हूँ, 2017-18 में सड़कों पर व्यय का, आर्थिक सेवाओं पर कुल व्यय का 29 प्रतिशत और विकास मूलक व्यय में 11 प्रतिशत, इससे राज्य सरकार का घरेलू उत्पाद 2.7 का हिस्सा रहता है मात्र ।(क्रमशः)

टर्न-11/मधुप/23.07.2019

...क्रमशः..

श्री रामदेव राय : माने बहुत कम होता है । इसलिये यह बात ठीक है कि गत 5 वर्षों में बिहार में पक्की ग्रामीण पथों की बढ़ोतरी हुई है लगभग 24988 कि0मी0 जिसमें सर्वाधिक सड़क रोहतास, मुजफ्फरपुर और औरंगाबाद में आप दिये हैं । बोलिये हुजूर, और जिला कहाँ जायेगा ? और जिलों के साथ आपने न्याय नहीं किया है। इसलिये इस ओर आपका ध्यान आकृष्ट करता हूँ ।

महोदय, खुशी की बात है, आर्थिक स्थिति की चर्चा करूं तो पिछले साल की तुलना में काफी पैसे मिले हैं लेकिन अप्रील से जून तक का जो हिसाब आपने अपने भाषण में दिया है, इसमें मुझे थोड़ा-सा संदेह लगता है। यह चुनाव का पीरिएड था, सारा काम बंद थे, सारे अफसर घर में थे, यह फिगर आया कहाँ से ! इस बीच में हजारों कि0मी0 सड़कें कैसे बनने का रिपोर्ट है ? इसलिये मैं आपका ध्यान आकृष्ट करता हूँ कि इसको जरूर आप एक बार अपनी नजर से देख लेंगे तो हमलोगों को खुशी होगी ।

महोदय, मैं आज आंकड़े के जाल में नहीं फँसना चाहता हूँ इसलिये कि अपना काम ही छूट जाता है प्रत्येक दिन । मुख्यमंत्री सम्पर्क योजना हो, बसावट-टोलों की व्यवस्था हो या अन्य प्रधानमंत्री सड़क योजना की बात हो, टोला सम्पर्क की योजना हो, जो भी आपका स्कीम है, प्रधानमंत्री सड़क योजना 2019-20 में 4284 कि0मी0 का लक्ष्य ये बनाये हैं ।

(इस अवसर पर माननीय सदस्य डॉ0 अशोक कुमार ने
माननीय सभापति का आसन ग्रहण किया)

अप्रील से जून तक 112 कि0मी0 का निर्माण कराया गया है, जो हास्यास्पद लगता है । अगर कराये हैं तो हमारे क्षेत्र में चमथा से बछबाड़ा तक की सड़क आज 12 वर्षों से बन रही है । कभी इंजीनियर भाग जाते हैं, कभी ठीकेदार भाग जाते हैं, सड़क जस की तस पड़ी हुई है जबकि सर्वाधिक दियारा

क्षेत्र है और वहाँ के लोग त्राहिमाम मचाये हुए हैं । अभी बाढ़ आ जायेगी तो उनलोगों को कहीं निकलने का रास्ता भी नहीं रह जायेगा । लेकिन उसपर कुछ भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है । हाजीपुर से बछवाड़ा सड़क की मंजूरी हुई है, जबकि उसका टेन्डर हो चुका है, उसका भी निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है । उसी तरह से और भी हैं, हम अपने क्षेत्र के कई सड़कों की बात आपसे पहले कह चुका हूँ, भगवानपुर-संजात पथ है, हुजूर, भगवानपुर-संजात पथ में आज 15 वर्षों से गड्ढा है, बड़े-बड़े गड्ढे हैं, 6 आदमी की मृत्यु हो चुकी है, श्रीमान् । न तो आप बनाते हैं, न पी0डब्लू0डी0 । पी0डब्लू0डी0 कहता है कि हमको एन0ओ0सी0 मिलना चाहिए । अब एन0ओ0सी0 रामदेव राय लाकर कहाँ से देगा? एन0ओ0सी0 तो उनको माँगना है और आपको देना है । पथ है आपका, आप लिखे भी हैं इसके लिए, यह बात नहीं है कि नहीं, हमलोग जब जाते हैं तो आप लिखते हैं । लेकिन लिखने के बाद वह कागज कहाँ जाता है, श्रीमान् को जरा-सा ढूंढना चाहिये ।

दूसरी ओर श्रीमान्, 30 सड़क का आपके पास ब्यौरा दिया हुआ था - जोकिया से औगान, बुचौली नवटोल से दहिया पथ, भगवानपुर बरगद से गाड़ा सूर्यपुरा तक, कविया डोहटा पथ, बनौली मोख्तियारपुर पथ, भतडीहा पी0डब्लू0डी0 सड़क हनुमान मन्दिर के कोनधार चौर तक नई सड़क, हंडालपुर पी0डब्लू0डी0 पक्की सड़क चौक से ताजपुर सीमान तक, मेहदौली काली स्थान से ताजपुर सीमान तक, डोहटा-नवटोल पी0डब्लू0डी0 सड़क तक, समसा विजैया रखौत सड़क, साठा गुमटी से मुशहरी चौक, मरांची से बछबाड़ा, बछबाड़ा रेलवे गुमटी से मुस्लिम टोल, गोधना से नवादा चक्का, बेगम सराय से चिमनी भट्ठा, जगदीशपुर से सहिलोरी कन्या उच्च विद्यालय तक, इतना मैं लिखकर सड़क आज तक आपको श्रीमान दिया हूँ । इसलिये मैं आज आंकड़ा के जाल में नहीं फँसकर श्रीमान का ध्यान सादर-सादर आकृष्ट अपनी ओर करना चाहता हूँ और आपके विभाग के बारे में हम क्या बोलेंगे ? पुल के लिये हुजूर को रूदौली, लखनपुर, गाड़ा, महेशपुर और मंसूरचक के अलावे दामोदरपुर और गंडक में चेरिया घाट पर पुल जिसका टेन्डर हो चुका था हुजूर, आज 10 वर्ष हो गया, वह कार्य शुरू नहीं हुआ है ।

हुजूर, एक ओर आप बराबर कहते हैं कि गाँव को जोड़ेंगे, बसावटों को जोड़ेंगे, मुख्यमंत्री पथ योजना आप बनायेंगे, प्रधानमंत्री सड़क योजना बनायेंगे, तो ये योजनाएँ क्यों छूट जाती हैं हुजूर ? इसपर तो आप ही को विचार

करना होगा कि इन योजनाओं के छूटने के पीछे कॉज क्या हो सकता है । जबकि आप कलम भी उठाते हैं, कदम भी उठाते हैं फिर भी यह काम नहीं हो पाता है । अब हमलोग जनता में जाते हैं तो हमलोग गाली सुनते हैं और अगर वह उल्टी गाली पड़ जाय तब फिर क्या होगा ?

आपसे निवेदन करता हूँ कि कटौती प्रस्ताव मैं पेश इसीलिये किया हूँ कि जितना काम हर क्षेत्र में होना चाहिये, जितना पैसा सरकार देती है, उस पैसे का सदुपयोग गाँव की सड़कों पर चाहे कनेक्टिविटी के लिए हो, टोला-बसावट के लिए हो, मुख्यमंत्री सम्पर्क योजना के लिए हो, प्रधानमंत्री रोजगार योजना के लिए हो, पैसा का खर्च होना चाहिए । अगर खर्च नहीं होता है.....

सभापति (डॉ0 अशोक कुमार) : अब आपका समय समाप्त हो रहा है ।

श्री रामदेव राय : तो यह पैसा भी देने का कोई मकसद नहीं पूरा होगा, हुजूर । समय पूरा होने की बात कर रहे हैं इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप ये ग्रामीण सड़क को मजबूत कर देते हैं, देश में अर्थ-व्यवस्था भी काफी मजबूत होगी, गाँव में उत्पादकता बढ़ेगी, सकल घरेलू उत्पाद बढ़ेंगे, हर तरह से लाभ ही लाभ है मगर थोड़ा-सा और ध्यान देने की जरूरत है, जितना आप ध्यान देते हैं उससे थोड़ा और ध्यान देने की जरूरत है ।

महोदय, मैं तो कह ही चुका हूँ कि आप बहुत कुशल मिनिस्टर हैं, मगर जरा अपनी कुशलता गरीब क्षेत्रों के लिए भी दिखाइये, गरीब एम0एल0ए0 के लिए भी दिखाइये जिसको मुँह-कान नहीं हैं, हमारे जैसे मुँह-कान नहीं रहने वाले एम0एल0ए0 पर थोड़ा-सा ध्यान देते तो बड़ी कृपा होती ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात इसलिये जल्दी समाप्त करता हूँ कि हमारे दल के और लोग भी इसमें भाग लेंगे ।

सभापति (डॉ0 अशोक कुमार) : माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव ।

श्री ललित कुमार यादव : सभापति महोदय, आज सरकार के द्वारा प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी अनुदान माँग करीब 11 अरब का लाया गया है । अभी इनका जो मुख्य बजट था 2019-20 का 1,09,70,96,73,000 रू0 का, महोदय, अभी-अभी मूल बजट आया है और प्रथम अनुपूरक बजट भी आया है ।

महोदय, लगता है कि सरकार की वित्तीय व्यवस्था ठीक नहीं है या इनको आकलन नहीं है, कम से कम अभी 10 दिन भी नहीं हुआ है और

प्रथम अनुपूरक इनको लाने की क्या आवश्यकता पड़ गई । महोदय, आज ग्रामीण कार्य विभाग का महत्वपूर्ण विभाग है और ग्रामीण पथ की दशा और दिशा, ग्रामीण कार्य विभाग जो पथ का निर्माण कराता है, उसपर निर्भर करता है। महोदय, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गॉधी ने कहा था कि भारत की आत्मा गॉवों में बसती है । हमारे देश और राज्य के लगभग 70 प्रतिशत आबादी गॉव से आते हैं। जो ग्रामीण पथ हैं, ग्रामीण पथ का जो सुदृढ़ीकरण, मजबूतीकरण, नव-निर्माण है, सब ग्रामीण कार्य विभाग के जिम्मे आता है और बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है गॉव के विकास में । गॉव का विकास नहीं होगा तो देश का भी विकास कल्पना मात्र होगा, राज्य का भी विकास कल्पना मात्र होगा । लेकिन इतने महत्वपूर्ण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग जो नव-निर्माण कराता है, जो सुदृढ़ीकरण कराता है, मजबूतीकरण कराता है, माननीय मंत्री जी को और सरकार को देखना चाहिए कि जो सड़कों का एक तरफ से नव-निर्माण हो रहा है, दूसरी तरफ से टूट भी रहा है । गुणवत्ता पर भी इनको ध्यान देना चाहिए । लगता है कि गुणवत्ता पर, हमलोग भी जन-प्रतिनिधि हैं, आप भी जन-प्रतिनिधि हैं, सभी माननीय सदस्य कहीं न कहीं से जन-प्रतिनिधि हैं और सदन में हमलोगों को यह कहने का अवसर इसलिये मिलता है कि सड़क की गुणवत्ता बद से बदतर है, एक तरफ से बनती है और टूटती है और उस सड़क का फ्लैंक भी नहीं बनता है । गॉव का क्या मानक है, उसके अनुसार से सड़क का निर्माण नहीं होता है । हम सरकार से आग्रह करेंगे कि जो गॉव में ग्रामीण सड़क, जो निम्न स्तर की सड़क बन रही है, घटिया स्तर की सड़क बन रही हैं, उनपर इनको एक अंकुश लगाना चाहिए, कहीं न कहीं इसका कोपभाजन जन-प्रतिनिधि भी होते हैं जब अपने क्षेत्र में आते हैं..... ..क्रमशः...

टर्न-12/आजाद/23.07.2019

..... क्रमशः .....

श्री ललित कुमार यादव : जब हम अपने क्षेत्र में जाते हैं तो जनता सीधे जनप्रतिनिधि से हिसाब लेती है, कोई पदाधिकारी या सरकार से हिसाब नहीं लेती है । महोदय, जनप्रतिनिधि अपना शिकायत चाहे विभाग में या माननीय मंत्री को या सरकार को करती है लेकिन उसका क्या फलाफल है महोदय, आप भी कहीं से न कहीं से जनप्रतिनिधि हैं और सभी माननीय सदस्य इस सदन के सदस्य हैं । लगता है कि

इसपर जीरो कार्रवाई होती है माननीय सदस्य के किसी पत्र के लिखने से । महोदय, हमने तो यहां तक देखा है कि हमने 6 साल पहले शिकायत किया और विभाग के स्तर से उच्चस्तरीय कमिटी बनी और उच्चस्तरीय कमिटी ने अपनी जॉच रिपोर्ट में यह दिया कि निम्न गुणवत्ता की सड़क बनी है और इसपर एफ0आई0आर0 होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और इसपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए । महोदय, बड़ा दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि 6 साल पहले विभाग का जॉच प्रतिवेदन उच्चस्तरीय कमिटी ने जॉच की महोदय लेकिन सरकार का आज तक संचिका पर विभाग के प्रमुख लोग या सरकार के जो हेड हैं, वे लेकर बैठे हुए फाईल को और उसपर क्यों नहीं कार्रवाई होती है? आपकी इच्छा शक्ति कहां गई, कहीं न कहीं आप भी उसमें संलिप्त हैं ? यदि संलिप्त नहीं रहते तो 6-6 साल से जॉच हुआ और जॉच के बाद आपको हिम्मत नहीं है कार्रवाई करने की और आप संचिका लेकर बैठे हुए हैं, इससे और गंभीर बात क्या हो सकती है । आप कहेंगे सरकार है, सरकार में सुशासन है और शासन अपना काम कर रही है । यदि यही शासन काम कर रही है तो 6-6 साल से संचिका लेकर विभाग के आला लोग, सरकार बैठी हुई है फाईल लेकर, कहां पर सरकार की कमजोरी है, क्या कमजोरी है महोदय, क्यों नहीं कार्रवाई अभी तक की गई है ? अगर कार्रवाई नहीं की गई है तो निश्चित रूप से हम विभाग के आला लोग और सरकार इसमें संलिप्त है हम मानेंगे महोदय ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, नये हैं, कम बोलिए । तुम्हारे क्षेत्र की भी यह समस्या है ।

सभापति(डॉ0 अशोक कुमार) : आप आसन के तरफ होकर बोलिए ।

श्री ललित कुमार यादव : बैठे-बैठे माननीय सदस्य बोल देते हैं, वे अनुशासित रहें । पहली-पहली बार जीतकर आये हैं, वे थोड़ा सीखे, सिखना चाहिए महोदय ।

सभापति(डॉ0 अशोक कुमार) : सीख ही रहे हैं ।

श्री ललित कुमार यादव : हम कितनी गंभीर बात बोल रहे हैं और ये इतने हल्के ढंग से ले रहे हैं । हम गंभीर बात कह रहे हैं कि 6 साल से सरकार फाईल लेकर बैठी हुई है महोदय और अब इससे ज्यादा सदन में क्या कह सकता हूँ । सरकार कहीं न कहीं इसमें संलिप्त है । 6 साल से जॉच रिपोर्ट आया हुआ है सरकार के पास, वर्ष 2014-15 का मामला है ।

महोदय, इतना ही नहीं आज बाढ़ में सड़क टूटी है । बाढ़ में ग्रामीण पथ जो ग्रामीण कार्य विभाग का मुख्य सड़क है, आज हमलोगों के यहां लोग हाट-बाजार या प्रखंड मुख्यालय या जिला मुख्यालय आयेंगे या अपने पंचायत मुख्यालय आयेंगे महोदय, 10 दिन से ऊपर हो गया है, अभी तक ग्रामीण पथों की मरम्मती नहीं हुई है महोदय । लोगों का खाना-पीना दुर्भर हो गया है महोदय । अपने घर से लोग नहीं निकल रहे हैं, हाट-बाजार नहीं जा रहे हैं, प्रखंड मुख्यालय नहीं जा रहे हैं अपनी बात कहने के लिए, प्रखंड मुख्यालय के पदाधिकारी किसी गांव में नहीं जा रहे हैं । 10 दिनों से ऊपर हो गया और यह विभाग के पदाधिकारी और सरकार बैठी हुई है । महोदय, मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि जहां-जहां आपकी सड़क टूटी है, अविलंब उसका निर्माण कराईए । कम से कम उस सड़क को मोटरेबुल कीजिए ताकि लोग प्रखंड मुख्यालय एवं जिला मुख्यालय जा सके । दूसरा महोदय, यह सड़क टूटी है, क्यों टूटी है एक तो गुणवत्ता का अभाव है और दूसरा सड़क में यदि पुलिया की पर्याप्त व्यवस्था होती, सरकार यदि तकनीकी रूप से उसकी जॉच कराती और वहां पुलिया का निर्माण होता तब शायद नहीं लगता है कि वहां सड़क टूटती महोदय । हम सरकार से यह भी अनुरोध करेंगे आपके माध्यम से कि जहां-जहां आपको पुल, सड़क टूटी है, आप जॉच कराईए । यदि वहां पुल की आवश्यकता है तो 20 साल आगे का योजना लेकर जाईए ताकि बाढ़ में यदि पानी आये भी तो सड़क नहीं टूटे, आप इसको ध्यान में रखिए और आप इसको जॉच कराकर जहां-जहां टूटा है, यदि वहां पुल की आवश्यकता है तो आप वहां पुल बनवाईए।

महोदय, सरकार इतना संवेदनहीन है, अभी न तो विभाग के मंत्री हैं और न विभाग के कोई प्रधान सचिव हैं और न कोई पदाधिकारी हैं । आप महोदय, कह रहे हैं, सदन में बोलने से क्या होता है, यह प्रत्यक्ष प्रमाण है महोदय । जो भी अनियमितता होती है या किसी पर जॉच होती है, उसपर क्या कार्रवाई हो सकती है ? सरकार कितना संवेदनहीन है तो यदि सरकार संवेदनशील रहती तो पदाधिकारी भी रहते और विभाग के मंत्री भी, अब मंत्री जी आ रहे हैं ।

महोदय, हम कहेंगे कि सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए । इनका टेंडर होता है, 2 साल होता है, टेंडर होता है लेकिन कार्य समाप्ति नहीं होता है । यह क्यों नहीं निर्धारण करते हैं कि मेरा कार्य प्रारंभ होने की तिथि यह है और यह मेरा उद्घाटन और समाप्ति की भी तिथि यह होगी,

यह महोदय इसमें माननीय मंत्री जी को जॉच करनी चाहिए कि बिहार में कितने ऐसे सड़क हैं, जिसको दो साल से, तीन साल से निर्माण कार्य चल रहा है । क्यों नहीं महोदय उसका समापन हुआ, उसका आज उद्घाटन क्यों नहीं हो रहा है ?

महोदय, इनका अनुरक्षण नीति शायद विभाग ने लाया है तो ठीक है नहीं तो महोदय, हमलोगों का सुझाव है कि पथ निर्माण विभाग की तर्ज पर ग्रामीण कार्य विभाग का भी पथ का अनुरक्षण नीति लाना चाहिए और महोदय, ग्रामीण कार्य प्रमंडल, दरभंगा–1, वहां के कार्यपालक अभियंता को अभी इन्होंने पदस्थापन किया है । महोदय, पदस्थापन होते ही लम्बी छुट्टी में कहीं विदेश चले गये हैं तो हम सरकार के कार्यकलाप पर भी कहेंगे कि सरकार ऐसे लोगों को भेजे, स्वस्थ्य लोगों को भेजे, जो वहां पर कार्य करे । हमलोगों के इलाके में महोदय बाढ़ आया हुआ है । कार्यपालक अभियंता कोई काम नहीं कर रहा है तो महोदय, इनको चाहिए कि वैसे स्वस्थ कार्यपालक अभियंता को भेजे जिससे कि काम हो । महोदय, हम मनिगाछी पी0डब्लू0डी0 सड़क से रेफरल अस्पताल, आप जानते हैं कि रेफरल अस्पताल कितना बहुमूल्य होता है और मनिगाछी से रेफरल अस्पताल हम कह रहे हैं कि 2016 में टेंडर हुआ, आज हमलोग 2019 के आधा से भी ज्यादा समय बीत रहा है और जो 2016 में टेंडर हुआ, इनका तकनीकी कारण से या जिस कारण से हो, माननीय मंत्री जी को नाराजगी नहीं हो, तकलिफ नहीं हो तो कृपया अपने स्तर से संचिका खोजवा लेंगे, 2018 से इनके यहां लंबित फाईल है, जो एम0आर0 से भेज दिया और अब विभाग कह रहा है कि एमआर0 से नहीं होगा, नवार्ड से होगा । महोदय, 2018 से माननीय मंत्री के यहां लंबित है, माननीय मंत्री जी आप इसको देखवा लीजिए और बताईयेगा अगर हम गलत बात बोल रहे हैं तब । आप कितना विभाग के प्रति और सरकार के प्रति कितना जवाबदेह हैं । महोदय, हम एक छोटा सा उदाहरण देते हैं । 2016 में टेंडर हुआ, एग्रीमेंट हुआ और बाद में कहता है कि एम0आर0 से नहीं होगा, विभाग की तकनीकी गलती के कारण इसको नवार्ड में जाना चाहिए था । 2018 से जो विभाग में कार्यपालक अभियंता ने फाईल भेजा, माननीय मंत्री जी के यहां लंबित है, मैं चुनौती के साथ कहता हूँ कि इसको मंत्री जी देखवा लें । इसी से पता चलता है कि सरकार कितना सचेत है महोदय और सरकार कहती है कि सुशासन है और सुशासन अपना काम करेगी तो ऐसा सुशासन बिहार की जनता को नहीं चाहिए । बहुत सारे सड़क हैं हमलोगों के

क्षेत्र में । हम माननीय मंत्री जी से भी यह अनुरोध किये थे, सकरी रेलवे स्टेशन, यह जंक्शन है महोदय और वहां से सकरी चीनी मिल, बैंक सारा रास्ता है, मात्र 600मीटर है। हम माननीय मंत्री जी को पत्र भी दिया है और अनुरोध भी किया है, विभाग को भी अनुरोध किया है लेकिन बड़ा दु:ख होता है महोदय, इतना महत्वपूर्ण सड़क हो और 600मीटर मात्र मिसिंग लिंक हो, ऐसे सड़क का सरकार निर्माण नहीं करा रही है तो आप कहां निर्माण कराईयेगा, आप कौन सा काम करना चाहते हैं ? आपका यही उपलब्धि है । महोदय, हम माननीय मंत्री जी से एक और सड़क के बारे में अनुरोध किये थे, जो फोरलेन सड़क है । फोरलेन से एक सड़क है जो मात्र 400मीटर है मिसिंग लिंक, मनिगाछी रेफरल अस्पताल, मनिगाछी स्वास्थ्य केन्द्र, मनिगाछी प्रखंड, अंचल यानी सारे प्रमुख जो सरकार की संस्था है, उसका मिसिंग लिंक है, मात्र 400 मीटर है, उससे भी कम होगा, इस संबंध में भी सरकार से अनुरोध किये हैं और हम विभाग के आला अधिकारी से भी अनुरोध किये हैं, लेकिन महोदय सरकार का क्या काम है, सरकार कौन सा सड़क निर्माण करना चाहती है, अब जनहित के इससे बड़े कौन सड़क होंगे, जब इस सड़क का निर्माण सरकार कराने में अक्षम है तो हम समझते हैं कि सरकार कहीं न कहीं अक्षम है महोदय, इस सरकार को एक मिनट भी अपने पद पर और सरकार में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है ।

..... क्रमश: .....

टर्न-13/शंभु/23.07.19

श्री ललित कुमार यादव : क्रमश:....यदि जनता के हित में सरकार काम करना चाहती है, जन सरोकार का काम करना चाहती है- आप जॉच करा लीजिए, यदि मैं गलत कह रहा हूँ- जो आपके थाना को जोड़ता हो, जो आपके ब्लॉक को जोड़ता हो, जो आपके हास्पीटल को जोड़ता हो । आप कौन सी सड़क बनाना चाहते हैं, किस गांव का संपर्क पथ बनाते है ?

सभापति(डा0 अशोक कुमार) : अब कन्कलुड कीजिए ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, एक मिनट । मैं माननीय मंत्री जी से एक अनुरोध और करना चाहूंगा आपका दो-दो साल से आचारसंहिता से पहले टेंडर हुआ और आज आचारसंहिता समाप्त हुए तीन माह हुआ है और आचारसंहिता से छ: माह पूर्व टेंडर हुआ था । यानी साल भर करीब-करीब होने जा रहा है । जो टेंडर हुआ है, पुन: टेंडर नहीं होने जा रहा है, सरकार की क्या संवेदनशीलता है ।

सभापति(डा0 अशोक कुमार) : अब समाप्त किया जाय ।

श्री ललित कुमार यादव : यह सरकार संवेदनहीन नहीं है तो और क्या है । सरकार को अपने पद पर एक मिनट भी बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है ।

सभापति(डा0 अशोक कुमार) : अब समाप्त करें ।

श्री ललित कुमार यादव : इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ । आपने समय दिया इसके लिए आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ ।

सभापति(डा0 अशोक कुमार) : माननीय सदस्य श्री प्रभुनाथ प्रसाद ।

श्री प्रभुनाथ प्रसाद : माननीय सभापति महोदय, हमें ग्रामीण कार्य विभाग के कटौती प्रस्ताव के विरोध में और विभाग के पक्ष में बोलने का मौका मिला है । इसके लिए मैं सदन को और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को, उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी को, संसदीय कार्य मंत्री श्री श्रवण कुमार जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ । सभापति महोदय, जब विषम परिस्थिति में 2005 में माननीय मुख्यमंत्री जी से सत्ता संभाली तो उन्होंने बिहार के विकास के लिए हर तरह से सभी योजनाओं को देखते हुए हर क्षेत्र में विकास के लिए संकल्पित हुए । महोदय, अगर किसी राज्य का विकास करना हो तो शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क महत्वपूर्ण चीज होता है । इसके सुधार से ही, इसके निर्माण से ही राज्य का विकास होता है । महोदय, हमारे बिहार के लोग पहले दूसरे राज्यों में जाते थे तो बिहारियों के नाम पर गाली सुनते थे और इतनी शिकायतें होती थी- हमारे गांव घर के बच्चे, भाई कमाने के लिए जाते थे तो वहां पर बिहारी के नाम पर गाली सुनते थे कि जाओ तुम्हारे बिहार राज्य में कुछ नहीं है। यह किसी से छिपा हुआ नहीं है । उसी को लेकर जब मुख्यमंत्री जी बिहार के विकास का कल्पना किया तो सबसे पहले रोड पर ध्यान दिया और उन्होंने अपना एक कंसेप्ट तैयार किया जिसमें उन्होंने रखा कि बिहार के हर कोने से पटना आने में कम से कम चार घंटे में पटना राजधानी में चले आये । महोदय, जब श्रेणी-1 और 2 के रोड बन गये और मुख्यमंत्री जी का सपना साकार हो गया तो उन्होंने अब गांव के तरफ ध्यान दिया। महोदय, गांव के विकास से ही शहर का विकास, राज्य का विकास होता है । आज जिस तरह से हमलोग पक्की सड़क पर चलते हैं, मुख्यमंत्री जी की सोच रही कि गांव के लोग भी पक्की सड़कों पर चलें । इसी के तहत रोड मैप तैयार किया गया । आज ऐसी स्थिति बनी कि सड़कों के विकास के लिए जो गांव-देहात के लोग कीचड़ में चलते थे, जो सपने में भी नहीं सोचते होंगे कि हमारे गांव में भी रोड आयेगा ।

जिस तरह बिजली के बारे में उन्होंने नहीं सोचा था कि बिजली गांव देहात में इतनी रहेगी, उसी तरह हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग रोड को देखकर बहुत ही उत्साहित हैं । महोदय, मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूँ । मैं भोजपुर जिले के अगियांव क्षेत्र से आता हूँ । हमलोग आरा से गड़हनी की दूरी मात्र 20 कि0मी0 है, जाते थे तो समय तीन घंटा लगता था और पता ही नहीं चलता था कि कितना गड्ढा है, किधर से गाड़ी निकालें और मैं चारपहिया गाड़ी छोड़कर आरा से गड़हनी का सफर तय करता था, इतनी बदतर स्थिति थी । महोदय, आज देखिये बिहार के किसी कोने से आइयेगा तो चार घंटे में पटना के तरफ आप आ सकते हैं । महोदय, गांवों में जो रोडमैप तैयार किया गया तो मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को लाया गया । इसकी शुरूआत 2013-14 में हुआ- इसमें जो लोग दलित हों, महादलित हों, पिछड़े हों, अति पिछड़े हो उनको गांवों के तरफ, टोले के तरफ जाइयेगा तो उनके टोले-मोहल्ले में रोड नाम का चीज नहीं था, रोड क्या कहलाता है वे लोग नहीं जानते हैं । आज इतने उत्साहित हैं दलित के बच्चे, महादलित के, अति पिछड़े के जैसे- शहर और टाउन के लोग जूता पहनकर बाहर घूमते हैं उसी तरह से अपने दरवाजे से बाइक पर चढ़कर और टाउन में बाजार करने के लिए आते हैं । यह माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की देन है । यह बिहारियों के लिए गर्व की बात है । महोदय, आज बिहार ही नहीं देश के स्तर पर बिहार का नाम रोड के लिए जाना जाता है । पहले हमलोग झारखण्ड जाते थे और जब झारखण्ड अलग हुआ तो वहां का रोड देखकर लोग कहते थे कि यह झारखण्ड का रोड है और जब टूटीफूटी सड़कें मिलती थी तो कहा जाता था कि बिहार में आ गये, लेकिन आज उल्टा यदि बढ़िया रोड मिलता है तो बिहार कहलाता है और टूटाफूटा रोड मिलता है तो दूसरे स्टेट का नाम आता है । महोदय, ग्रामीण क्षेत्र में जो रोड का काम हो रहा है मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत- मुख्यमंत्री जी ने सोचा कि जहां ढाई सौ से 499 तक की जहां की जनसंख्या है अर्थात् 500 से जहां कम जनसंख्या है उस टोले को भी उन्होंने जोड़ने का काम किया । जब बारहमासी सड़कों को जोड़ने के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 में 13 हजार कि0मी0 ग्रामीण सड़कों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है और अप्रील से जून तक 326.5 कि0मी0 पथों का रिमार्क कराया गया है । यह अपने आप में एक रेकार्ड है । इसके बाद प्रधानमंत्री सड़क योजना के द्वारा भी सड़कों का निर्माण किया गया है। महोदय, जहां तक गुणवत्ता की बात है तो हमारे क्षेत्र में सभी सड़कें इतनी

अच्छी है कि 3-4 सालों से जब से हम विधायक बनकर आये हैं तब से अभी तक सड़क की कहीं शिकायत नहीं मिली है । इसके बाद ग्रामीण टोला संपर्क योजना जो शुरू किया गया है इसमें ढाई सौ से नीचे के जितने भी बसावट हैं उन टोलों को भी जोड़ने का काम किया गया है । यानी मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि जो भी बिहार का टोला है, जो बसावट है, कोई टोला, बसावट रोड से अछूता न रहे सभी को रोड से जोड़ दिया जाय और हमारे बिहार के लोग आएं। महोदय, रोड एक ऐसा साधन है जहां से स्वास्थ्य का क्षेत्र हो उसमें उपलब्धि मिलती है, व्यवसाय हो या जो भी हो । जैसे विकास का सर्वांगीण दरवाजा रोड खोलता है इसलिए रोड की महत्ता बहुत ज्यादा होती है । मैं खासकर कहना चाहता हूँ कि जो भी कटौती के प्रस्ताव में बोलते हैं, मैं चाहूंगा कि पुरानी परिपार्टी को छोड़कर बजट में और पैसा जोड़ने की बात की जाय । हमलोग जिस परिपार्टी को ढोते जा रहे हैं उस परिपार्टी को खतम करके एक सार्थक राजनीति तैयार की जाय ताकि जो विरोध करने की प्रवृत्ति है वह समाप्त हो और बिहार के विकास में सभी लोग अहम भूमिका निभा सकें और बजट में जो मिला है उसमें और राशि जोड़ने की ये बात कहें ताकि हमारा मंत्रालय, हमारे मुख्यमंत्री जी और पैसा का व्यवस्था करके उस रोड के गुणवत्ता में और सुधार करके बढ़िया से बढ़िया रोड का निर्माण करायें । महोदय, अभी तक 2016-17 में ग्रामीण टोला संपर्क योजना का शुरूआत किया गया ।

क्रमशः

टर्न-14/ज्योति/23-07-2019

क्रमशः

श्री प्रभुनाथ प्रसाद : इससे लगता है मुख्यमंत्री जी हमेशा सोचते रहते हैं कि एम.एम.जी.एस.वाय, पी.एम.जी.एस.वाय. के बाद जो भी टोला छूटे हुए हैं उसको कैसे जोड़े, कैसे उसमें सुधार करें, कैसे उसमें प्रगति हो और उसमें जब कोई त्रुटि दिखायी देती है तो उसके लिए नयी स्कीम जोड़ कर उस स्कीम को चालू किया जाता है ताकि एक भी जनता, एक भी बिहार के वासी, उस रोड से अछूते न रहे । अभी वित्त मंत्री जी कल परसों बयान दे रहे थे कि अगर बिहार में सबसे ज्यादा बिक्री होती है तो मोटरसाईकिलों की तो इससे स्पष्ट होता है कि जिनका लिविंग स्टैण्डर्ड कम है वे भी अपने घर में मोटरसाईकिल रखे हुए हैं और रोड का इस्तेमाल कर रहे हैं और रोड के द्वारा अपने घर के सभी कार्य को संपन्न करते

हैं । महोदय, 2016-17 के सर्वेक्षण में प्रावधान है कि 4643 सम्पर्क विहीन टोलों को उसमें खोजा गया जिसमें ..

सभापति(डा0 अशोक कुमार): समाप्त कीजिये अब ।

श्री प्रभुनाथ प्रसाद : 5 वर्षों में इनको जोड़ने का लक्ष्य है । 2019-20 में 2656 टोलों को जोड़ने के लिए 1913 कि.मी. सड़क बनाकर जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।

सभापति(डा0 अशोक कुमार): प्रभुनाथ जी अब समाप्त कीजिये ।

श्री प्रभुनाथ प्रसाद : मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि जो हमारे क्षेत्र में तेतरिया रोड में पुल के लिए मैंने भी गैर सरकारी संकल्प दिया था उसको प्राथमिकता के आधार पर बनाया जाय और हमारे क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किया जाय । बहुत बहुत धन्यवाद ।

सभापति (डा0 अशोक कुमार): माननीय सदस्य श्री संजीव चौरसिया ।

श्री संजीव चौरसिया : सभापति महोदय, प्रथम अनुपूरक बजट के समर्थन और कटोती प्रस्ताव के विरोध में खड़ा हुआ हूँ । निश्चित तौर पर हमलोग जो प्रत्यक्ष रुप से देख रहे हैं कि बिहार का विकास और पैमाना जिस ओर आज जा राहा है और यह मानते हैं कि बिहार ऐसा एक राज्य है कि जो देश ही नहीं अपितु पूरे विश्व में एक मानस माप दंड को लगातार पूर्व में भी किया है और वर्तमान में 15 वर्षों से लगातार अपने पैमानों को छूते हुए आगे बढ़ रहे हैं । यह ऐसी धरती है बिहार, तीन जननी के धर्मों के पालन के जैन, सिख, बौद्ध की दृष्टि से तो स्वाभाविक रुप से एक महत्ता और पहचान बिहार की सब तरफ से है । मन का भाव जाग्रत होता है, लोगों के मन में रहता है कि इस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ और उस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ पर सोचने पर यह बात और स्पंदन और हृद्य से जब सोचेंगे तो बिहार का सर्वांगीण विकास हुआ है वह इस बात का द्योतक है कि शहर के साथ साथ ग्रामीण विकास की भावना उसी प्रकार रही है कि शहरों के विकास जब देखते हैं तो जगमगाती हुई पटना की सड़कों को देखते हैं, पुल पुलिया का और सड़कों का निर्माण देखते हैं तो मन का हौवा ग्रामीण परिवेश का भी व्यक्ति जब शहर में आता है तो उनका भी लगता है कि मेरा भी विकास हुआ है तो पटना का भी विकास हुआ है । यह मन का भाव है कि गांव का विकास और शहर का विकास सर्वांगीण है । केवल पटना का विकास, भागलपुर का विकास, मुजफ्फरपुर का विकास नहीं बल्कि माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जब सोचते हैं तो टूरिज्म की अगर बात होती है तो वाल्मिकी नगर में ग्रामीण क्षेत्र में जाकर, वहॉ भी टूरिज्म का इको टूरिज्म कैसे

बढ़े उसका भी विचार होता है । अगर भाव करते हैं तो बसावटों में बसा हुआ केन्द्र बिन्दु ग्रामीण परिवेश का वहॉ भी कैसे भाव का विकास हो, यह विचार सरकार करती है तो जबतक सर्वांगीण विकास का रेखांकित करके बिहार का विकास नहीं सोच सकते हैं तबतक बिहार आगे नहीं बढ़ सकता है यह भाव है सरकार का और इस भाव को हमको आगे बढ़ाने की जरुरत है तो जो सड़कों की बात है, सड़कों तक ही सीमित रहेंगे तो सड़कों के आंकड़े भाई साहेब ने दिया है सड़कों के आंकड़ों पर जायेंगे तो वैसे सड़कों के आंकड़े अपने पास हैं और सड़कों के निर्माण और पुलों का निर्माण लगातार बिहार में हुए हैं और मेंटेनेंस पॉलिसी के तहत उसको रेगुलेट करने की भी बात है । आज हमको उससे और आगे बढ़ने की बात है कि सड़कों के निर्माण की योजना को सरकार आगे नहीं बढ़ा सकती है और जब सरकार सोच रही है कि 14 मेडिकल कॉलेज होने चाहिए तो स्वाभाविक रुप से किनके लिए ? ग्रामीण परिवेश के लोग भी वहॉ आयेंगे, सुदूर जहॉ नहीं आ सकते हैं, जो पटना नहीं आ सकते हैं, भागपुर में नहीं आ सकते हैं, अलग अलग मधेपुरा ऐसे ऐसे ग्रामीण परिवेश की काफी बड़ी संख्या हैं जहॉ ग्रामीण परिवेश के लोग आ सकते हैं उनके बारे में विचार किया गया है तो सबसे बड़ी बात जो इस राज्य के अंतर्गत आज हमें सोचने की आवश्यकता है । अगर हम लोहिया स्वच्छता मीशन की दृष्टि से सोचेंगे तो यह भी हम को करना है कि ओ.डी.एफ.की दृष्टि से कितने स्वच्छता के दृष्टि से सफल हो सके हैं और ग्रामीण युवाओं को अगर हुनर बढ़ाने की बात करेंगे तो ग्रामीण हुनर की बात बिहार के युवाओं को आप आगे बढ़ाने का काम करेंगे तो बिहार के बिहारीपन का हुनर कहीं से कही दिखा सकता है, चाहे वह देश हो या विश्व हो । वह ग्राम क्षेत्र गांवों का युवा इसमें ज्यादा आगे बढ़कर कर सकता है । आज इस बात का द्योतक है कि आज 2018-19 के अबतक कुल लगभग ढाई लाख युवकों ने जो प्रशिक्षित करके नियोजन की दकष्टि से आगे बढ़ने का काम है, वह इस बात की प्रमाणिकता है आज प्रधानमंत्री जीवन ज्योति, प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा के तहत जो 12 लाख 76 हजार सदस्यों का बीमा कराया गया है वह इस बात का द्योतक है ऐसे बहुंत उदाहरण अपने को मिलेंगे कि ओ.डी. एफ. से लेकर सड़कों से लेकर स्वच्छता अभियान की दृष्टि से जो ग्रामीण विकास की दृष्टि से जो आगे बढ़ाने का काम किए हैं उसकी एक प्रमाणिकता है। हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर इंदिरा आवास की दृष्टि से जब आगे बढ़ेंगे तो बिहार कहीं पीछे नहीं है । बिहार बढ़ते हुए कदम को लगातार इंदिरा

आवास की दृष्टि से इतने आवासों को 1 लाख 27 हजार 505 आवासों को भी पूर्ण करवाने का काम बिहार सरकार के द्वारा हुआ है । ऐसे अनेक क्षेत्रों को हम आगे बढ़ाने का काम किए हैं और जैसा हमने बताया कि बिहार के परिप्रेक्ष्य में लगातार अलग अलग क्षेत्रों का जब विचार करते हैं बिजली का जब विचार करते हैं तो केन्द्र और राज्य के समायोजन से आज कोई भी घर अछूता नहीं है कि जो आगे तक रोशनी की दिशा को देखने के लिए तत्पर नहीं है । आज कहीं भी रहें, आज हम भी इस बात को बहुत ही सुखी क्षण है कि मेरा जो दीधा विधान सभा क्षेत्र है हम भी जब देखते थे लगता था कि नकटादियरा पंचायत में वहाँ रोशनी नहीं होती थी तो गंगा के इस तरफ वर्षों वर्ष वास कर रहे हैं और गंगा के उस तरफ रोशनी नहीं है और जब उस तरफ खड़े होते हैं और जब इस तरफ खड़े होते हैं तो दोनों तरफ रोशनी की जो झलमलाहट है वह इस सरकार की देन है कि जगह जगह पर हर घर को बिजली कैसे पहुंची है इस बात का द्योतक है तो स्वास्थ्य हो शिक्षा हो सड़क हो सभी पैमाने पर ग्रामीण दृष्टि से भी हम आगे बढ़ाने का काम किए हैं । वैसे शिक्षा के पैमाने पर देखेंगे तो माध्यमिक दृष्टि से भी जो शिक्षा के अलग अलग पंचायतों में जो सरकार ने समायोजन की दृष्टि से इस बात को आभास किया है कि हमको शिक्षा के दृष्टि से भी आगे बढ़ाने का काम करना है और हम उसको लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। बेटियों के उत्थान के दृष्टि से ग्रामीण परिवेश में कि बेटियों की अलग अलग प्रकार से जो योजनाएं हैं प्रोत्साहन राशि देते हैं 25 हजार से लेकर और जिस प्रकार से बेंटियों का जन्म होता है उस समय से लेकर पढ़ाई तक की जितनी योजनाएं सरकार की बनी है उन परिवेशाों के उत्थान के लिए भी, महिला उत्थान के लिए भी तो सरकार के आयामी कदम जो सरकास के लगातार रहे हैं उन कदमों को अगर देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे लक्ष्य को हम आगे बढ़ाने का काम किए हैं । आपके माध्यम से आज यह भी बताना चाहेंगे कि सड़कों की जो अलग अलग हालत बयान कर रहे हैं आज उनको भी देखना चाहिए कि सरकार ग्रामीण सड़कों को जिस प्रकार से आगे बढ़ाने का काम किए उस लक्ष्य को सुशोभित करने की हमको आवश्यकता है, इसके लिए आज उससे भी बड़ी बात यह है कि कौमन सर्विस सेंटर के माध्यम से ग्रामीण परिवेश में जो केन्द्र और राज्य ने मिलकर आई.टी. सेक्टर में आगे बढ़ाने का काम किया है न्यू डायमेंशन में कि पढ़ी हुई महिलाएं नहीं रहे केवल कम्पयुटर के मौउस से भी जानकारी देना चाहेगी तो कर लो दुनिया मुठ्ठी में इस आधार पर चल रही है कि लाखों

लोग लाखों लाख महिलाएं ग्रामीण परिवेश में कौमन सर्विस सेंटर के माध्यम से कमा रही हैं। आज इस बात को सभापति महोदय, जानने की आवश्यकता है कि आई.टी. से लेकर विज्ञान से लेकर, सभी क्षेत्रों को इस सरकार ने आगे बढ़ाने का काम किया है तो सर्वांगीण दृष्टि से जो बिहार के परिप्रेक्ष्य में जब आगे बढाने की बात होती है तो स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा सेवा और आई.टी. इन सब क्षेत्रों में आगे बढ़ने का काम हुआ है और इसलिए आज इस बात प्रस्ताव को सबसे बड़ी बात है कि हम मानते हुए आगे बढ़ाने का काम करेंगे अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने पैमाने ग्रामीण क्षेत्र के विकास के बिना हम विकास के संभव को निश्चित तौर पर अपनी परिकल्पना को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं इसलिए सभी क्षेत्रों को आगे बढ़ाने का काम किए हैं और ''अपने हुनर को हम तैरते हुए जानते हैं पतवार का इंतजार करना नहीं जानते हैं अपने बाजुओं को हमको तैरते हुए जाना है आगे बढ़ते हुए जाना है ।'' बहुत बहुत धन्यवाद ।

सभापति(डा0 अशोक कुमार) : माननीय सदस्य श्री लाल बाबू राम । 7 मिनट ।

श्री लाल बाबू राम : सभापति महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग पर कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हूँ और आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए आभार प्रकट करते हैं । हम अपने नेता मुख्य सचेतक माननीय श्री ललित बाबू का आभार प्रकट करते हैं । मुझे पार्टी की तरफ से समय देकर और अपने नेता तेजस्वी बाबू को आभार प्रकट करते हैं कि मुझे सदन में बोलने का मौका दिए।

टर्न-15/23.07.2019/बिपिन

श्री लाल बाबू राम: क्रमशः महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग है । यह जनता से जुड़ा हुआ विभाग है । जिस तरह से मनुष्य को आगे बढ़ने में शिक्षा का महत्व है इसी तरह से आज देश और समाज के विकास में सड़क का बहुत बड़ा महत्व है और यह विभाग जनता से जुड़ा हुआ विभाग है । मैं बात करना चाहता हूं कि आज जितना महत्वपूर्ण विभाग है इसके अनुसार सरकार गंभीर नहीं है । आज भी सड़कें नहीं बने हैं । आज भी गरीबों के दरवाजे तक रोड नहीं है, जबकि सरकार की योजना है कि हर घर तक पक्की गली, नली और सड़क का निर्माण करना है लेकिन सब अधूरा है, फाइल में दबा है । महोदय, इस विभाग में सरकार की नीति ठीक नहीं है, नीयत ठीक नहीं है, पदाधिकारी लापरवाह हैं जिसके कारण आज लोगों का विकास नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है । महोदय, हम बताना चाहेंगे कि जब विधान

सभा में हमलोग जीतकर आए तो कई ऐसे सड़कें थी जिनको बनाना बहुत जरूरी था। हमलोग वादा किए थे, हमलोग जाते थे क्षेत्र में घूमने के लिए तो लोग बोलते थे कि विधायक जी अगर आप जीत गए तो हमारा यह सड़क बनवा दीजिए, हमारे दवाजे का रोड, गांव का रोड बना दीजिएगा । हमने वादा किया कि बनाएंगे । जब आकर देखा तो पता लगा कि जिस रोड का अनुशंसा दे रहे हैं, वह तो कोर नेट वर्क में नहीं है । तो फिर माननीय मंत्री जी से बात किए कि कैसे बनेगा, कैसे सुधार किया जाएगा तो इन्होंने मांग किए हमलोग से कि लिखित में दीजिए, दिए भी । एक बैठक भी हुई थी विश्वसरैया भवन में जिसमें हमलोग शामिल हुए । हमलोग लिखकर दिए लेकिन वह अभी तक नहीं जुड़ा तो । ऐसे बहुत से महत्वपूर्ण सड़क हैं जो कोर नेट वर्क में नहीं रहने के कारण नहीं बने ।

महोदय, हम बताना चाहते हैं कि सरकार ने घोषणा किया था कि मुख्यमंत्री टोला संपर्क पथ बनाया जाएगा । मुख्यमंत्री टोला संपर्क पथ में हमलोगों से अनुशंसा मांगा गया । हमलोग अनुशंसा दिए लेकिन एक भी सड़क नहीं बना है । हमलोग जब पूछते हैं विभाग से तो कहते हैं बन जाएगा, बन जाएगा । तो यह हाल है। कहीं नहीं बना है । जिस तरह हमलोग अभी गांव में, क्षेत्र में भ्रमण करते हैं तो अभी विशेष तौर पर कुछ नहीं मांगते हैं । वे लोग कहते हैं कि हमारे टोला वाला सड़क बना दीजिए, हमारे टोला वाला सड़क को बना दीजिए लेकिन सरकार के पास जो योजना है उसके अनुसार काम नहीं हो रहा है, पदाधिकारी काम नहीं कर रहे हैं ।

महोदय, एक बात है कि अनुसूचित जाति टोला संपर्क पथ, यह 2003 में योजना बना था कि अनुसूचित जाति टोला में, अधिकतर टोला में सड़क नहीं है तो अनुसूचित जाति टोला संपर्क पथ के नाम से एक योजना चला जिसके तहत जमीन का अधिग्रहण करके बनाना था लेकिन महोदय, इसमें 2011 में संशोधन किया गया कि सभी अनुसूचित जाति टोला में हम संपर्क पथ बनाएंगे लेकिन यह योजना फाइल में दब कर रह गया है । महोदय, सरकार एक भी उदाहरण नहीं दे सकती है कि हम अमुक-अमुक प्रखंड या पंचायत में अनुसूचित जाति टोला में भूमि अधिग्रहण करके रोड बनाने का काम किए हैं ।

महोदय, हम बताना चाहते हैं कि सकरा विधान सभा में मुरौल और सकरा प्रखंड है, वहां पर 82 टोला का हमनें सूची दिया कि इस टोला में संपर्क पथ बनाना चाहिए । उसमें भूमि अधिग्रहण करना पड़ेगा लेकिन महोदय, जब वह हमलोग बताए तो कहे कि अंचलाधिकारी को जाकर दीजिए । अंचलाधिकारी को जाकर जब दिया तो उन्होंने कहा कि अधिग्रहण के लिए भेज दिए हैं । टोला के लोग, गांव के

लोग उस टोले के संपर्क पथ के लिए प्रखंड से लेकर जिला तक भूमि अधिग्रहण विभाग, ए0सी0 के यहां तक हमलोग भू–अर्जन विभाग तक जाने का काम किए । कहीं भी एक भी रोड नहीं बना । हम डी0एम0 से बात किए, सरकार के मंत्री जी से बात किए, वरीय पदाधिकारी से बात किए कि क्यों नहीं बना रहा है ? अधिग्रहण में क्या प्रक्रिया है ? तो उन्होंने कहा कि दे दीजिए, हम जांच कराकर अधिग्रहण कर लेंगे लेकिन सकरा विधान सभा में 82 सड़क में से एक भी रोड अधिग्रहण करके अनुसूचित जाति टोला पथ नहीं बनाया गया । इस ओर हम आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकृष्ट कराते हैं कि कम–से–कम सकरा विधान सभा पूरे बिहार में इस तरह का प्रॉबलंब है, इसपर ध्यान देकर अनुसूचित जाति टोला जो अभी तक मुख्य सड़क से कटा हुआ है, हम समझते हैं बिहार में अधिकतर अनुसूचित जाति टोला जो है वह मुख्य सड़क पर नहीं है । वह किसी बीच गांव में बसा हुआ है जहां रोड नहीं है तो इसपर विश्शेष ध्यान देकर अनुसूचित जाति टोला पथ बनाने का काम करेंगे ।

महोदय, दूसरी बात कहना चाहते हैं, जब कभी काम होता है मुख्यमंत्री सड़क योजना से, प्रधानमंत्री सड़क योजना से...

सभापति (डॉ0 अशोक कुमार) : अब समाप्त कीजिए ।

श्री लाल बाबू राम : महोदय, क्षेत्र का हमलोग शिकायत करते हैं पदाधिकारी से कि अमुक रोड जो ठीकेदार बना रहा है वह बहुत ही खराब बना रहा है तो हमलोग जब डी.एम. को लिखकर देते हैं, हम वरीय पदाधिकारी को लिखकर देते हैं तो देखते हैं कि पदाधिकारी ठीकेदार से मिलकर, जिसका शिकायत करते हैं, उसके राशि का भुगतान पहले हो जाता है ।

सभापति (डॉ0 अशोक कुमार) : अब समाप्त कीजिए ।

श्री लाल बाबू राम: हमलोग जब इसपर ऑब्जेक्शन किए कि बिना जांच किए कैसे भुगतान कर दिए तो कहते हैं कि ठीक है इसको हमलोग रिपेयरिंग करवा देंगे, हम तो भुगतान कर दिए । तो यह ठीकेदार और पदाधिकारी के मिली भगत से यह जो सड़कें अभी बन रही हैं उसमें गुणवत्ता के मानक के अनुसार काम नहीं हो रहा है ।

सभापति (डॉ0 अशोक कुमार) : अब समाप्त कीजिए ।

श्री लाल बाबू राम: महोदय, हम चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी पदाधिकारी को आदेश करें कि मानक के अनुसार काम करें ।

सभापति (डॉ0 अशोक कुमार) : अब समाप्त कीजिए ।

श्री लाल बाबू रामः महोदय, एक रोड है बूढ़ी गंडक, सड़क है, बूढ़ी गंडक बांध-सह-सड़क है जो मुजफ्फरपुर अखाड़ा घाट पुल से लेकर मुशहरी होते हुए मुरौल होते हुए ढोली बलुआ घाट होते हुए समस्तीपुर सीमान तक जाती है । पांच साल पहले उस सड़क के निर्माण का प्रक्रिया शुरू हुआ । आज तक वह पूरा नहीं किया गया । ठीकेदार क्या किया है कि बांध पर से दो फीट से लेकर पांच फीट मिट्टी काट कर नीचे गिरा दिया है । अब गत वर्ष भी मुशहरी में टूट गया जो पूरे मुजफ्फरपुर दह गया था । इस बार भी बूढ़ी गंडक में बाढ़ आ गया है । हमलोग क्षेत्र के लोग भयभीत हैं कि रोड तो बना नहीं, न मिट्टी दिया, किसी भी क्षण वह बांध टूट जाएगा ...

सभापति (डॉ0 अशोक कुमार) : अब समाप्त कीजिए । हो गया । धन्यवाद ।

श्री लाल बाबू रामः महोदय, एक मिनट कहने दिया जाए । गत् वर्ष बाढ़ जो आया, इस बाढ़ में बहुत महत्वपूर्ण सड़क सकरा का टूट गया जिसका मरम्मत आज तक नहीं किया गया है तो आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करते हैं कि जितने भी बांध में रोड है...

सभापति (डॉ0 अशोक कुमार) : अब समाप्त कीजिए ।

श्री लाल बाबू रामः टूट गए हैं उनको मरम्मती कार्य किया जाए ।

महोदय, एक एन.एच.- 28...

सभापति (डॉ0 अशोक कुमार) : अब समाप्त कीजिए ।

श्री लाल बाबू रामः महोदय, एन.एच.-28 पीपरी चौक से केसोपुर सीरादाबाद सिमान तक बहुत महत्वपूर्ण सड़क है । सकरा विधान सभा के दक्षिणी क्षेत्र का यह बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सड़क है जो आज भी जर्जर स्थिति में है । सोलिंग 1990-91 में हुआ । उसपर कभी रिपेयरिंग का काम नहीं हुआ तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से मांग करते हैं कि उक्त सड़क को निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री सड़क योजना में बनाई जाए ।

महोदय, कटेसर पंचायत में पासवान टोला से संजय मुखिया के घर तक जो सड़क है उसपर आजतक सोलिंग भी नहीं है, बहुत जर्जर है, इम्पौंटेंट रोड है, कई पंचायतों को वह जोड़ने का काम करती है । इसीलिए मुख्यमंत्री सड़क योजना से उसको बनवाने का काम करेंगे ।

महोदय, रक्सा में संतोष चौधरी के घर से बसतपुर कुशवाहा टोला तक एक सड़क है जो बहुत ही इम्पौंटेंट है इसको बनवाने का काम करेंगे ।

महोदय, सकरा विधान सभा में तीन मुख्य नदी गुजरती है ....

सभापति (डॉ0 अशोक कुमार) : आपको और कितनी देर बोलना है ?

श्री लाल बाबू रामः महोदय, तीन मुख्य नदी गुजरती है - एक बेलूर नदी, कदाने नदी और जमुआरी नदी और यह तीनों नदी से कई महत्वपूर्ण सड़क घाट पार करके जाना पड़ता है । तो महोदय, हम मांग करते हैं माननीय मंत्री जी से कि कटेसर घाट और सामपुर घाट और बेरूआडीह घाट को बनवाने का काम करे सरकार । तीनों घाट पर पुल अगर बन जाता है तो जो सकरा प्रखंड मुख्यालय में जाने के लिए जिसको अगर पुल बन जाने से तीन किलोमीटर की दूरी पड़ेगा, अभी यह पुल नहीं होने से 10 कि0मी0 की दूरी होकर घूमकर जाना पड़ता है...

सभापति (डॉ0 अशोक कुमार) : अब समाप्त कीजिए । माननीय सदस्य श्री हेम नारायण साह।

श्री हेम नारायण साह : माननीय सभापति महोदय, आज हम ग्रामीण कार्य विभाग के पक्ष में और गांव के विकास के पक्ष में बोलने के लिए खड़े हुए हैं ।

महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है । जब तक गांव का विकास न हो, विकास का बात करना बेइमानी होगा । तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी गांव का विकास किए हैं .... क्रमशः ....

टर्न : 16/कृष्ण/ 23.07.2019

श्री हेम नारायण साह (क्रमशः) : आज गांवों में जितने सड़क बने हुये हैं, हमको लगता है कि हमारे किसान भाई जितना फसल ऊपज करते हैं, जितनी शब्जी ऊपज करते हैं उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत सहूलियत हो रही है रोड के बन जाने से, सड़कों के बन जाने से । हमको लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जो बिहार का विकास किये हैं और कर भी रहे हैं वे काबिल-ए-तारीफ है । सभापति महोदय, आज भारत में सबसे ज्यादा अगर 2018-19 में रोड बना है, सड़कें बनी हैं तो बिहार में ही बने हैं जिसका जीता-जागता प्रमाण है कि बिहार पुरस्कृत हुआ है कि बिहार में सबसे ज्यादा रोड बना है । हम धन्यवाद देंगे माननीय मंत्री जी को कि अपने पसीने से, इतना मिहनत करके जो रोड बनवा रहे हैं, सड़क बनवा रहे हैं, यह कहने की बात नहीं है । हम सब देखते हैं । जैसे हमलोग ही सीवान से पहले आते थे तो 8-9 घंटे लगते थे लेकिन आज स्थिति बदली हुई है, परिस्थिति बदली हुयी है, हमलोग दो-ढाई घंटे में घर से यहां आ जाते हैं । तो इसका मतलब है कि बिहार विकास कर रहा है, बिहार में रोड बन रहा है और गांवों कें भी आप हर जगह देखेंगे, पहले हमलोग कच्ची सड़क पर चला करते थे, परेशानी थी एक जगह से दूसरी जगह जाने में, कोई

बड़ा व्यवसाय करता था, व्यवसायी दूसरे राज्य से अपने राज्य के लिये कोई ट्रक नहीं मिलता था बिहार के नाम पर कि बिहार में ट्रक माल लेकर जायेगा वह बिहार में पलट जायेगा, माल का भी नुकसान होता थ और कोई गाड़ी भी यहां आने के लिये तैयार नहीं होता था । वह पहले का बिहार था । लेकिन आज बिहार में इतन ज्यादा रोड बन गया है, इतना ज्यादा सड़क बन गया है कि दूसरे राज्य से कोई भी माल आसानी से आ जाता है और कहीं से कोई यह नहीं कहता है कि हम बिहार में अपनी गाड़ी नहीं भेजेंगे, अपना ट्रक नहीं भेजेंगे । महोदय, आज यह बिहार का विकास है।

सभापति महोदय, बिहार का विकास इतनी तेजी से हुआ कि आप सब देखते हैं, सब माननीय भी देखते हैं लेकिन अगर न देखें तो इसकी बात अलग है । महोदय, एक भोजपुरी में कहावत है - आप सबको बतायेंगे हम । लेकिन आज जो बिहार में विकास हो रहा है, जो रोड बन रहा है, वह बहुत अच्छा है। आप और हम सब जानते हैं कि रोड में जो विकास हुआ है वह सबों के लिये हुआ है यह नहीं कि सत्ता पक्ष के लिये हुआ तो विरोधी पक्ष के लिये नहीं हुआ । यह सबों के लिये हुआ है और आज जितना बढ़िया हुआ है ।

सभापति महोदय, पहले हमलोग बंगाल जाते थे, यू0पी0 जाते थे, दूसरे राज्यों में जाते थे और कहते थे कि हम बिहार से आये हैं तो लोग अपमान की दृष्टि से देख करते थे कि बिहार बहुत पिछड़ा राज्य है । बिहार में कुछ नहीं है, न रोड है, न कोई व्यवस्था है लेकिन आज मुख्यमंत्री जी की अगुआई में माननीय मंत्री जी के उप मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार बहुत तेजी से विकास किया है और आज जब हम दूसरे राज्यों में जाते हैं तो हम सीना ठोक कर कहते हैं कि हम बिहार से आये हैं तो हम गौरान्वित महसूस करते हैं और दूसरे राज्य के लोग भी कहते हैं कि नहीं, बिहार में नीतीश बाबु बहुत काम किये हैं। आज बिहार बहुत आगे बढ़ा हुआ है । तो आज दूसरे राज्य के लोग भी मानने के लिये तैयार हैं कि बिहार विकास कर रहा है, न्याय के साथ विकास कर रहा है । तो हम सबों को मिलकर कहना चाहिए कि बिहार विकास कर रहा है, बिहार में रोड बना रहा है । बिहार में गांवों का विकास आप ले लीजिये, गांवों में घर-घर शौचालय बने हैं,वह भी ग्रामीण विकास में आ गया । पहले गांवों में मातायें-बहनें शाम होने का इंतजार किया करती थी, शाम को शौंच के लिये जाना पसंद करती थी लेकिन आज घर-घर में शौचालय बन गया और कहीं से भी किसी को आने-जाने में कोई परेशानी नहीं है । बारिश का भी महीना है,

रोड बन गया है तो लोगों को एक जगह से दूसरे जगह पर जाने-आने में भी सुविधा हो गया है ।

सभापति महोदय, आप देखते हैं, जब हमलोग शाम को अपने क्षेत्र में निकलते हैं तो अच्छा-अच्छा रास्ता पकड़कर जब हम जाते हैं तो देखते हैं कि अगल-बगल का नजारा ही बदला हुआ नजर आता है । रोशनी देख करके पता ही नहीं चलता, बिजली के बल्ब चकमक-चकमक करने लगता है तो पता नहीं चलता कि पटना के शहर में चलते हैं कि गांव में चलते हैं । तो यह मुख्यमंत्री का विकास है । मुख्यमंत्री जी चौमुखी विकास किये हैं । हम सबों का यह मानना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छा विकास किये हैं और विकास कर भी रहे हैं । आप सभी जानते हैं कि मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत 1293 किलोमीटर रोड बनाया गया है, मुख्यमंत्री ग्राम टोला निश्चय संपर्क योजना के तहत 1126 किलोमीटर रोड बनाया गया है । प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 1216 किलोमीटर रोड बनाया गया है । तो महोदय, विकास तेजी से हो रहा है । माननीय मुख्यमंत्री और माननीय मंत्री जी बहुत तेजी के साथ विकास के कार्य कर रहे हैं । बहुत तेजी से रोड बन रहा है ।

सभापति महोदय, अपने क्षेत्र के बहुत कुछ मांग भी हैं, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि सरकार का भी मानना है कि हमारे यहां मात्र एक ब्लॉक जो भगवानपुर ब्लॉक है, उसमें 56 अनजुड़े बसावट हैं । आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि जो 56 अनजुड़े बसावट हैं, सबों में सड़क बनाने की कृपा किया जाये जिसमें दो-तीन सड़कों का जिक्र भी कर देते हैं - मिश्रवलिया से बिठना दलित बस्ती होते हुये हुलेसरा गांव होते हुये दिलसाजपुर काली स्थान तक, बड़का गांव अंसारी टोला से बकतौली होकर बड़का गांव दलित बस्ती तक और चेरवा दलित बस्ती से बिठुना काली स्थान रोड बनवाया जाय । हम सरकार से इन्हें बनवाने की मांग करते हैं । सरकार भी मानती है कि हमारे यहां 56 अनजुड़े बसावट हैं । इसलिए अलग से हम यह मांग करते हैं कि हमारे यहां 1991 में अनुमंडल का स्थापना हुआ, उसका उद्घाटन हुआ लेकिन आजतक वहां व्यवहार न्यायालय नहीं चल रहा है । सभापति महोदय, हम आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं वहां व्यवहार न्यायालय चलाया जाय । हम यह भी मांग करते हैं कि महाराजगंज को जिला बनाया जाय । जिला बनने के लिये महाराजगंज हर शर्त्त पूरा करता है । तो

आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि महाराजगंज को जिला बनाया जाय ।

आज बिहार में विकास हो रहा है । इसको कोई नकारने वाला नहीं है । आज 7 निश्चय से घर-घर नल का जल यह कोई मामूली बात नहीं है । हम सब जो गरीब-गुरबा जो लोग थे, गांवों में, टोलों में, गवई में मुहल्ला में , सब लोग 30 फीट 40 फीट का पानी पीते थे जिससे अनेक तरह की बीमारियां हुआ करती थी लेकिन आज जो 400 फीट से जो पानी आता है, वह आज गरीब-गुरबा पानी पीते हैं जिससे बीमारी होना भी कम हो गया है । तो आज गरीब तबके के लोग खुशहाल हैं, गरीब तबके के लोग अमन-चैन से जी रहे हैं। तो आज हम यह कहना चहाते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के अगुआई में जो भी विकास हो रहे है, बहुत अच्छा विकास हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी सब के लिये, यह नहीं कि जो अगड़े तबके के लोग हैं, उन्हीं के लिये, मुख्यमंत्री जी की ज्यादा निगाह जो पिछले पंक्ति में बैठनेवाले लोग हैं ? जो सबसे गरीब लोग हैं उन्हीं लोगों पर मुख्यमंत्री जी का सबसे ज्यादा ध्यान है ताकि जितने कमजोर तबके के लोग हों सब लोग विकास करें और अच्छे-अच्छे रोड पर चलें । हर घर को बिजली मिल गयी है और कुछ जो बाकी विकास है, माननीय मुख्यमंत्री जी लगे हुये हैं कि कैसे हमारे क्षेत्र में, पूरे बिहार में अमन-चैन रहे और पूरा बिहार आगे बढ़ता रहे । आपने मुझे समय दिया उसके लिये आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं ।

सभापति (डा0अशोक कुमार) : माननीय सदस्य श्री जिवेश कुमार ।

श्री जिवेश कुमार : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं जाले की महान जनता के प्रति आभार प्रकट करता हूं जिसके कारण मैं यहां बोलने के लिये खड़ा हूं और सदन के नेता और आसन के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है महोदय । आज जो ग्रामीण कार्य विभाग जो कटौती प्रस्ताव लाया गया है उसके विपक्ष में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । महोदय, कई माननीय सदस्यों ने ग्रामीण कार्य विभाग की कई बुराईयां गिना दी है । लेकिन माननीय मंत्री जी मैं सदन के माध्यम से, आसन के माध्यम से आपको कहना चाहता हूं कि आपका यही अंदाज विपक्षी को भी जमता है कि आपका कलम बिना भेद-भाव सबके लिये चलता है । हुजूर, यह सच्चाई है, यहां बैठे माननीय सदस्यों ने चाहे जितनी बातें कही हो लेकिन अपने क्षेत्र के विकास की चिंता भी उन्होंने अंत में किया है, इसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं और इस उम्मीद से किया है

कि आपका विभाग ऐसा है, आपका मंत्रालय ऐसा है कि उसकी चिन्ता करेगा और उसको पूरा करने का काम करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है ।

क्रमश :

टर्न-17/अंजनी/दि0 23.07.2019

श्री जिवेश कुमार : क्रमशः... दो-चार बातें हैं, अगर देखा जाय तो कुछ साथी यहां बोल रहे थे, हम फिर बोलेंगे तो एक-दो लोग खड़े हो जायेंगे, हम विनती करते हैं कि आज बहुत सारा विषय रखना है पांच-सात मिनट में, इसलिए आपसे निवेदन है लेकिन झलक तो देख ही लेना चाहिए । वर्ष 2000 से 2005 तक आपने इसी विभाग में 145 किलोमीटर पथ बनाने का काम किया है एक साल में और वही विभाग आज है, जो आज 6616 किलोमीटर सड़क एक वर्ष में बनाने का काम कर रहा है हुजूर और बिना भेदभाव के । आपका भी, मेरा भी, उनका भी, सभी का, सदन के सभी लोगों का और मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि आपने बड़ी तत्परता और तन्मयता के साथ इस विभाग के काम को किया है और आप सदैव हरेक सदस्य की चिंता करते हुए उनको एकल पथ कैसे मिले, उनके बसावटों को कैसे एकल पथ मिले, इस बात की चिंता करते हुए जितना संसाधन सरकार के द्वारा उपलब्ध होता है, उसमें सड़क पहुंचाने का काम आपने किया है हुजूर । अभी माननीय सदस्य बड़े भाई माननीय ललित यादव जी कह रहे थे कि बाढ़ आये हुए दस दिन हो गये लेकिन मोटरेबुल का काम नहीं हो रहा है, वे तो हमारे पड़ोसी हैं, उसी जिला के रहनेवाले हैं, मोटरेबुल का काम भी आपका विभाग दरभंगा जिला में शुरू कर दिया है, जिसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता है, आपको आभार व्यक्त करता हूँ । मैं स्वयं दो दिन घूमकर आया हूँ , मैं देख रहा हूँ कि जाले के अन्दर यह काम शुरू हो गया है, इसके लिए विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ । हां, एक-दो सुझाव जरूर है, चूंकि विभाग के बड़े पदाधिकारीगण भी बैठे हुए हैं, मैं सुझाव भी देना चाहता हूँ कि टेंडर की प्रक्रिया कैसे फास्ट हो । आपके द्वारा जब कोई सड़क स्वीकृत कर दिया जाता है, उसके काम को कैसे तीव्र गति से किया जाय, हुजूर, एक शब्द बड़ा खराब है पृच्छा, सब कुछ होने के बाद पृच्छा लिखा जाता है और फाईल पुनः मुसको भवो, फिर श्री गुरू चरण से शुरू करके हाकिम के पास उसको आना पड़ता है । चूंकि पदाधिकारी सही काम को करना चाहते हैं तो यह विकास है लेकिन इसमें समय-सीमा आपके माध्यम से निर्धारित हो जाना

चाहिए और समय-सीमा पर सख्ती होनी चाहिए तो यह विकास का एक पारामीटर हो सकता है । महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वूर्ण बात कहना चाहता हूँ, जब विभाग के इंजीनियर, पदाधिकारी मिलकर किसी रोड को मानक के हिसाब से उसकी राशि तय करते हैं, फिर महोदय मेरा बड़ा आग्रह है कि बिलो रेट पर आप टेंडर मत गिराने दीजिए, जब लॉटरी की व्यवस्था तय है तो आप बिलो रेट पर टेंडर क्यों गिरवाते हैं । बहुत सड़कों का बिलो रेट पर टेंडर गिरने के कारण सड़क की गुणवत्ता अच्छी नहीं रह पाती है । इस पर आप सख्ती से रोक लगायें कि कोई भी टेंडर जब विभाग तय करता है, उसकी राशि तो विभाग निश्चित रूप से अपने मानक के हिसाब से राशि तय करता है और उसके अन्दर 10 परसेंट कम पर कोई ठीकेदार टेंडर गिराता है, इसका मतलब है कि 10 परसेंट गुणवत्ता से कम्परमाइज करेगा, यह आपको कहकर टेंडर गिराता है, इसलिए मुझे लगता है कि इसपर तुरंत रोक लगना चाहिए और एक अंतिम बात है चूंकि हरी बत्ती जब जल जाती है तो हम तो थोड़ा घबराने लगते हैं, जल्दी-जल्दी में विषय रखने का कोशिश करते हैं । ..व्यवधान.... बोलने तो दीजिए, हमारे यहां कुछ पर्यटक स्थल है और उसका आपने अच्छा विकास किया है, वहां तक सड़क पहुंचा दिया है लेकिन एकल पथ के बंधन के कारण पर्यटक स्थल पर प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए एकल पथ का । लोग जहां-जहां से आना चाहते हैं, उनको आने दीजिए और सभी तरफ से उनको पथ देने का काम करिए । जैसे- अहिल्या स्थान है, गौतम कुंड है, गंगेश्वर महादेव है, मनवा महादेव है, बटेश्वर महादेव है, इसको सड़क देने का काम आप जरूर कीजिए । हुजूर, इसके साथ-ही-साथ हमारे यहां बड़ा नाम फेमस हुआ, आज भी उनकी चर्चा करते हैं, पूरे मिथलांचल में उनके नाम की चर्चा होती है, गोनु झा और गरभुदयाल सिंह जी की । उनके नाम पर एक संग्रहालय बने, स्मृति बने वहां पर और उसको बड़ा करके देखा जाय, वह बड़ा ही उनकी लोकयुक्ति और उनकी बातें आज भी चली आ रही है । एक आखिरी हुजूर, एक मिनट लेंगे आसन से, आशा है कि आप जरूर देंगे, इसलिए एक अंतिम बात, दरभंगा-मधुबनी या जो भी आपका फ्ल्ड इफेक्टेड एरिया है, उसमें आप जेनरल रोड बनाने का मानक मत रखिए, आपका रोड मैंने दो दिन घूमकर आया हूँ कि इसलिए क्षतिग्रस्त हो गया है कि रोड में पानी चला आया है, रोड टूटा नहीं है, पानी चढ़कर, हमलोग अपनी भाषा में कहते हैं कि रोड को **ढुखार** दिया, उसको इस तरह से डैमेज किया है । बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आपका मानक तय होना

चाहिए, रोड का हाईट उंचा हो और पुल-पुलियों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए, अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं समझता हूँ कि रिस्टोरेशन पर जो लूट होती है, बंदरबांट होता है, वह शायद नहीं हो पायेगा, इसलिए बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाय ।

सभापति(डॉ0 अशोक कुमार) : अब आप समाप्त करें ।

श्री जिवेश कुमार : इसलिए निवेदन है कि इसको किया जाय । एक अंतिम एक ही रोड आज मांगुंगा इस सदन में अपनी चर्चा में, एक रोड है- पासवान टोला हमारे यहां निमरोली में अहियारी दक्षिणी पंचायत में, आज बाढ़ का समय है, वहां अगर कोई बीमार भी होगा तो उसको चारपाई से मेन रोड पर लाना पड़ेगा पानी में हेलकर, उसको जरूर प्रायोरिटी पर बनवा दीजिए, अगर चार-पांच मांगेगे तो विभाग हुलबुला जायेगा ।

सभापति(डॉ0 अशोक कुमार) : ठीक है, अब आप समाप्त करिए ।

श्री जिवेश कुमार : इसलिए एक ही मांग रहे हैं, उस पासवान टोला का कल्याण कर दीजिए । हुजूर, एक अंतिम बात एक लाईन का, हुजूर, कुछ लोग बिहार की बात कह रहे थे, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि काल के कपाल पर चमकनेवाला स्टार हूँ, हां मैं बिहार हूँ, हां मैं बिहार हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सभापति(डॉ0 अशोक कुमार) : धन्यवाद । माननीय सदस्य श्री कुमार कृष्ण मोहन ।

श्री कुमार कृष्ण मोहन : माननीय सभापति महोदय, आज मैं प्रथम अनुपूरक बजट के कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । सदन में, मैं अपने नेता तेजस्वी यादव जी, राष्ट्रीच अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी और आसन के प्रति आभार प्रकट करते हैं । महोदय, लगभग सवा घंटा से सत्ता पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों के द्वारा वर्त्तमान सरकार के विकास कार्यों की चर्चा की जा रही थी । आसन के तरफ से हम सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं । सभापति महोदय, हमारा यह मानना है कि जब आप सरकार के आंकड़े को देखते हैं तो बजट पर जो सरकार का खर्च करने की ओर सदन का ध्यान जाता है तो दीखता है कि सरकार अपने बजट को खर्च करने में, जहां एक ओर सरकार अपने वित्तीय प्रबंधन में खामियां नजर आती है, वहीं दूसरी ओर उनके अधिकारी, पदाधिकारी की लापरवाही भी सामने आती है । महोदय, हम मानते हैं कि जिस तरह से सत्ता पक्ष के विधायक 2005 और 2010 के शासन-काल की चर्चा करते हैं, सही मायने में विकास हुआ है लेकिन उस विकास के पीछे जब आप झांककर देखेंगे, जब आप उस विकास के पीछे

झांककर देखेंगे तो यही दिखेगा कि यू0पी0ए0-वन में हमारे नेता परम आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी की सहयोग वाली सरकार थी, बिहार को जिन्होंने इतना रूपया देने का काम किया, रघुवंश प्रसाद जैसे लोगों ने, जय प्रकाश नारायण यादव जैसे लोगों ने उसी पैसे की बदौलत बिहार में विकास की बयार बही ।

...क्रमशः.....

टर्न-18/राजेश/23.7.19

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव : क्रमशः ... यह बात बोलना चाहिए सत्तापक्ष के माननीय विधायकों को भी लेकिन बराबर हम सुनते हैं 2005 के पहले की बात, आप अगर 2005 से पहले की बात को सुनना चाहते हैं, तो हम आपको बताते हैं आजादी के चार दशक बाद की बातें । सभापति महोदय, हम इस सदन में चूंकि मेरे पिता स्वर्गीय मुन्द्रिका सिंह यादव इस सदन के सदस्य हुआ करते थे, उन्होंने कई बार हमें कहा कि सुदय सदन की कार्यवाही को दर्शक दीर्घा से जाकर देखनी चाहिए लेकिन हमने जब इस सदन का चेहरा आकर देखा, तो हमने अपने नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी को आज बधाई देते हैं कि बाबा साहेब अंबेदकर, जननायक कर्पूरी ठाकुर और अमर शहीद जगदेव प्रसाद जैसे लोगों ने इस सदन का चेहरा देखने का जो सपना सजाया था, वह हमारे नेता परम आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव ने, 1990 के दशक में जब उनकी सरकार बनी, तो उसको ले करके इस सदन का चेहरा बदलने का काम किया । महोदय, जब मैं इस सदन में अपने पिता के निधन के बाद जहानाबाद की महान जनता के आर्शीवाद से इस सदन का जब मैं सदस्य बनकर आया, तो यहाँ का चेहरा मैंने देखा कि समाज के अंतिम पायदान के लोग भी इस सदन में प्रतिनिधि बनकर बैठे हुए हैं, यही लालू प्रसाद यादव जी के विकास का सोच था, यही लालू प्रसाद यादव जी का सपना था कि जो समाज के अंतिम पायदान के लोगों को सदन में बैठाने का काम किया, हम दो मिनट में आपको स्मरण कराते हैं, अभी झारखंड में एन0डी0ए0 की सरकार है, वहाँ एक मंत्री है स्वास्थ्य विभाग के, उनसे हम मिले और चूंकि हमारे पिता के सहयोगी साथी रहे थे, उनको जब हमने पैर छूकर प्रणाम किया, तो उन्होंने हमसे पूछा कि सुदय कहाँ आये हो, हम

बोले कि हम अपने नेता परम आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी से उनका स्वास्थ्य जानने के लिए आये हैं, तो उन्होंने श्री लालू प्रसाद यादव जी के बारे में जो बताया, तो सुनने वाले के पैर तले जमीन खिसक जायेगा, उन्होंने कहा कि सुदय, आज हमलोग एन0डी0ए0 की सरकार में मिनिस्टर है, अगर लालू प्रसाद यादव जी नहीं होते, तो हमलोगों के पास जो धोती-कुर्ता है, यह भी नहीं नसीब होता, यही लालू प्रसाद यादव जी का विकास है । सभापति महोदय, आपको हम बताते हैं, आपको हम स्मरण कराते हैं कि जिसतरह एन0डी0ए0 की सरकार में, जो यहाँ पर माननीय सदस्य लोग हैं, वे अपना पीठ अपने से ही थपथपाते हैं, यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और सभी विभागों के विकास की चर्चा होती है, सड़क की चर्चा होती है और यह दिया तले अंधेरा वाली बात है, जहानाबाद जिला पटना राजधानी से मात्र 60 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है महोदय, सरकार ने अभी घोषण किया और अभी माननीय सदस्य भी बोल रहे थे कि बिहार के किसी भी कोने से पॉच घंटे में राजधानी पटना पहुंचने का दावा करती है सरकार लेकिन मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ कि हमें जहानाबाद जिले से पटना राजधानी आने में तीन घंटा का समय लगता है महोदय, यह एन0एच0-83 का हाल है महोदय । आपको और बताना चाहते हैं कि आज इसी सदन से कई सदस्य शौचालय का और कई तरह के शिक्षा के विकास की चर्चा किये हैं, शिक्षा में भी विकास हुआ है महोदय, लेकिन यह विकास शिक्षा के सुंदर-सुंदर भवनों तक ही सिमट कर रह गये हैं, आज सुंदर भवन तो बनाये गये हैं लेकिन शिक्षा कैसे छात्रों को मिलेगा, इसकी कोई चिंता नहीं है इस सरकार को महोदय, गुणवत्ता वाले शिक्षक नहीं है विद्यालयों में, अभी एक माननीय सदस्य शौचालय की चर्चा कर रहे थे लेकिन जब हम अपने क्षेत्र में घूमते हैं, तो देखते हैं कि वहाँ के ग्रामीण अपने पैसा से शौचालय बना करके हजारों की संख्या में, जो लोग शौचालय बनाये हैं लेकिन आज उन गरीबों को शौचालय में खर्च किये गये राशि का भुगतान तक नहीं हो रहा है, यही वर्तमान सरकार के विकास की कहानी है महोदय । ऐसी बात नहीं है कि सरकार ने जो विकास किया है, उसको हम नकारते नहीं है, हम आंशिक रुप से उसको भी स्वीकार करते हैं लेकिन लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व वाली जो सरकार थी महोदय, उसमें जो सोच था, वह कहीं न कहीं आज नेता के रुप में स्थापित है, हमारे नेता ने जो सपना देखा था कि समाज के अंतिम पायदान का लोग कैसे बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा, कैसे देश का प्रधानमंत्री बनेगा और आज उसी लालू प्रसाद

यादव जी के लड़ाई का नतीजा है कि यहॉ आ करके यहॉ मुख्यमंत्री है और देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर अति पिछड़ा का बेटा कहकर चुनाव के दिनों में वोट मॉगते हैं और देश में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठते हैं ।

महोदय, अब हम आपके माध्यम से अपने क्षेत्र की ओर माननीय मंत्री महोदय जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं, यहॉ पर ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव भी बैठे हुए विनय बाबू, चूंकि मेरे पिता जी के समय का ही कुछ सड़क था, कुछ पुल-पुलिया था, हम कई बार अपने पिता के साथ भी जाकर मिले थे, हम अपने पिता के साथ भी जाया करते थे, उसके बाद जब मैं स्वयं विधायक बना, उसके बाद भी जाकर मिला, इन्होंने हमें बताने का काम किया था कि विधायक जी हम पुल उसी का बनायेंगे, जो रोड पुल के बिना अधूरा रह जाता है, तो हमारे विधान सभा क्षेत्र में तीन-तीन इस तरह का रोड है, जो पुल के अभाव में अधूरा है महोदय .....(व्यवधान)

सभापति (डा0 अशोक कुमार): माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करें ।

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुजय यादव: महोदय, एक मिनट में मैं समाप्त कर दूंगा । महोदय, हमारे जहानाबाद विधान सभा क्षेत्र में एक कोठिया पुल है, एक डारुनाला में हरपुर पुल है और घेजन गोपालपुर रोड में सूईया नाला पुल है महोदय, आपको हम बताते हैं ग्रामीण कार्य विभाग की सड़कों का हाल, हमारे क्षेत्र में रतनी फरीदपुर प्रखंड में शंकरबिगहा एक सड़क है, महोदय, उसका 2016-17 में ही टेंडर हुआ था लेकिन अभी तक कार्य वहॉ प्रारंभ नहीं हुआ, महोदय, इस काम का क्या हुआ, इसकी भी कोई जानकारी हमें नहीं है महोदय, तो यह सरकार सब का साथ, सबका विकास की बात करती है, अंतिम पायदान पर रहे गॉवों का विकास करना चाहती है महोदय लेकिन हमारे यहॉ आजादी के 70 सालों के बाद भी, जिस सरकार में सड़क के लिए, वोट का बहिष्कार होता है, वह सरकार अपना पीठ खुद थपथपाती है महोदय ।

अभी हम महोदय, उप चुनाव लड़ रहे थे, उस समय भी सड़क के लिए धूरिया में वोट का बहिष्कार हुआ, इसके बाद फिर नगर परिषद् में महादलित टोला है बभना संगत पर, एन0एच0-110 से होकर गुजरती है महोदय, वहॉ भी सड़की की जरुरत है, हम इसके लिए सरकार से मांग करते हैं कि जो वहॉ मूलभूत सुविधा सड़कों का भी नहीं है, वहॉ सड़क बनाया जाय । इन्हीं शब्दों के साथ सभापति महोदय, हम आपके प्रति आभार प्रकट करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं । धन्यवाद ।

सभापति (डा0 अशोक कुमार): माननीय सदस्या सुश्री पुनम कुमारी उर्फ पुनम पासवान ।

सुश्री पुनम कुमारी उर्फ पुनम पासवान: सभापति महोदय, मैं कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ, साथ-साथ ग्रामीण कार्य विभाग से हमारे समाज का और हमारे राज्य का तभी विकास संभव है, जबकि शिक्षा संभव हो, लोग शिक्षित हों, तभी हमारा विकास एक मायने में सही साबित होगी, साथ-साथ स्वास्थ्य के मामले में बहुत ही निम्न स्तर से बिहार स्वास्थ्य पर चल रही है, चाहे वह एम्स ले लीजिये, पी0एम0सी0एच0 ले लीजिये, लोग आज नीचे में अपना इलाज करवा रहे हैं, बेड की भी सही रुप में व्यवस्था नहीं है, ब्लॉकों में भी जो हमारे पी0एच0सी0 हैं, उसमें डाक्टर का अभाव है, तो हम कैसे बिहार में बढ़ते विकास, न्याय के साथ विकास की बात कैसे संभव हो सकती है, तो जब तक हम स्वास्थ्य में और शिक्षा में सुधार नहीं कर सकते हैं, तब तक विकास संभव नहीं हो सकती है और साथ-साथ आज ग्रामीण कार्य विभाग पर बोलना है, तो ग्रामीण कार्य जो है, वह 7 निश्चय के तहत, वह सरकार में लाया गया, 7 निश्चय के तहत सड़कें बन रही हैं लेकिन उसमें गुणवत्ता नहीं है, गुणवत्ता इसलिए नहीं है कि एक तरफ आप सड़कें बनाते जा रहे हैं और एक तरफ से सड़कें आपकी टूटती जा रही हैं, कारण कि सही समय पर उनका जो देख-रेख होना चाहिए, जो ठीकेदार के लिए आपने पॉच सालों के लिए निर्धारित किये हैं कि हम किस्त में पैसे देंगे लेकिन पता नहीं, उनका न देख-रेख होता है, न ही उनकी मरम्मती होती है और पैसा उठा लिया जाता है, जैसे मेरे विधान सभा क्षेत्र में कई ऐसे सड़कें हैं, कई बार माननीय मंत्री जी से भी इस बात की मैंने शिकायत की लेकिन उसपर कोई अमल नहीं हुआ और मेरे क्षेत्र की जो सड़कें हैं, डिग्री चौक से आई0टी0बी0पी0, जो 14 किलोमीटर की सड़क है, पूर्व में भी हमने इसी सदन में क्वेशचन के माध्यम से इस बात को रखा और उसमें कहा गया कि बहुत जल्द ही हम सड़क को बनाने का काम करेंगे लेकिन साल भर बीत गये लेकिन सड़कें अभी तक नहीं बनी और लोग वहॉ पर धान लगाने का काम करते हैं उस जमीन पर ।

क्रमश:

टर्न–19/सत्येन्द्र/23–7–19

सुश्री पुनम कुमारी उर्फ पुनम पासवान(क्रमशः) वहां दलित परिवार के लोग रहते हैं, वहां जाने में खासकर हमलोग भी जाते हैं, वहां क्षेत्र में जाना बहुत दुर्लभ हो रहा है वैसी सड़कों पर । कोलासी चौक से हरदा तक पूर्व में भी हमने क्वेश्चन किया था और माननीय मंत्री जी का जवाब आया, हमने तो 8 कि0मी0 सड़क की बात की थी, मंत्री जी ने खुद 12 कि0मी0 की बात किये और आजतक उसमें कुछ नहीं किया गया, हाथ भी नहीं लगाया गया जबकि वे कहें थे कि दिखवा लेंगे, कर लेंगे, मंत्री जी बैठे हुए हैं, हम चाहेंगे कि आपकी ही वाणी पर ध्यान देने की जरूरत है, साथ साथ जो हमारे क्षेत्र में फलका हाट की सड़क, जिस पर न नाला है, न सड़क है, आज चलने के लिए ठेहुना भर पानी में चलने के लिए लोग मजबूर हो गये हैं, लोग वहां पर भी धरना प्रदर्शन किये लेकिन हमलोगों के हाथ में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हमलोग तुरंत उनलोगों के मरम्मति कराने का काम करेंगे इसलिए सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी को मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसा सड़क जो पूर्णरूप से चलने लायक न हो, उसको कम से कम विभागीय समीक्षा कर उन्हें बनाने का काम करनी चाहिए । हमारे जो माननीय सदस्य हैं जो जीतकर आते हैं, उनसे जनता सवाल करती है कि आप हमारे विधायक हैं, आप जीत कर आये हैं ये रोड की क्या हालत है, हमलोग गड्ढे में चलने के लिए मजबूर हैं तो आप क्यों नहीं बनवा रहे हैं, हमलोग आश्वासन देते हैं लेकिन सालों साल बीत जाता है लेकिन हमलोग उसे नहीं बनवा नहीं पाते हैं, ये हमलोगों की वहां पर परेशानी होती है। सभापति महोदय, हमारे यहां पोठिया बाजार है, वहां पैसा कलेक्शन होता है और सरकार को रेवन्यू दिया जाता है उस बाजार के द्वारा लेकिन आज वहां की ऐसी हालत है कि पांच मिनट भी उस सड़क पर हमलोग खड़ा नहीं हो सकते है, न नाला है न सड़क है, सड़क गड्ढा बन चुका है । हमारे यहां कोलासी चौक से जो सेमापुर सड़क जाती है यह बहुत छोटी सड़क है लेकिन गाड़ी काफी चलती है इसलिए हम सभापति महोदय के माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करती हूँ कि उस सड़क का चौड़ीकरण किया जाय जिससे लोगों को आने जाने में कोई असुविधा न उत्पन्न हो । साथ ही साथ उत्तरी सिमरिया से बावनगंज जो सड़क बनी है लेकिन डायभर्सन इतना पानी होने के कारण वह सड़क पूरी तरह से कट गया है और पुल भी ध्वस्त हो गया है, उसको भी हम बनाने का सदन के माध्यम से मैं

मंत्री जी से आग्रह करती हूॅ । बावनगंज महुली टोला वहां ओ0बी0सी0 और दलित समाज से लोग आते हैं जो महुली जाति के हैं लेकिन वहां पर भी सड़कें नहीं है और वहां एक पुलिया की जरूरत है । जब पानी उसमें भर जाता है तो लोग आने जाने के लिए बहुत बेवश हो जाते है, केला के थम्ब का नाव बनाकर, छोटा सा वह जगह है लेकिन लोगों को नाव बनाकर उनको इस पार से उस पार जाना पड़ता है, ये समस्याएं हैं जो मंत्री जी के नजर में आनी चाहिए और उन्हें देखने की जरूरत है फिर सेमापुर और हमारे यहां खासकर जो पिछले तीन साल पहले एक गैर सरकारी संकल्प में भी डाले थे और तीन साल बीत गये हुआ था कि पुल हम बना देंगे लेकिन राजधानी से झपरैलिया भरिसया पुल आज भी वैसे हीं पड़ी हुई है ।

सभापति(डॉ0 अशोक कुमार) अब समाप्त कीजिये ।

सुश्री पुनम कुमारी उर्फ पुनम पासवानः हम चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी यह देखवाने की कोशिश करें । साथ साथ अभी मात्र दो साल इस सड़क का हुआ है गिरयामा से मोरसंडा तक,` 2 साल में ही वह रोड जर्जर हो गया । मैंने विभाग से बात की कि वह सड़क अभी हाल में ही बना है कैसे इस स्थिति में हो गया तो बोले कि ठीक करवा दूंगा लेकिन मैं इतना ही सदन के माध्यम से कहना चाहती हूॅ कि वह सड़कें बनती है लेकिन क्या कारण है, सरकार यह गारंटी लेती है कि पांच साल तक सड़क बनाने के बाद मरम्मति करायेंगे लेकिन कोई मरम्मति नहीं होता है ।

सभापति(डॉ0 अशोक कुमार) अब आप स्थान ग्रहण करें ।

सुश्री पुनम कुमारी उर्फ पुनम पासवानः मेरे क्षेत्र में अभी तक जो भी रोड बनी है, मैं यह नहीं कहती हूॅ कि नहीं बनी रोड, रोड बनने के बाद आज उसकी स्थिति बहुत खराब हो चुकी है । माननीय सभापति महोदय, मैं एक और बात कहना चाहती हूॅ उसी संदर्भ में, दक्षिणी सौथा पंचायत, गोपालपट्टी चौक से बबरवना होते हुए ललिया घाट, यह रोड आज कट चुका है, आवागमन में लोगों को काफी परेशानी हो रही है उसको बनाने की कृपा करेंगे साथ साथ आपने मुझे बोलने का मोका दिया और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूॅ, विकास तभी होगी जब शिक्षा,स्वास्थ्य, सड़क और लोगों के बसावट को जोड़ने की बात होगी । एक विनोदपुर में 2 नं0 बार्ड है, न वहां सड़क है न बिजली है,वहां व्यवस्था हो इसके लिए सदन के माध्यम से माननीय मंत्री से चाहेंगे कि वहां सड़क बनाया

जाय । साथ ही साथ आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए सभापति महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद ।

सभापति(डॉ0 अशोक कुमार) माननीय सदस्य श्री अचमित ऋषिदेव ।

श्री अचमित ऋषिदेवः सभापति महोदय, मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और दल के नेता को धन्यवाद देना चाहता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने मुझे ग्रामीण कार्य विभाग के अनुदान मांग पर सरकार के पक्ष में बोलने का अवसर दिया है । मैंने रानीगंज की महान जनता के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मुझे इस सदन में भेजने का काम किया है । महोदय, हमलोग भी एक ग्रामीण और गांव में रहने वाले लोग हैं । बहुत से सदस्य ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, हमको तो लगता है पहले लोग ग्रामीण क्षेत्र से आकर से शहर में जमीन लेते थे बसने के लिए बसावट के लिए लेकिन अब ऐसा शहर हो गया है हमारे ग्रामीण क्षेत्र में कि अब इच्छा होता है कि चले अब गांव की ओर । गांव में ऐसा चमत्कार बिजली और सड़क हो जाने के बाद जैसे आकाश में तारा चमकता है, वैसे हम लोगों के क्षेत्र में ग्रामीण विभाग का कार्य चमकता है कि इतना काम किया गया है। महोदय, ग्रामीण सम्पर्क योजना –यह इसके विकास हेतु एक मुख्य घटक है । यह एक आर्थिक सामाजिक समानता का पहुंच निश्चित करता है तथा कृषि आय में शत प्रतिशत वृद्धि और रोजगार के अवसरों का सृजन करता है । महोदय, हम नये सदस्य है और नये सदस्य के नाते जब हम लोग यहां सबसे पहले सेशन में आये थे, हमारे मान्यवर विकास पुत्र, हर चीज से सम्पन्न बिहार का मुखिया, सच्चा और एक ईमानदार व्यक्ति जिन्होंने हवाई जहाज से सर्वेक्षण किया, हर जिला का, हर प्रखंड का और सर्वेक्षण के बाद सड़कों का डी0पी0आर0 बना और बाद में जब पता चला और जानकारी मिली कि इसमें भी कमियां है तो विभाग के माध्यम से कार्यपालक अभियंता को जहां जहां छूट गया था सम्पर्क योजना में बसावट के लिए रिंग रोड से, पूरे बिहार में पूरे ग्रामीण क्षेत्र में उसका भी डी0पी0आर0 बन गया है और अभी माननीय मंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं, ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री जी को कि हमारे अररिया जिला में 6 विधान-सभा क्षेत्र है और रानीगंज में हमारा पुल और पुलिया, रोड और सड़क, सबसे पहले तो हमको लगता है बिहार में रोड सुधरा, बिजली सुधरी, विधि व्यवस्था बदली । इसके लिए पूरे देश में इन्हीं को जाना जाता है इसको लेकर, महोदय हमारे रानीगंज में आजादी के बाद से सबसे पहले हमने एक ठोंघा घाट बनवाये, मोहनि घाट बनवाये, सतवेर घाट,

बालू घाट और रोड का तो हमारे यहां गिनती नहीं है सभी जगह विकास हुआ है और माननीय सदस्य कहते हैं काम हुआ है लेकिन पीछे से बाद में कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ है । इसलिए धर्म की राह में बगावत होती है, लुब का बना विधान, घबराईए मत, बढ़िये राह पर लेकर ग्रामीण विभाग का नाम, सबका सलाम सब का काम। इसलिए महोदय, अब हम रोजगार के अवसरों का सृजन तो इसके लिए ग्रामीण कार्य विभाग सत्त प्रयास कर रही है । ग्रामीण पथ, गांव टोला और नजदीकी शहरों, बाजारों राष्ट्रीय उच्च पथ और मुख्य जिला पथ से जोड़ने के लिए नेटवर्क उपलब्ध कराते हैं । (क्रमशः)

टर्न-20/मधुप/23.07.2019

...क्रमशः...

श्री अचमित ऋषिदेव : राज्य सरकार पर्याप्त संचरण और सेवा उपलब्ध कराकर ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को लगातार मजबूत करने का प्रयास कर रही है । ग्रामीण पथ कृषि और शहरी गतिविधियों में उत्तरोतर सुधार करने में मदद करती है । सड़कों के प्रबंधन के जरिये बाजार सम्पर्क करने के लिए और ग्रामीण आबादी के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए भी मदद करती है । इन्हीं सड़कों से ग्रामीण आबादी की जीवन स्तर में भी सुधार होता है । इस पृष्ठभूमि से राज्य सरकार ने हर सम्पर्क विहीन गॉव-टोला को पक्की सड़क और नाली से जोड़ने के लिए एक निश्चय किया है । घर तक पक्की गली, नालियॉ राज्य सरकार के सात निश्चय में से ग्रामीण सम्पर्क पथ लगभग 30 प्रतिशत बढ़ा है ।

महोदय, हमारे अररिया जिला में सबसे पहले मान्यवर विकास पुत्र माननीय मुख्यमंत्री जी सात निश्चय लेकर शुरूआत किये थे । आज हमारे अररिया जिला में गली हो, नली हो, बिजली हो, रोड हो, सारा हमलोगों के यहॉ काम चल रहा है, दिन-रात एक समान, जहॉ हमारे 39 पंचायत रानीगंज क्षेत्र में हैं, आज किसी प्रकार का दिक्कत हमारे यहॉ नहीं है । इसलिये कि माननीय मुख्यमंत्री जी सच्चाई और ईमानदारी से अपनी कर्मठता से अपना काम कर रहे हैं ।

महोदय, वर्ष 2000 में हमारे इलाका में आई भीषण बाढ़ के कारण 5 जिलों, अररिया, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णियॉ एवं सहरसा व्यापक पैमाने पर ग्रामीण सड़कों की क्षतिग्रस्त हुई थी लेकिन ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण करके बड़ी शीघ्रता से इन क्षेत्रों के यातायात को

सुलभ बनाने का कार्य किया था । अनुमानतः प्रत्येक वर्ष अगस्त माह में बाढ़ आती है लेकिन इस वर्ष भी समय से पूर्व बाढ़ आकर ग्रामीण क्षेत्रों के कई इलाकों में आवागमन को बाधित किया । आशा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी उसी तत्परता एवं कुशलता से टूटे-फूटे सड़कों का, पुल-पुलिया को दुरूस्त कर आवागमन की सुविधा शीघ्र बहाल कराने के लिए प्रतिबद्ध होंगे ।

महोदय, आज 73 कि0मी0 ग्रामीण सड़क थे जिनमें से 53 प्रतिशत पक्के थे । मार्च, 2015 तक पक्की सड़कों का अनुपात मात्र 35 प्रतिशत था जिसके बाद से इसमें 15 प्रतिशत की वार्षिक दर से वृद्धि हुई है । पक्की सड़कों की लम्बाई 2014-15 के 48794.11 कि0मी0 से बढ़कर सितम्बर, 2018 तक 73782.11 कि0मी0 हो गई है । ग्रामीण सम्पर्क पथ राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में है इसलिये पिछले 5 वर्षों में पक्की ग्रामीण सड़कों की लम्बाई 24988 कि0मी0 बढ़ी है । इसमें सर्वाधिक 1405 कि0मी0 वृद्धि रोहतास जिला में, 1254 कि0मी0 मुजफ्फरपुर में और 1234 कि0मी0 औरंगाबाद जिले में हुई है ।

महोदय, राज्य सरकार न्याय के साथ विकास का नजरिया रखते हुये सभी लोगों को क्षेत्र और गॉव को साथ लेकर चलने के लिए कृत-संकल्पित है । वर्ष 2006 से अबतक ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा कई महत्वपूर्ण योजनाओं के द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का जाल बिछाने का कार्य किया गया है जिसमें प्रमुख मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना, आपकी सरकार आपके द्वार, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत नये पथ एवं पुल सुनिश्चित करने के लिए विशेष अंगीभूत योजना, नाबार्ड ऋण सम्पोषित राज्य योजना से विकास कार्य, मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आदि प्रमुख हैं । इन योजनाओं के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को यातायात की सुविधा सुलभ कराया जा रहा है ।

महोदय, राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण सम्पर्क पथों के निर्माण कार्य को तेजी प्रदान करती है, सरकार द्वारा प्रयास किया गया है । मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना के अन्तर्गत लगभग 18 हजार कि0मी0 लम्बाई के ग्रामीण पथों का निर्णय करने हेतु प्रमुख राज्य कोर-नेटवर्क में किया गया है । 2018-19 में 3374.62 करोड़ रू0 के विरूद्ध दिसम्बर, 2018 तक 1292.16 कि0मी0 पथ के 41 पुलों का निर्माण किया गया है । राज्य के 27 आई0ए0पी0 जिलों की भांति

11 आई0ए0पी0 जिलों में भी यह योजना प्रारम्भ करने का राज्य सरकार ने निर्णय लिया है ।

सभापति (डॉ0 अशोक कुमार) : अब आप समाप्त कीजिये ।

श्री अचमित ऋषिदेव : महोदय, आपने हमको मौका दिया, इसलिये पूरे सदन का आभार प्रकट करता हूँ और सदन से माफी माँगते हैं, नये सदस्य हैं इसलिये एक दोहा मुझे याद आ रहा है, बहुत दिनों से कई माननीय सदस्यों ने बहुत दोहा कहा है, हमको कभी मौका तो नहीं मिला, अगर आज आपलोगों की इजाजत हो तो हम भी एक दोहा कहकर सुनायें ।

सभापति (डॉ0 अशोक कुमार) : ठीक है ।

श्री अचमित ऋषिदेव : जन-जन के मनोरंजन प्यारे, मनन करो स्वीकार हमारे,
मानव का यह हाथ था, विद्युत धन पाने का पहाड़ था,
चलते थे हमराही बनकर, पहुंचे एक दरिया किनारे,
जहाँ हम बैठे राही, उधर डाकुओं का डेरा था,
भय ने हमको घेरा था, राह भटक गये बेचारे,
न जाने किस मोड़ पर, जी रहा हूँ जोश में,
पूरा बिहार में शराबबंदी लेकर जी रहा हूँ होश में ।

सभापति (डॉ0 अशोक कुमार) : धन्यवाद । माननीय सदस्य श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह ।

श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, मुझे कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने का अवसर मिला है। आज ग्रामीण कार्य विभाग पर विशेष चर्चा करनी है, यहाँ तक तो बजट के सारे बिन्दुओं को टच कर दिये हैं । यह बिहार का बजट जम्बो विमान का बजट है, 2 लाख 5 सौ करोड़ का बजट, अगले मार्च के बाद हिसाब आयेगा कि खर्च हुआ 42 परसेंट । बजट आयेगा इतना बड़ा और खर्च आयेगा 42 परसेंट । कुछ जो महत्वपूर्ण विभाग हैं जिसका ढोल बजाते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, गरीबों का जाप करते हैं - महादलित, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा । उन विभागों का खर्च आता है 7 प्रतिशत, 6 प्रतिशत, 5 प्रतिशत खर्च होता है । जब इतना बड़ा बजट आप लाते हैं तो खर्च क्यों नहीं करते हैं? खर्च किसलिये नहीं करते हैं ?

विकास यात्रा माननीय मुख्यमंत्री जी का चला था, छपरा प्रमंडल में बैठक थी, हम सारे विधायकों को बुलाया गया था, मैंने बैठक में कहा था कि ये जो आपके पदाधिकारी हैं, इन पदाधिकारियों को कलम और कागज से घोर दुश्मनी है, आपका बजट फेल करेगा । आपने जो सात निश्चय लिया है,

माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर ये आपके असक्षम पदाधिकारी सक्षम हो जायं तो सात निश्चय जो है बिहार काफी आगे हो जायेगा । लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये पदाधिकारी आपके काम को नहीं होने देंगे । आज चल रहा है, सात निश्चय की विवेचनाएँ हो रही हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना पहले इंदिरा गांधी आवास योजना था, जब आप सत्ता में आये, एन0डी0ए0 की सरकार बनी तो इंदिरा आवास योजना से प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया । उसके बाद शौचालय की बात आई, उसके बाद नल-जल की बात चल रही है, भारत में 38 राज्य और 7 केन्द्र शासित प्रदेश हैं, क्या बिहार सरकार को नोबेल प्राइज जीतने की चिन्ता है? 50 प्रतिशत शौचालय का निर्माण नहीं हुआ है । सारे विधायक बैठे हुये हैं ।

...क्रमशः..

टर्न-21/आजाद/23.07.2019

..... क्रमशः .....

श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह : माननीय सदस्य लोग बोले कि 50 प्रतिशत भी नहीं हुआ है । कौन सी परिस्थिति आ गई सरकार को कि ओ0डी0एफ0 घोषित कर दिया । ओ0डी0एफ0 का मतलब होता है कि योजना पूर्ण रूप से लागू हो गई । सरकार विकास की रट लगा रही है, सबका साथ और सबका विकास । आप कितने दिनों तक झूठ बोलकर के भोली-भाली जनता को चीट करने की कोशिश कीजियेगा, आप बताईए कि जब 50 प्रतिशत शौचालय बना तो आपने ओ0डी0एफ0 क्यों घोषित किया ? आपने बिहार के 10 करोड़ लोगों के साथ धोखा किया, क्यों किया ? बिहार का मुख्यमंत्री 10 करोड़ लोगों का भगवान है, खुदा है, ईसा मसिह है, सबकी भलाई करने की जिम्मवारी है लेकिन मैं सरकार के मंत्रियों से पूछना चाहता हूँ कि कौन सी परिस्थिति आ गई कि कागज पर ही शौचालय बन गया । अगर हिम्मत है तो आप जॉच कराकर देखिए, आपकी योजना फेल है नम्बर-1 ।

नम्बर-2 पर आईए । नम्बर-2 नल-जल । नल-जल में बी0डी0ओ0 कौन है, सी0ओ0 कौन है, किसको बनाया गया है । आप बी0पी0एस0सी0 का परीक्षा कंडक्ट कीजियेगा नहीं, सारे रिकोमेंड बॉडी को सी0आई0, एल0ई0ओ0, बी0ई0ओ0, बी0सी0ओ0, लेबर इन्सपेक्टर सारे चोरों को आप बी0डी0ओ0 और सी0ओ0 बनाकर जो 10रू0 घुस लेने वाला था, आज वह ले रहा है लाखों में, हजार में और कहते हैं कि बड़ी ईमानदारी है ।

नल-जल आपने वार्ड को दिया है । वार्ड का संचालन समिति बनी है । वार्ड का अध्यक्ष बना है और सचिव उसी में से चुनाव हुआ है । बी0डी0ओ0 उसमें अपने चहेता को रखा है, जबर्दस्ती उसको टेंडर दिलवाता है और दो नम्बर का काम करता है । नल-जल का पैसा लेकर थोड़ा काम कराकर भाग गया है । मंत्री जी, ग्रामीण विकास और पी0एच0ई0डी0 के लोग, अगर थोड़ा सा भी जनता के प्रति स्नेह हो तो नल-जल योजना की आप जॉच करा लीजिए, आपका नल-जल योजना फेल है, इसको सारे पदाधिकारियों ने लूट लिया है ।

आपने कहा कि लालू जी के राज में विकास नहीं हुआ था । लालू जी के राज में विकास हुआ था, उनके राज में जंगल राज था तो आपके राज में क्या मंगल राज है ? आपके राज में मंगल राज है बताईए ? उनके राज में शिक्षा जिन्दा थी तो आपने अपने राज में शिक्षा को श्राद्ध कर दिया है । आपने जो भी शिक्षक की बहाली की है । आपके स्कूल में मध्य विद्यालय को उत्क्रमित करके उसको हाईस्कूल बना दिया है । सभापति महोदय, मध्य विद्यालय को हाईस्कूल में तो परिणत कर दिया लेकिन ये शिक्षक कहां से देंगे ? इनके यहां शिक्षक नही है । नीतीश कुमार जी का जो शिक्षक बहाली हुआ है, नम्बर दिखाओ और नौकरी पाओ । 3 लाख 70 हजार लोगों का नियोजन पंचायत समिति, प्रखंड समिति, नगर निगम, जिला परिषद् के द्वारा किया गया । जब फर्जिवाड़ा अनियमितता की बात आयी , जब जॉच की बात आयी तो जॉच के लिए विजिलेंस को दिया गया और 90,700/- के लोगों का फोल्डर की मांग करते हुए निगरानी विभाग को 2 साल हो गया लेकिन आज तक नियोजन समिति के द्वारा फोल्डर नहीं जमा किया गया, बिहार सरकार द्वारा जमा नहीं किया गया ताकि नियोजन की वैधता की जॉच किया जा सके । सरकार कहती है कि हम शिक्षा में गुणात्मक सुधार करेंगे । लेकिन आप देखेंगे कि आज मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर नहीं हैं, पॉलिटेकनिक कॉलेज में प्रोफेसर नहीं हैं, किसी भी कॉलेज में मानक के अनुसार टीचर्स नहीं हैं । टीचर्स ऐसा है जो फटीचर है और सरकार जो है बेतमिज है और सरकार को जनता से कोई लेना-देना नहीं है ।

सभापति महोदय, कहते थे लोग कि लालू जी के राज में बड़ा अन्याय होता था और इस सरकार में बड़ा न्याय हो रहा है । यह तो अंधा नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा । एक मरेगा और एक घायल होगा तो चार लाख रू0 और यदि अकेले मरेगा तो लेबर में जायेगा । हाय रे सरकार

की सोच, हाय रे सरकार की नीयत । कम से कम शर्म तो कीजिए और बिहार की जनता को मत बरगलाईए । इस चुनाव परिणाम से आप ज्यादा खुश मत होईए । 1952 से चुनाव हो रहा है, आज तक जो चुनाव हुआ है, उसके बीच के गैप को देखिए, 400 को देखिए, 388 को देखिए, 312 को देखिए, 372 को देखिए, कोई रोने वाला भी नहीं रह गया । आने वाला दिन आपको नाश कर देगा, आपको ऐसा तमाचा पड़ेगा कि आप रोईयेगा और आपको कोई ऑसू पोछने वाला भी नहीं रहेगा ।

इसलिए मैं कहूंगा कि आज ग्रामीण कार्य की बात है, ग्रामीण मंत्री श्री शैलेश जी बड़ा नेक और अच्छे व्यक्ति हैं । इनकी इच्छा है कि विकास के कार्य हों, लेकिन शैलेश बाबू क्या आपको मालूम नहीं है कि 2010 से 2015 में आपने पैकेज व्यवस्था चलाया था, आप उस समय मंत्री नहीं थे । पैकेज व्यवस्था किया था, ग्रामीण कार्य विभाग ने पैकेज पर टेंडर किया था । ये बड़े-बड़े ठीकेदारों को 10-10, 8-8 योजना मिला था और जब वह ठीकेदार गैर संवेदक को 5 प्रतिशत राशि लेकर बेच दिया और वह रूपया लेकर फरार हो गया । जब हमलोग चुनाव में जीतकर आये और कुछ दिनों के बाद क्षेत्र में गये तो हमने पूछा ग्रामीण कार्य विभाग के एजक्यूटिव इंजीनियर से, यह रोड अधूरा क्यों है तो वे बताते हैं कि यह प्रधानमंत्री का सड़क था, डायरेक्ट दिल्ली से गाईड होता था, वे आपके घर में बैठता था, आपने उनपर कौन सी कार्रवाई किया ।

सभापति महोदय, आपने लालबत्ति जला दिया, हम तो लाल ही बोल रहे हैं इन लोगों के लिए, अब दो मिनट का समय दीजिए महोदय ।

सभापति(डॉ0 अशोक कुमार) : लेकिन अब आपको समाप्त करना पड़ेगा ।

श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह : श्रवण बाबू, जरा सुना जाय, थोड़ा दर्द तो होता होगा । फिर आपने पैकेज की व्यवस्था किया है, एक तरफ आप बेरोजगारी उन्मूलन की बात करते हैं । ये जो बड़े लोगों को देंगे, 10 जो कमजोर लोग हैं, जिनको आपने लाईसेंस दिया है, उनको भी तो मिलता, इसलिए मैं कहूँगा कि पैकेज व्यवस्था एक फ्रोर्ड व्यवस्था है, इसको समाप्त कीजिए ।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा में आपके दोहरी मापदंड के चलते बसंतपुर प्रखंड में 9-10 योजना ली गई है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योजना के द्वारा । माननीय शैलेश बाबू, हमारा 30 अनुशंसा आपके यहां गया है, उसको आप देख लीजियेगा और भेदभाव की समस्या को दूर कीजिए । जनता

माफ नहीं करेगी, आप सत्ता में हैं, आप 10 करोड़ लोगों के हित की बात सोचने वाले में है, इसलिए मैं कहूँगा कि सरकार में रहने वाले आज आपलोग सत्ता में बैठे हो, कल विपक्ष में बैठोगे और हम विपक्ष में हैं कल सत्ता में बैठेंगे लेकिन हम तुम्हारे जैसा काम नहीं करेंगे । बिहार का विकास ही मेरा मूल मंत्र होगा और बिहार का गौरव ही हमारा गौरव होगा और आपको मालूम होना चाहिए कि बिहार सबका मान-सम्मान की रक्षा किया है और जो जुल्मी हुआ है, उसका मान-मर्दन भी किया है । बिहार भारत की आत्मा है, अगर बिहार को हिन्दुस्तान से हटा दीजिए तो हिन्दुस्तान जीरो होगा, आजादी की लड़ाई से लेकर के महात्मा बुद्ध के काल से लेकर के, महात्मा महावीर के काल से लेकर के ... .

सभापति(डॉ0 अशोक कुमार) : अब समाप्त कीजिए ।

श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह : महोदय, महावीर के काल से बिहार के गौरव की कहानी हमको लगता है कि इन मंत्रियों को कम याद होगा, इसलिए याद करो बिहार सबका गौरव है .....

सभापति(डॉ0 अशोक कुमार) : सत्यदेव बाबू, अब समाप्त कीजिए ।

श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह : सभापति महादेय, मैं चाहूंगा कि जो हमने अनुशंसा भेजा है, उसको कम से कम करा दें । दोहरी मापदंड नहीं अपनाये, सबको मिलाकर चलें । सत्ता को भी इज्जत करें, विपक्ष को भी लेकर चलें ताकि आने वाला दिन आपको याद करेगा । अगर आप गलत कीजियेगा तो आने वाला दिन आपको कोसेगा । इन्हीं शब्दों के साथ बहुत, बहुत धन्यवाद ।

सभापति(डॉ0 अशोक कुमार) : धन्यवाद । माननीय सदस्य श्री सिद्धार्थ ।

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : सभापति महोदय, हमलोग तो उनके साथ ठीक ही व्यवहार रखते हैं, ये ललित यादव जी हैं, चीफव्हीफ हैं आर0जे0डी0 के, ये अपने समय 20 मिनट लेते हैं और सत्येदव बाबू को 5 मिनट देते हैं तो भेदभाव तो ये लोग कर रहे हैं।

सभापति(डॉ0 अशोक कुमार) : सत्यदेव बाबू, 10 मिनट से ज्यादा बोले हैं । माननीय सदस्य श्री सिद्धार्थ ।

श्री सिद्धार्थ : सभापति महोदय, आपने मुझे यहां बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ । बिहार की बहुमत जनता जो है, ग्रामीण इलाकों में बसी हुई है । करीब 70 प्रतिशत जो आबादी है, वह ग्रामीण इलाकों की है और

ग्रामीण कार्य विभाग उस ग्रामीण इलाकों को शहर से जोड़ने का सबसे बड़ा माध्यम है ।

सभापति(डॉ0 अशोक कुमार) : आप दो-तीन मिनट में समाप्त कीजियेगा ।

श्री सिद्धार्थ : बहुत दुर्भाग्य की बात है कि बिहार की राजधानी पटना में भी आज बहुत से ऐसे ग्राम हैं जो शहर से अछूते रह गये हैं । हमारे ही क्षेत्र में नौबतपुर प्रखंड में ग्राम चरा और ग्राम सलारपुर पटना जिला के पटना शहर से मात्र 15 कि0मी0 दूर होने के बावजूद आज इन जगहों पर सड़क का आवागमन नहीं है, बरसात के समय में वह टापू में तब्दील हो जा रहा है । मैं एक चीज आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि बहुत से ऐसे रोड थे, जिनका टेंडर हुआ, ठीकेदार के लापरवाही के कारण वह रोड पूरा नहीं हो पाया, रि-टेंडर की जो प्रक्रिया है, वह बहुत लम्बी है और जो भी लंबित सड़क है, उसमें कोई ऐसा माध्यम लिया जाय, जिससे कि वह सड़क पूर्ण रूप से पूरा हो जाय ।

..... क्रमशः .....

टर्न-22/शंभु/23.07.19

श्री सिद्धार्थ : क्रमशः....दूसरी एक सबसे बड़ी समस्या है कि बहुत से ऐसे ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा सड़कों का निर्माण करना है जो नहरों के किनारे है या नहर पर पुल है-एन0ओ0सी0 का जो कार्यक्रम है जो ग्रामीण कार्य विभाग को जल संसाधन विभाग से लेना है उसमें बहुत ही कोताही बरती जा रही है । उसमें कोई ऐसा मापदंड लिया जाय, समय सीमा दिया जाय ताकि जो एन0ओ0सी0 का काम है जल संसाधन विभाग से एक समय सीमा के अंदर ग्रामीण कार्य विभाग लेकर उसे पूरा कर सके । तीसरी एक सबसे बड़ी समस्या है कि जी0टी0एस0एन0वाइ0 से तो बहुत सी सड़कों को जोड़ दिया गया, सरकार ने घोषणा भी कर दिया कि इन सड़कों का निर्माण होगा । बहुत सी ऐसी जी0टी0एस0एन0वाइ0 से बनने वाली सड़कें हैं जो निजी जमीन पर गुजरते हुए बननी है । सरकार ने तो घोषणा कर दिया है कि किसानों को फंड रिलिज होगा, उन्हें अनुदान मिलेगा लेकिन कोई भी फंड रिलिज नहीं किया जा रहा है, निजी जमीन देने के लिए किसान तैयार नहीं है क्योंकि यह घोषणा कर दिया गया है कि जी0टी0एस0एन0वाइ0 से जो भी सड़क बनना है उसमें किसान को फंड दिया जायेगा । इसलिए कोई ऐसा मापदंड निर्धारित करे सरकार ताकि जल्द से जल्द किसानों को अनुदान मिले और जी0टी0एस0एन0वाइ0 से सड़कों का निर्माण पूरा हो सके । एक अत्यंत

विशेष सूचना है जो मैं आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से सरकार को देना चाहूंगा कि पटना जिलान्तर्गत पूरे पटना सोन कैनाल में आज सुखाड़ की स्थिति हो गयी है– 1200 क्यूसेक पानी चाहिए पूरे कैनाल में और दुर्भाग्यवश जो बहुमत आबादी है, किसानों की आबादी है जहां 70 प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित हैं । यह सरकार इतना भी समझने के लिए तैयार नहीं है कि आज के डेट में मात्र 27 क्यूसेक पानी सोन कैनाल में दिया गया है । जहां 1200 क्यूसेक पानी की जरूरत है वहां 27 क्यूसेक और 50 क्यूसेक पानी कैनाल में छोड़ा जा रहा है, पूरा पटना ग्रामीण कृषि का इलाका सुखाड़ से ग्रसित हो रहा है और आगे आने वाले समय में पीने के पानी की समस्या होने जा रहा है । दूसरा एक मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि बिक्रम थाना में पिछले दो माह से लगातार रंगदारी का मांग हो रहा है, निरंतर गोली बारी हो रही है, एफ0आइ0आर0 पर एफ0आइ0आर0 हो रहा है, लेकिन अपराधियों पर, अपराध पर अंकुश नहीं लग रहा है । निश्चित रूप से यह सरकार का दायित्व है कि आम लोगों की सुरक्षा की गारंटी ली जाय और जो भी अपराधी क्षेत्र में इस तरह से तनाव उत्पन्न किये हुए हैं उनपर सही रूप से कार्रवाई की जाय । इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ ।

सभापति(डा0 अशोक कुमार) : धन्यवाद । माननीय सदस्य श्री मनोज कुमार ।

श्री मनोज कुमार : सभापति महोदय, आज विपक्ष की ओर से जो फर्स्ट सप्लीमेंटरी सदन में लाया गया है उसके कटौती प्रस्ताव के विपक्ष में मैं बोलने के लिए खड़ा हूँ । सभापति महोदय, इस 14330 करोड़ की जो मांग जो विभिन्न 33 अनुदान मांगों में है जिसमें राजस्व मद में 5622 करोड़ और पूंजी मद में 8667 करोड़ रूपये की जो अनुपूरक मांगें रखी गयी है उसमें सरकार के द्वारा और सदन के द्वारा मांग सं0–37 में ग्रामीण कार्य विभाग को चुना गया और ग्रामीण कार्य विभाग पर इस बजट सत्र में चर्चा भी नहीं हो पायी थी क्योंकि ग्रामीण विकास विभाग के मांग के साथ में इसका गुलेटिन हुआ था । इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस अति महत्वपूर्ण विभाग के बारे में आज चर्चा करने का अवसर सदन को विभिन्न सदस्यों के माध्यम से मिला है । ग्रामीण कार्य विभाग अपने पांच संकल्पों के साथ में जो निरंतर कार्य कर रहा है और बिहार के ग्रामीण जनता की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने का कार्य कर रही है । उसके लिए इनके पास सिद्धांत है जिसमें समयबद्धता भी है, गुणवत्ता भी है,

मितव्ययिता भी है, निष्पक्षता भी है और पारदर्शिता भी है । विभिन्न सदस्यों ने इन सभी विषयों पर कुछ न कुछ कहा है । मैं यह बताना चाहता हूँ कि समयबद्धता इन पांच सिद्धांतों के प्रति इस विभाग के मंत्री और पूरा विभाग किस हिसाब से पूरी निष्ठा के साथ कार्य कर रहा है । 2006 के बाद 2019 तक मैं उसके पीछे नहीं जाना चाहूंगा लगभग 90813 कि0मी0 सड़कों का निर्माण किया गया है बिहार में और पी0एम0जी0एस0वाइ0 जैसा माननीय सदस्य बोल रहे थे कि पी0एम0जी0एस0वाइ0 की उपलब्धि काफी अधिक है तो 90813 में पी0एम0जी0एस0वाइ0 से हमलोग 52 हजार कि0मी0 सड़कों का निर्माण किये हैं। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से 10275 कि0मी0 सड़कों का निर्माण हुआ है। जी0टी0एस0एन0वाइ0 से 2332 कि0मी0 सड़कों का निर्माण हुआ है । इन तीनों योजना के अतिरिक्त अन्य बैंकों से लोन लेकर, वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर अन्य मद से भी इस राज्य में 2006 के बाद अब तक 26190 कि0मी0 सड़कों का निर्माण हुआ है । हमारी सरकार और ये विभाग केवल केन्द्र और राज्य की राशि पर निर्भर नहीं रहती है वह विभिन्न बैंकों के माध्यम से भी कर्ज लेकर भी बिहार के ग्रामीण सड़कों को दुरूस्त रखने का कार्य करती है । इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ । अब मैं तो आंकड़ा बता दिया 26 हजार कि0मी0 बनी है । आप देख लीजिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से 52 हजार कि0मी0 सड़क बनी है और लगभग 26 हजार कि0मी0 तो अन्य संसाधनों से पूरा किया गया है । सभापति महोदय, यह हमारे वित्तीय प्रबंधन का ही कमाल है कि कोई भी बैंक चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे ए0डी0बी0 बैंक हो, चाहे ब्रिक्स के बैंक हो बिहार सरकार को कभी कर्ज देने में हिचकती नहीं है । यह बेहतरीन वित्तीय प्रबंधन बिहार की सरकार ने जो दिखाया है पिछले 15 वर्षों में उसका यह परिणाम है । साथ-साथ मैं केवल एक साल का लक्ष्य बताना चाहूंगा और सरकार ने भी अपने वक्तव्य के माध्यम से प्रतिवेदन के माध्यम से इस ओर इंगित करने का काम किया है । महोदय, केवल वित्तीय वर्ष 2019-20 में हम मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से 13 हजार कि0मी0 सड़क बनाने का संकल्प करते हैं । हम संकल्प करते हैं कि जी0टी0एस0एन0वाइ0 से लगभग 2 हजार कि0मी0 सड़क बनाने का, हम पी0एम0जी0एस0वाइ0 का अंतिम चरण चल रहा है फेज-1 का और फेज-1 में सारी जो सड़कें थी कोर नेटवर्क का सारी स्वीकृत हो चुकी है और इस वर्ष 42 हजार 84 कि0मी0 सड़क बनाने का लक्ष्य लेकर हमलोग पी0एम0जी0एस0वाइ0 फेज-1 को भी उसको पूर्ण करने की ओर

अग्रसर है । पिछले वर्ष भी पी0एम0जी0एस0वाइ0 में बिहार सरकार को प्रथम पुरस्कार मिल चुका है पूरे भारत वर्ष में अन्य राज्यों की तुलना में । साथ-साथ सड़क अनुरक्षण के लिए इस वित्तीय वर्ष में हमलोगों ने 1 हजार करोड़ रूपये के लगभग उससे कुछ कम बजट का प्रावधान भी किया है । मैं यह बताना चाहता हूँ कई सदस्य बोलते हैं कि कोर नेटवर्क में कोई ग्राम, बसावट अंकित नहीं है उस गांव में हम सड़क संपर्कता नहीं दे पा रहे हैं उसकी भी बाध्यता को दूर करते हुए- अब कोर नेटवर्क भी कोई बाध्यता नहीं रह गयी है । सरकार ने यह निश्चय किया है कि जितने छूटे हुए बसावट हो चाहे वह 50 से ऊपर की आबादी की हो, चाहे वह हजार से उपर की आबादी की हो, चाहे वह 5 सौ से उपर की आबादी हो जो कोर नेटवर्क में नहीं है उसकी भी आप अनुशंसा भेजिये तो उसको भी मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में लिया जायेगा । अब इससे बेहतर कैसे आप कल्पना कर सकते हैं कि ग्रामीण इलाके का महत्व क्या है और उन इलाकों को एकल संपर्कता कैसे प्रदान की जाय । साथ-साथ मैं बता रहा था कि विभिन्न बैंकों के माध्यम से कैसे काम कर रहे हैं । इस साल अगर हम राज्य योजना से 133 करोड़ खर्च कर रहे हैं तो वर्ल्ड बैंक से हमलोग 300 करोड़ रूपया लेकर खर्च करने का कार्य कर रहे हैं और वही ब्रिक्स बैंकों से 700 करोड़ रूपया केवल मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में लेकर काम करने का प्रयास किया जा रहा है । सरकार कृतसंकल्पित है कि 2020 तक तमाम सड़कों का काम पूरा कर लिया जायेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसी वर्ष पी0एम0जी0एस0वाइ0 फेज-2 भी बिहार के सड़कों में लागू होने जा रहा है । फेज-2 के लिए सारे कार्यक्रम बनाये जा रहे हैं चाहे प्रखंड स्तर की परियोजना हो, चाहे वह जिला स्तर की परियोजना हो । मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ।

क्रमशः

टर्न-23/ज्योति/23-07-2019

क्रमशः

श्री मनोज कुमार : मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आज के पहले, 2018 के पहले, जब हमलोग टूटी हुई सड़कों की मरम्मत के लिए जब बिहार सरकार की नीति थी श्रेणी वन में और श्रेणी टू में, श्रेणी वन में उन सड़कों को रखा गया था, कोई एक माननीय सदस्य बोल रहे थे कि थानों में और ब्लौकों में और विभिन्न महत्वपूर्ण स्थलों पर पहुंचने के लिए सड़कों की मरम्मत नहीं हो पा रही है ।

सभापति(डा0 अशोक कुमार): अब समाप्त करें मनोज कुमार जी ।

श्री मनोज कुमार : उस समय भी जो हमारा सड़क अनुरक्षण नीति थी, उसमें हमलोगों श्रेणी वन और श्रेणी -टू में करने का कार्य किया था । हम धन्यवाद देना चाहेंगे बिहार रोड रुरल मेंटेनेंस पॉलिसी 2018 का, जिसमें हमलोगों ने यह तय किया है कि 5 साल से ऊपर बनी हुई सारी सड़कों का, हमलोग एक साथ में एक वित्तीय वर्ष में और बहुत अधिक हुआ तो 2020 तक सारी सड़कों का मरम्मत पूरा कर लिया जायेगा । साथ साथ में इस लोक कल्याणकारी सरकार की नीति देखिये कि इन सड़कों का जो अनुश्रवण भी है, या अनुरक्षण भी है उसे लोक शिकायत अधिकार अधिरिनयम के तहत लाया गया है । अब बहुत कुछ करने की जरुरत नहीं है, इस लोक शिकयत अधियकार अधिनियम के तहत रेसपौंसिब्लिटी फिक्स अप किया जायेगा इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सरकार को और विभाग को और साथ साथ विपक्ष से आग्रह करना चाहूंगा कि आप अपना कटौती प्रस्ताव वापस लें, बिहार की जनता के हित में यह सप्लीमेंट्री बजट लाया गया है । बहुत बहुत धन्यवाद ।

सभापति (डा0 अशोक कुमार) : श्री प्रहलाद यादव , आपका 5 मिनट का समय है ।

श्री प्रहलाद यादव : नहीं 10 मिनट । सभापति महोदय, आज बड़ा ही महत्वपूर्ण विभाग पर विचार करने के लिए यह सदन शुरु किया है । कटौती का प्रस्ताव जो दिया गया है उसके समर्थन में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । मैं कहां से अब शुरु करुं, यह कहना मुश्किल है चूँकि मेरे विधान सभा क्षेत्र की स्थिति यह है और खास कर लखीसराय की स्थिति यह है कि 80 परसेंट सड़क बिल्कुल गढ्ढे में तब्दील है और जो रोड 3 महीना, चार महीना पहले बना है वह रोड एक तरफ से बना है और दूसरी तरफ से टूट रही है ।(व्यवधान) वह बात नहीं है चूँकि आप सुनिये , आप सुनिये । जो पी.सी.सी. हुआ है उसका गिट्टी उड़ रहा है । अलकतरा जो दिया गया है, वह अलकतरा एक तरफ से उड़ रहा है उस सड़क का नाम हम बतातें हैं अभियंता प्रमुख, मुख्य अभियंता, दक्षिणी (व्यवधान) आप सुनिये, सुन लीजिये, माननीय मंत्री जी, मंत्री जी बैठे बैठे नहीं बोलना है यह भी बात है तो हम आपको बता देते हैं एक है पिपरिया थाना से करारी गांव होते हुए बसौनी गांव बड़ा ही इम्पोटेंट रोड 6 महीना पहले बना है उसको जॉच कर दिखवा लीजिये । उसके बाद एक है बसुआचक से हरवंशपुर-8 कि.मी. का रोड है । एक तरफ से मुश्किल से दो से तीन महीना बने हुए, पूरा का पूरा जा कर जांच करवा लीजिये । एक रोड है आपका एन.एच. 80 रामपुर से लाखोचक

गांव, आप जाकर देखवा लीजिये, क्या स्थिति है । पूरा टूटा हुआ है । तीन से चार महीना आपका हुआ है । ये स्थिति आपके रोड की है । एक रोड है बनूभीचक दियर से डाढीसिर उसको भी जांच करवा कर देख लीजिये कि क्या है, एक रोड है आपको टी.जीरो.वन(T-O-1) श्रीकिशुन से कोरासी जाकर के देखिये, क्या स्थिति है ? हमने इसके बारे में माननीय मंत्री जी सुन लिया जाय । हमने अभियंता प्रमुख से लेकर मुख्य अभियंता दक्षिणी, बराबर शिकायत करते रहे, एस.ई. से शिकायत किए लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है । दूसरी बात है कि जहाँ आपको चाहिए हैण्ड , आपके पास हैण्ड नहीं है । जहाँ लखीसराय जिला में जूनियर इंजीनियर के 7-8 पद हैं, वहाँ आप दो तीन दिए हुए हैं । काम कैसे होगा ? आप ही बताईये । एक हमारे घर के बगल से रोड गया है 4 साल से माननीय मंत्री जी को भी लिखते रहे हैं और विनय बाबू भी बैठे हुए हैं, उनको भी लिखे हैं क्यूल धर्मशाला से वंशीपुर होते हुए भुईका पहाड़, नहीं बना 8 कि.मी. रोड नहीं बना । लोग कहते रहते हैं कि विधायक जी आपका घर है, आपके सामने रोड नहीं बन रहा है । क्या स्थिति है । एक ही रोड नहीं, आपको कई एक रोड का एग्जाम्पुल देना चाहते हैं जिसमें कि हमने बराबर विभाग से सम्पर्क करते रहे लेकिन आजतक वह रोड नहीं बना । कोई सुनवाई भी नहीं हुई । आपको बता रहे हैं कि एन.एच. 80 चंदनपुरा दैता बांध से पहाड़ तक बिल्कुल एकदम गढ्ढा में तब्दील है । उड़ेन गुमटी से होते हुए नवकाडीह होते हुए चम्पानगर बिल्कुल एकदम खत्म है । कजरा से उड़ेन गुमटी बिल्कुल खत्म है । बसौनी से लहसोड़वा जो आदिवासी गांव है, बिल्कुल खत्म रोड है । हाँ, बिल्कुल खत्म नहीं 80 परसेंट खत्म है । अबगिल एन.एच. 80 से मानिकपुर बिल्कुल खत्म है । काजरा से शिवडीह होते हुए लखना गांव बिल्कुल खत्म है । हाँ, एकदम पूरा खत्म है । एक भी रोड आपका जबकि हम लिख कर देते रहे हैं और सबसे आश्चर्य की बात है एक धनाड़ी गांव हैं, माननीय मंत्री जी सुन लीजिये । 4000 आबादी का गांव है वह आज तक सड़क से नहीं जुटा है । सम्पर्क सड़क से नहीं जुटा है । एक पथुआ गांव है, 3 हजार की आबादी है, आज तक सड़क से नहीं जुटा है और एक बरियारपुर आपका कजरा बसौनी पथ निर्माण से बरियारपुर उत्तरी पहाड़ जाता है गांव, आपका सम्पर्क पथ आजतक नहीं बना है, जिसकी जनसंख्या 2000 है और कहते हैं कि पाँच सौ जोड़ रहे हैं, चार सौ जोड़ रहे हैं, तीन सौ जोड़ रहे हैं । हम हमेशा आपको इस बात को बराबर कहते रहे लेकिन आजतक रोड नही बना है ।

लखीसराय का ग्रामीण कार्य विभाग के रोड की स्थिति यह है कि उसको कहने में ही मुझे लज्जा लगती है। मैं आपको क्या बताऊं । आपको लिखकर भी दिए, अभियंता प्रमुख जी को भी लिखकर दिए।(व्यवधान) आप शांत रहिये। सुन लीजिये, काहे के लिए हल्ला करते हैं ।

सभापति(डा0 अशोक कुमार): प्रहलाद बाबू आसन की ओर देखकर बोलें आप । आसन को संबोधित कीजिये ।

श्री प्रहलाद यादव : महोदय, सबसे बड़ी बात है कि मैं आग्रह करुंगा माननीय मंत्री जी से कि आप 2018 का जो नियम बनाए हैं, उस नियम के अनुसार और एक रोड आपको बतला देते हैं, आपको आश्चर्य होगा 1 साल से टेण्डर हो रहा है लाखोचक से लाखोचक रेलवे हॉल्ट तक, एक साल से टेण्डर हो रहा है, पांचवाँ टेण्डर है और आजतक डिसाईड नहीं हुआ है, क्या विभाग की बात करें । किस मुंह से हम विभाग की बात करें । एक साल में पाँच बार टेण्डर हो चुका है लेकिन वह टेण्डर डिसाईड नहीं हुआ है । आप ग्रूप की बात करते हैं जो स्थिति आपकी है, लाल बत्ती है, हम देख रहे हैं और आसन का हमलोग सम्मान करते हैं । आपलोगों का भी सम्मान करते हैं लेकिन हम अपने दुखड़ा को सुना रहे हैं कि यह स्थिति है । इसलिए मैं चाहूंगा कि निश्चित रुप से ग्रामीण विकास विभाग में जो हमारे क्षेत्र की और लखीसराय जिला की जो स्थिति है, विशेष रुप से नहीं तो कम से कम नालन्दा से आधा भी तो देख लीजिये, नालन्दा से आधाा भी देख लीजियेगा तो बहुत अच्छा होगा । थोड़ा कीजिये कुछ तो फायदा होगा। दूसरी बात है कि शौचालय की बात कर रहे थे । आपके सूर्यगढ़ा प्रखंड विकास पदाधिकारी जी, का चल रहा है शौचालय में बहुत अच्छा काम चल रहा है । अच्छा यही काम चल रहा है कि शौचालय में तसीली बहुत तेजी से हो रही है और सी.ओ. साहेब जो हैं, आपके सी.ओ. साहेब उनसे जरा ले लीजियेगा क्लास किसी से मिलते जुलते नही है यह स्थिति है तो क्या होगा काम भाई । सभापति महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं तो इसतरह से हम आपसे आग्रह करते हैं और सचिवालय की बात करते हैं कि हमलोग लिखते हैं तो जैसे होता है भूंजा खाते हैं तो लोग मिर्चा और नमक एक पुड़िया में देते हैं, उसीतरह से जब अनुशंसा करते हैं तो उसका कहीं अता पता नहीं रहता है । कहीं भी नहीं रहता है यह स्थिति है आपके सचिवालय की । कम से कम जवाब तो दे दें कि नियमानुकूल नहीं है या यह नियमानुकूल है इसपर कार्रवाई होगी तो इससे संतोष होगा कि हम लिखें हैं तो पदाधिकारी ने जवाब दे दिया ।

सभापति (डा0 अशोक कुमार): अब समाप्त करिये ।

श्री प्रहलाद यादव : जब जवाब ही नहीं देते हैं तो क्या बात करें इसलिए आपको सभापति जी अपनी ओर से हार्दिक स्वागत करते हुए और माननीय मंत्री जी को भी धन्यवाद देते हैं ।

टर्न-24/23.07.2019/बिपिन

सभापति(डॉ0 अशोक कुमार): ठीक है, समाप्त कीजिए ।

श्री प्रहलाद यादव: अब जवाब तक नहीं देने की जरूरत समझते हैं ...

सभापति(डॉ0 अशोक कुमार): समाप्त कीजिए । धन्यवाद ।

श्री प्रहलाद यादव: आपको सभापति जी, अपनी ओर से हार्दिक स्वागत करते हुए और माननीय मंत्री जी को भी धन्यवाद ।

सभापति(डॉ0 अशोक कुमार): माननीय सदस्य सत्यदेव राम जी ।

श्री सत्यदेव राम : सभापति महोदय, प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी के अनुदान मांग पर बोलने का अवसर मिला है । मैं तो कटौती प्रस्ताव के पक्ष में ही बोलुंगा, यह कहने की बात कहां रह गई है ?

(व्यवधान)

मैं जानता हूं कि उधर से पुकार होगा और मैं जब बोलना शुरू करूंगा, तब तक वह समाप्त होगा ।

महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग के विषय पर मुझे जो कहना है कि एक तो सरकार की जो पॉलिसी थी राज्य कोर नेटवर्क की जिससे परशानी होती थी लेकिन अभी माननीय सदस्य मनोज जी ने कहा कि अब वह पॉलिसी खतम हो गई है तो मैं समझता हूं कि मंत्री जी इसकी घोषणा करेंगे कि राज्य कोर नेटवर्क का अब कोई बाधा नहीं है चूंकि बड़े पैमाने पर अभी भी गांव में सड़कें राज्य कोर नेटवर्क से बाहर थी, है, और हमलोग जब उसकी अनुशंसा करते हैं तो राज्य कोर नेटवर्क का हवाला देकर उसको नहीं किया जाता है महोदय । दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि गांव के जोड़ने का जो पॉलिसी है, सही है लेकिन एक सड़क से एक गांव को तो हम जोड़ देते हैं महोदय लेकिन अगर एक ही स्कॉट लाइन में दो गांव है, तीन गांव है तो वह नहीं जुट पाता है । मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे यहां आन्दर प्रखण्ड के जमालपुर गांव से छजवा बलिया तक चार गांव आते हैं महोदय और मैं लगातार उसको लिखते रहा हूं जबकि वह राज्य कोर नेटवर्क में भी था लेकिन यह कहकर कि नहीं, वह

सिंगल एप्रोच नहीं है और इसलिए वह नहीं हो सका तो मैं समझता हूं कि इसको भी खतम करना चाहिए और उसको जोड़ने का, आज भी वह चारों गांव इतनी परेशानी के दौर से गुजर रहा है महोदय जिसपर बात करना, कहना बड़ा मुश्किल है ।

महोदय, यह कानून का राज्य एवं न्याय के साथ विकास, विकास के साथ सरकार काम कर रही है । बड़ी अच्छी बात है और गरीबों का काम हो रहा है। मैं इतना ही भर कहना चाहता हूं, एक उदाहरण दे देना चाहता हूं कि वर्ष 2013 में एक घटना घटी और मेरे उपर एक एफ.आई.आर. हुआ । मैंने 2016 में जब विधायक बनकर आया, ..

(व्यवधान)

हम 2016 में पहुँचे थे सदन में और 2015 में जीते थे । तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक आवेदन दिया कि इस घटना की जांच करवा दीजिए, सिर्फ जांच करवा दीजिए । मैं अगर दोषी होऊंगा तो जो भी सजा हमको मिलेगी, उसको कबूल करूंगा । सरकार कहती रही, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी दो-तीन बार-चार बार, पांच बार, उन्होंने भी कहा कि हॉ, इसकी जांच होगी लेकिन महोदय, जांच नहीं हुआ । यह कैसा कानून का राज्य है, हम यह जानना चाहते हैं ।

सभापति (डॉ0 अशोक कुमार): ग्रामीण कार्य पर बोलना था न !

श्री सत्यदेव राम : महोदय, सुन लिया जाए महोदय । आज मैं इस बात को कभी सदन में नहीं उठाया था लेकिन आज मैं इसलिए उठा रहा हूं कि पता नहीं आगे मैं इस सदन में रहूँगा कि नहीं रहूँगा, इसलिए माननीय सदस्यों को मैं बता देना चाहता हूं कि कानून के राज्य की बात जो हो रही है, न्याय के साथ जो विकास की बात हो रही है, वह कितना सत्य है, कितना सच है, मैं उसपर बात बताना चाहता हूं ।

महोदय, मैं बताना चाहता हूं, अगर यह गरीब की सरकार है तो हम यह कहना चाहते हैं कि इसी सरकार के द्वारा डी0बन्धोपाध्याय भूमि सुधार आयोग का गठन किया गया था । अगर है गरीब की सरकार तो निश्चित रूप से डी0बन्धोपाध्याय भूमि सुधार आयोग के रिपोर्ट पर आप काम करिए, गरीब का काम होगा । अगर आप गरीब की बात करते हैं तो शिक्षा में मुचकुन दूबे शिक्षा आयोग के रिपोर्ट को लागू कर दीजिए, गरीब का काम होगा लेकिन आप गरीब के असली बुनियादी जो मुद्दे हैं, उसको आप गढ़े में डाल रहे हैं और दिखावटी बात कर रहे हैं । इससे गरीब का कल्याण नहीं होगा महोदय ।

सभापति (डॉ0 अशोक कुमार): समाप्त कीजिए अब ।

श्री सत्यदेव राम: मैं कहना चाहता हूं महोदय, सुन लिया जाए ।

सभापति (डॉ0 अशोक कुमार): समाप्त कीजिए । आपने समय बहुत ले लिया । धन्यवाद ।

श्री सत्यदेव राम: खाद्य सुरक्षा पर आपने बनाया, केंद्र सरकार ने बनाई है । 2011 में सामाजिक आर्थिक शैक्षिक सर्वे हुआ महोदय, एक मिनट, एक मिनट, सर्वे हुआ, लेकिन आधे-से-अधिक गरीब वंचित रह गए महोदय और उनको आज कार्ड नहीं मिला है । उनको दो रूपया किलो का गेहूं और तीन रूपया किलो का चावल एक प्रहसन बनकर रह गया है.....

सभापति (डॉ0 अशोक कुमार): अब समाप्त कीजिए । माननीय सदस्य सुबोध राय ।

श्री सुबोध राय : सभापति महोदय, आज ग्रामीण कार्य विभाग के अनुदान मांग के समर्थन में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और यह आज बिहार का यथार्थ है कि कोई भी गांव चाहे जिला मुख्यालय से जाना हो, प्रखंड मुख्यालय से जाना हो, आप 24 घंटे में जब भी चाहें, बेरोक-टोक और निर्भिक होकर जा सकते हैं । यह आज स्थिति है । हमको वो कहानी भी याद है जबकि हम अंधकार में थे और अंधकार के समय में बड़ी-बड़ी घटनाएं हुईं । नरसंहारों का सिलसिला चलता रहा । पुलिस तो छोड़ दीजिए, अपने सगे-संबंधी भी वहां जाने की हिम्मत दिन में भी नहीं कर पाते थे । इसलिए कि कोई सड़कें नहीं थी । जाने का मार्ग नहीं था और आज चारों तरफ जिस तरह से कनेक्टिविटी हुई है वह कनेक्टिविटी बिहार के विकास की कहानी खुद कह रही है । यह सब के जुवानों पर है । चाहे कोई विरोध करे, विरोध करने के लिए विरोध कर सकते हैं लेकिन जब प्रश्नकाल होता है तो प्रश्नकाल के दरम्यान सबके चेहरे आइने में साफ दिखाई पड़ते हैं कि आखिर वह कौन-सा चीज चाहते हैं । आज पुलों का भरमार है, सड़कों का भरमार है, चाहे मुख्यमंत्री संपर्क योजना हो, चाहे गांव की कनेक्टिविटी बसावट के आधार पर हो, पी.एम.जी.एस.वाई. योजना हो, ये सारी योजनाएं जो आज लागू हो रही हैं । उससे साफ जाहिर है कि गाँवों का उत्थान हुआ है, गाँवों का विकास हुआ है, और ग्रामोदय का जो सपना था हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का, यह उसकी दिशा में बड़ी तेजी से हम बढ़े हैं । यह आज बिहार की, ये गांवों की जनता के जुवानों से आप सुन लीजिए और इसलिए गाँवों की जनता का आशिर्वाद पाने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री और भाग्यशाली हैं हमारे ग्रामीण कार्य मंत्री, जिन्होंने इतना काम करके आज ग्रामीण जनता से आप जान सकते हैं । आज फिर से मैं कहना चाहता हूं कि आज जबकि चुनाव का समय आता है तो चुनाव के समय में सबसे ज्यादा ग्रामीण जनता आज बूथों पर निकलकर वोट देकर, अपना आशिर्वाद देकर हमको यहां भेजने का काम करती है, इसलिए हम उस महान जनता के प्रति कृतज्ञ हैं, उनके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं.... क्रमश: ....

टर्न : 25/कृष्ण/23.07.2019

श्री सुबोध राय (क्रमशः) : इसलिए आज ग्रामीण कार्य विभाग की हम सराहना करते हैं । लेकिन हमारे मित्रों ने कुछ कमियों की ओर ईशारा किया है । कमियों को समझना हमारी ही जिम्मेदारी है और उन कमियों को दूर करने के लिये भी हमने कभी जिम्मेदारी से परहेज नहीं किया है, गुरेज नहीं किया है । जहां जरूरत पड़ी है, जहां स्पेसिफिक चार्ज आये हैं वैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गयी है । कौन नहीं जानता है कि बड़ा-बड़ा इंजीनियर आज कहां पहुंच गया है । जिसने आय से अधिक संपत्ति को जमा करने का काम किया था, आज यह स्पष्ट हो रहा है ।

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

और इसीलिये मैं अपने मित्रों से यह कहना चाहता हूं कि आप कम से कम इतना जरूर समझ लीजिये -

रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिये ही सही,
रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिये ही सही,
हाथ जोड़ते हैं ठहर,
रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिये ही सही,
हमारी सरकार की पूरी बात सुनकर जाने के लिये ठहर ।

इन्हीं शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, ग्रामीण कार्य विभाग की मांग पर वाद-विवाद समाप्त हुआ । अब सरकार का उत्तर होगा । माननीय मंत्री,ग्रामीण कार्य विभाग ।

<u>सरकार का उत्तर</u>

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2019-20 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी के वाद-विवाद में माननीय सदस्य श्री रामदेव राय जी, माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव जी, माननीय सदस्य श्री प्रभुनाथ प्रसाद, माननीय सदस्य श्री संजीव चौरसिया जी, माननीय सदस्य श्री लाल बाबू राय जी, माननीय सदस्य श्री हेम नारायण साह जी, माननीय सदस्य श्री जिवेश कुमार जी, माननीय सदस्य श्री कुमार कृष्ण मोहन जी, माननीय सदस्या सुश्री पुनम कुमारी उर्फ पुनम पासवान जी, माननीय सदस्य श्री ऋषिदेव जी, माननीय सदस्य श्री सत्यदेव प्रसाद जी, माननीय सदस्य श्री सिद्धार्थ जी, माननीय सदस्य श्री मनोज कुमार जी, माननीय सदस्य श्री

प्रह्लाद यादव जी एवं माननीय सदस्य श्री सुबोध राय जी जो इस वाद-विवाद में भाग लिये और माननीय सदस्यों के द्वारा जो सुझाव दिये गये, निश्चित रूप से हम सारे सुझावों को हम ग्रहण करते हैं और महोदय, मेरा यह प्रयास रहेगा कि और जो भी इसमें सुधार लाने की आवश्कयता होगी, निश्चित रूप से हम सुधार लायेंगे और महोदय, आपका हम आभार प्रकट करते हैं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया ।

महोदय, अच्छी सड़कें राज्य के विकास की निशानी होती है । आज सड़कों की वजह से ही विकास तेजी से हो रहा है, गांव के शहर से जोड़ता है और शहर को गांव से जोड़ता है और यही महोदय एक बिहार है, एक समय था कि लोगों को आने-जाने में कितनी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता था, अगर लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते थे तो 12 से 14 घंटे लगते थे । महोदय, हम मुंगेर जिला के रहनेवाले हैं । अगर हमको मुंगेर से पूर्णियां जाना पड़ता था तो 12 से 14 घंटे लगते थे, खगड़िया जाना पड़ता थातो 8 घंटे लगते थे, बेगूसराय जाना पड़ता था तो 7 से 8 घंटे लगते थे । लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी की यह देन है कि 10 से 12 घंटे का समय, 7 से 8 घंटे का समय अब मात्र हमलोग 2 से 3 घंटे में पूरा कर रहे हैं । सड़को का जाल बिछा महोदय, पुल-पुलिया बना और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी चिन्तित हैं कि बच्चे स्कूल जा सकें, बच्चे शहर की ओर जा सकें, किसान जो अनाज ऊपजाते हैं जिसे वे कल गांव में ही बेचते थे और जिसके कारण किसानों का फसल कम कीमत में बिकता था, हमलोग भी किसान हैं महोदय । हमलोग देखे हुये हैं । मार्केट से 400-500 रूपये क्वींटल कम में हमलोगों को देना पड़ता था और आज यही कारण है महोदय कि किसानों को फसल का उचित मूल्य भी मिल रहा है और जो लोग गांव में दूध बेचते थे, अब वे शहर में आकर बेचने लगे । महोदय, हमको बताने में इस बात की खुशी हो रही है कि यह ग्रामीण कार्य विभाग आदरणीय मुख्यमंत्री के दिशा-निर्देश पर यह विभाग चल रहा है । महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना को विकसित करते हुये हमलोग बारहमासी सड़कों का निर्माण कराते हैं । इसमें जो पड़नेवाले हैं पुल-पुलिया उन सारे पुल-पुलिया को बनाते हैं । जर्जर सड़कों को बनवाते हैं, उसका सुदृढ़ीकरण करते हैं । नये सड़कों को हम बनाते हैं और हमलोगों का महोदय जो प्रयास रहता है कि गांव समृद्ध हो, गांव विकसित हो और माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की यही

इच्छा है कि जो छूटे हुये टोले हैं, जो छूटे हुये बसावट हैं, सारे टोले और बसावट को संपर्कता देना है, यह ग्रामीण कार्य विभाग का लक्ष्य है महोदय ।

महोदय, आपके माध्यम से हम सदन को बताना चाहते हैं कि बिहार में पथों की कुल लंबाई 1,44,425 किलोमीटर है, NH, SH, नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद यह 20,068 किलोमीटर है महोदय । अगर 1,44,425 में 20,068 किलोमीटर को निकाल देते हैं तो इसको घटा देते हैं ग्रामीण कार्य विभाग के पास 1,00,357 किलोमीटर है मतलब बिहार में कुल पथ का 86 प्रतिशत ग्रामीण कार्य विभाग के पास और शेष 14 प्रतिशत NH, SH, नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद के पास है ।

महोदय, अभी माननीय सदस्य चर्चा कर रहे थे । हमको बताने में इस बात की खुशी हो रही है कि ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा कराये गये रोड निर्माण का लक्ष्य, विपक्ष के माननीय सदस्य अभी बता रहे थे, ललित बाबू बता रहे थे कि रोड बना ही नहीं । चर्चा यही लोग कर रहे थे कि रोड बनता ही नहीं है और बाद में फिर डिमांड करते हैं कि यह रोड बनवा दिया जाय । महोदय, हमको बताने में खुशी हो रही है कि 90,484 किलोमीटर अभी तक हमलोग माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमलोग बनाने का काम किये हैं। इसमें प्रगति पर पथों की लंबाई है 16,913 किलोमीटर और शेष जो हमको बनाना है यह है 16,959 किलोमीटर । महोदय, इसका निर्माण हमलोग नाबार्ड से करते है । एम.एम.जी.एस.वाई. से करते हैं, जी.टी.एस.वाई. से करते हैं ।

महोदय, अब हम बसावट की चर्चा करते हैं । बिहार में कुल बसावटों की संख्या 1,25,687 है, जिसमें हमलोग अभी तक 1,00,430 बसावटों को संपर्कता दिये हैं । महोदय, अभी भी अनजुड़े बसावट हैं जिनकी चर्चा माननीय सदस्य कर रहे हैं 25,257 है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि इन सभी को भी जल्द से जल्द हमलोग ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा संपर्कता दे दें ।

महोदय, 13 वर्षों राज्य की अपनी योजनाओं में लगभग 17468.2 करोड़ रूपया व्यय करते हुये ग्रामीण कार्य विभाग ने 48,798 कि0मी0 पथ बनाया है और इसमें 430 पुलों का निर्माण करवाये हैं । इसके अतिरिक्त विगत 13 वर्षों में प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 24156.26 करोड़ रूपये व्यय करते हुये 52,015 किलोमीटर सड़क बनाये हैं, जिसमें 352 पुलों का निर्माण कराये हैं । इस प्रकार राज्य में पिछले 13 वर्षों में 90,813 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण हुआ है महोदय । इसके साथ ही 4946.38 लाख खर्च करते हुये 4,152

पुल-पुलिया का हमलोग निर्माण कराये हैं तथा 18,311 किलोमीटर पथ का हमलोग मरम्मत करवाये हैं और इसके साथ-साथ 40,857 किलोमीटर में रूटीन अनुरक्षण करवाने का कार्य किये गये हैं । महोदय, वर्तमान में 16,710 किलोमीटर पथ का निर्माण अभी हो रहा है ।

महोदय, हमको यह बताने में खुशी हो रही है कि इतने बड़ा जो सड़कों का जाल बिछ रहा है हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी इसके लिये नाबार्ड से, वर्ल्ड बैंक से, ब्रीक्स बैंक से ऋण तो लेते ही हैं, इसके साथ-साथ महोदय अपने संसाधन से सड़कों का निर्माण कार्य करा रहे हैं ।

महोदय, माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव जी बोल रहे थे, जो आलोचना कर रहे थे, विपक्ष में है तो बोल ही सकते हैं लेकिन हम एक जानकारी देना चाहते हैं कि 2000 से 2005, अब किनका शासनकाल था, इसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा लेकिन 723 कि लोमीटर रोड ये लोग बनाये थे और अभी हमलोग 90,000 किलोमीटर से ऊपर रोड बनाये हैं ।

क्रमश :

टर्न-26/अंजनी/दि023.07.2019

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : क्रमश:.... महोदय, एक चर्चा बार-बार चलता है कि माननीय सदस्य जो हमको लिखकर देते हैं, मेरा माननीय सदस्य से और सभी लोगों से आग्रह है कि लिखकर देते हैं, आप एक ही बात लिखिए, यह सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी चिंतित हैं कि बिहार के अन्दर सभी गांवों में जितने भी टोले और बसावट है, सभी को सम्पर्कता दिया जाय । सम्पर्कता देने के लिए जो पत्र आता है मेरे पास, वह फलनां जगह से चिलनां जगह लिख देते हैं । आप एक चीज लिखिए कि अमुक टोला वर्त्तमान में सम्पर्कविहीन है, इसकी सम्पर्कता दिया जाय और बार-बार यही समझाते रहते हैं लेकिन माननीय सदस्य कहते हैं कि हमने पत्र दिया लेकिन कार्रवाई नहीं हुई । डबल कनेक्टिविटी अभी हमलोग नहीं दे पायेंगे, कुछ लाचारी है चूंकि हमलोग पूरे बिहार को जबतक एकल सम्पर्कता प्रदान नहीं कर देते हैं, तबतक दूसरा अभी देने में दिक्कत है, इसलिए आग्रह है कि आपलोग जो भी लिखकर दीजिए, वह अमुक टोले और बसावट वर्त्तमान में सम्पर्कविहीन हैं । महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग में तीन महत्वपूर्ण योजनायें के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों का हमलोग निर्माण कराते हैं । महोदय, यह राज्य का महत्वपूर्ण जो मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना है, यह महत्वपूर्ण योजना

है, यह वर्ष 2013-14 में हमलोग इसको लागू किये, इसमें 250 से 499 वाले बसावटों को बारहमासी सड़कों से हमको जोड़ना है, इसके बाद आबादी बढ़ती जा रही है, टोले और बसावट बढते जा रहे हैं, जोड़ना सभी को है लेकिन महोदय, हम यह बताना चाहते हैं कि 2018-19 में 3415 करोड़ 41 लाख रूपये का बजट उपबंध था । इस योजना के अंतर्गत जून, 2019 तक 14577 करोड़ 94 लाख रूपये के 18,683 किलोमीटर में हमलोगों ने बनाया है, पथों का प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किये हैं । कुल उपलब्ध राशि 8569 करोड़ 12 लाख रूपया में से 7038 करोड़ 16 लाख रूपये व्यय करते हुए 12,017 किलोमीटर सबबेस और 9,788 किलोमीटर बेस कार्य, 10,275 किलोमीटर पथ का कालीकरण कार्य पूर्ण किया जा चुका है । राज्य कोर नेटवर्क की समाप्ति के पश्चात चरणवद्ध तरीके से पूरक राज्य कोर नेटवर्क अर्हता वाले असंपर्कित बसावटों को सम्पर्कता प्रदान किया जायेगा । इस क्रम में कुल 108 कार्यरत कार्य प्रमंडलों में से 33 कार्य प्रमंडलों के अधीन पूरक राज्य कोर नेटवर्क के असम्पर्कित पथों की स्वीकृति का कार्यक्रम प्रगति पर है । मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना के निर्माण के लिए वित्त पोषक की आवश्यकताओं को देखते हुए बिहार सरकार, ग्रामीण कार्य विभाग बाह्यअधीन सम्पोषण से पथों के निर्माण हेतु निम्न ऋण योजनाओं पथों का चयनबद्ध तरीके से सम्पर्कता कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है । मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत विश्व बैंक से ऋण अंतर्गत चरणवद्ध तरीके से 2500 किलोमीटर लम्बाई में पथों का निर्माण कार्यक्रम प्रगति पर है । इस क्रम में 1628 किलोमीटर लम्बाई में 534 योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गयी है, इसमें से 798 किलोमीटर में पथों का निर्माण किया जा चुका है । महोदय, इसके अतिरिक्त 25 पुलों के निर्माण के साथ-साथ 5 मानक पथों का निर्माण कराया जाना है । मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजनान्तर्गत ब्रीक्स समूहों के देशों से एन0डी0वी0 द्वारा ऋण उपलब्ध ग्रामीण पथों के निर्माण हेतु प्राप्त ऋण सहायतार्थ सम्पर्कता कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है । एन0डी0वी0 की राशि से राज्य में 4432 किलोमीटर ग्रामीण पथों को चरणब द्ध तरीके से तीन श्रृंखला में वित्त सम्पोषण प्रणाली अंतर्गत 1367 किलोामीटर लम्बाई में पथों की स्वीकृति दी जा चुकी है । महोदय, इसके तहत 38 जिले में 26 जिले चयन किये गये हैं, जिसमें अररिया, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, आरा, बक्सर, छपरा, दरभंगा, पूर्वी चम्पारण, गोपालगंज, कटिहार, खगड़िया, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नालन्दा, पटना, पूर्णियां, सहरसा, समस्तीपुर,

शेखपुरा, शिवहर, सिवान, सुपौल एवं वैशाली का चयन किया गया है । महोदय, दूसरी योजना के द्वारा जो सड़क बनाते है, वह ग्रामीण टोला सम्पर्क निश्चय योजना है । मुझे यह बताने में खुशी हो रही है कि यह 2016-17 का है । आदरणीय मुख्यमंत्री जी के दिशा-निर्देश पर जैसे जो बड़े-बड़े गांव हैं और बड़े-बड़े गांव में जो छोटे-छोटे टोले हैं, चूंकि बड़े गांव को चारों तरफ से सम्पर्कता पुराने लोग ले लिये थे लेकिन अभी एक सदस्य चर्चा कर रहे थे और हम बताना चाहते हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी उसी के लिए चिंतित थे कि बड़े गांव के बगल में छोटे-छोटे बस्ती हैं, दलित, महादलित, पिछड़े, अतिपिछड़े, आदिवासी के जैसे टोले है

(व्यवधान)

बात तो सुन लिजिए, तो जो छोटे-छोटे टोले हैं, उन टोलों को सम्पर्कता कैसे दिया जाय, इसके लिए हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री जी चिंतित हैं और उसके लिए मुख्यमंत्री जी के दिशा-निर्देश पर हमलोगों ने सेटेलाइट से मैपिंग कराया महोदय। सेटेलाइट से जो मैपिंग हमलोग करवाये तो लगभग 13 हजार टोले चिंहित हुए, जिससे 100 से 249 टोले तो हमलोग जी0टी0एस0एन0वाई0 में लिये और हमलोगों का लक्ष्य है कि हमलोग जल्दी-से-जल्दी उसका निर्माण करा दें लेकिन एक चीज है कि इसमें जो पड़नेवाले, अभी माननीय सदस्य उसकी चर्चा कर रहे थे कि इसमें जो छोटे-छोटे टोले हैं, उस टोले में सम्पर्कता देने के लिए कुछ निजी जमीन भी आ रहा है, उसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा राशि छोड़ दिया गया है लेकिन मान लिजिए कि कुछ सदस्य इस बात को बता रहे थे तो इसको हमलोग देखवा लेंगे । महोदय, वित्तीय वर्ष 2018-19 में 535 करोड़ 35 लाख रूपये का बजट प्राप्त हुआ था, इस मद में जी0टी0एस0एन0वाई0 में, इस योजना के तहत सर्वेक्षण के 4,643 सम्पर्कविहीन टोलों को पांच वर्षों में सम्पर्कता प्रदान किया जाना है, इसके तहत 3,977 किलोमीटर सड़क का निर्माण कराया जायेगा । वर्ष 2019-20 में 2,656 टोलों को 1913 किलोमीटर सड़क बनाकर सम्पर्कता प्रदान करने का लक्ष्य है । इस योजना के अंतर्गत अबतक 3034 करोड़ 26 लाख रूपये की 3652.42 किलोमीटर लम्बाई पथों की प्रशासनिक स्वीकृति दी जा चुकी है । कुल उपलब्ध राशि 1365 करोड़ 27 लाख रूपये में से 1351 करोड़ 55 लाख रूपये व्यय करते हुए 2,332 किलोमीटर तथा 27 मीटर लम्बाई की सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है । इस योजना के अंतर्गत निर्माण

में 2200 करोड़ राशि की अनुमानित लागत आयेगी, जिसमें से भूमि अधिग्रहण में, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, 305.55 करोड़ चूंकि राशि का अनुमानित व्यय होगा । महोदय, अब हम प्रधानमंत्री सड़क योजना की चर्चा कर रहे हैं, इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों से सामान्य 27 जिले में 500 तक एवं 11 एकीकृत कार्य योजना के जिले में 250 तक से अधिक इन जिलों के वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित चिंहित 47 प्रखंडों में जिसकी आबादी 100 से 249 की आबादी वाले अनजुड़े पात्र बसावटों को बारहमासी सड़कों के माध्यम से चरणबद्ध रूप से एकल सम्पर्कता प्रदान करना है । महोदय, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत राज्य एजेंसी ब्रॉडा को वित्त वर्ष 2000-2001 से अभी तक ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 14,905 पथों, जिसकी लम्बाई 39842.83 किलोमीटर है, जिसकी राशि 21 हजार 68 करोड़ 46 लाख तथा 1100 पुल, जिसकी राशि 30 हजार 13.65 करोड़ स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसमें से 18733 करोड़ 23 लाख रूपये व्यय करते हुए 13,107 पथों जिसकी लम्बाई 36524 किलोमीटर 20 मीटर है तथा 352 पुलों का कार्य पूर्ण किया गया है । 295 पथों एवं 49 पथों का कार्य विभिन्न कारणों से बाधित है तथा शेष पथ पुल निर्माण के विभिन्न चरणों में है । महोदय, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत पांच केन्द्र एजेंसी द्वारा कुल 2,829 पथों जिसकी लम्बाई 15,834 किलोमीटर 266 मीटर है, राशि 6843 करोड़ 48 लाख का कार्य आवंटित किया गया है ।

...क्रमशः .....

टर्न-27/राजेश/23.7.19

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : क्रमशः ... जिसमें 5843 करोड़, 23 लाख, व्यय करते हुए 2754 पथों, जिसकी कुल लंबाई 15491 किलोमीटर, 39 मीटर का कार्य पूर्ण करा लिया गया है । महोदय, बराबर इस सदन में चर्चा इस बात की चलती रहती थी कि जो पॉच केन्द्रीय एजेंसी हैं, वे बहुत सारे रोड को उस समय छोड़कर चले गये थे, बार-बार सदस्य इसकी चर्चा करते रहते हैं, इन सारी बातों का आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, जब हमलोगों ने आग्रह किया, तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं कि उनके द्वारा जो हमलोगों को दिशा निदेश हुआ कि जितने केन्द्रीय एजेंसी द्वारा छोड़े गये 90 अधूरे पथों का काम, जिसकी लंबाई 493 किलोमीटर है, जिसको राज्य सरकार के द्वारा पूर्ण किये जाने का

निर्णय ले लिया गया है, जो राज्यकोष के अपने मद से इसे पूरा करेगा, इस प्रकार अब तक लिये गये कुल 55677 किलोमीटर, 96 मीटर में से 52015 किलोमीटर, 45 मीटर लंबाई के ग्रामीण पथों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है।

महोदय, मुझे बताने में खुशी हो रही है और आपके माध्यम से सदन को जानकारी देना चाहते हैं कि बिहार की कार्यकारी एजेंसी बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण, ब्राडा को ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा वर्ष 16-17 एवं 17-18 में अधिकतम बसावटों को संपर्कता प्रदान करने हेतु प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया, साथ ही अधिकतम लंबाई में सड़कों का कार्य पूर्ण करने हेतु वर्ष 16-17 में प्रथम पुरस्कार एवं वर्ष 17-18 में द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया । विगत वर्षों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में उत्कृष्ठ प्रदर्शन के आधार पर राज्य को इनसेन्टिव राशि के रुप में 154 करोड, 20 लाख, प्राप्त हुए । महोदय, इस देश में जितने भी राज्य हैं, उसमें सबसे ज्यादा बिहार वर्ष 16-17 एवं 17-18 में हमलोगों ने पथ बनाया और सबसे ज्यादा हमलोगों ने बसावटों को संपर्कता दिया, इसके लिए हमलोगों को पुरस्कृत भी किया गया ।

महोदय, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-1 के तहत पात्रता रखने वाले सभी पथों की स्वीकृति ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त हो चुकी है तथा फेज-2 का कार्य आरंभ करने हेतु विभाग द्वारा वर्ष 2011 के जनगणना के आधार पर तैयार किया गया है, जिसपर संबंधित जिला के जिलापरिषद् से स्वीकृति प्राप्त कर पात्र पथों का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है । ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 2465 किलोमीटर के पथों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, शीघ्र ही इन परियोजनाओं पर भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त किये जाने की आशा है । महोदय, ग्रामीण सड़कें एवं पुल के रख-रखाव एवं मरम्मति के अन्तर्गत जो कार्य हमलोग कर रहे हैं, इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण सड़कों, पुलों का रख-रखाव एवं मरम्मत किया जाता है, सब सड़कों एवं पुलों के निर्माण के बाद उनके उचित रख-रखाव एवं उसके मरम्मत से ग्रामीण क्षेत्रों को लंबी अवधि के लिए संपर्कता प्रदान किया जा रहा है महोदय, इसके वित्तीय वर्ष 2019-20 में 900 करोड़ रुपये का बजटीय उपबंध है, इसके अतिरिक्त प्रथम अनुरक्षण में अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया जा रहा है । महोदय, इस योजनान्तर्गत जून, 2019 तक कुल उपलब्ध राशि 7309 करोड़, 50 लाख, रुपये में से 4996 करोड़, 99 लाख, रुपये की लागत से 4152 पुल,

पुलियों तथा 18 हजार 311 किलोमीटर मरम्मत एवं 40857 किलोमीटर रुटिन अनुरक्षण कार्य किया जा चुका है । महोदय, अभी तक ग्रामीण पथों के अनुरक्षण की नीति सार्वभौमिक नहीं थी, पथों को श्रेणी-1 एवं श्रेणी-2 में विभाजित कर सीमित संख्या में नवीकरण एवं अनुरक्षण के लिए लिया जाता था, पहली बार अभूतपूर्व कदम उठाते हुए राज्य सरकार द्वारा निर्माण एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण के पश्चात् पथों की अनिवार्य अनुरक्षण हेतु बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति, 2018 लागू की गयी है, इस नीति के अन्तर्गत प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित ग्रामीण पथों के आपातकालीन मरम्मती एवं निर्माण कार्य भी करायी जायगी, इसके साथ ही अनुरक्षण के साथ-साथ पथों के किनारे वृक्षारोपण एवं सेफ्टी मानको को भी सम्मिलित किया गया है । महोदय, यह अनुरक्षण नीति, 2018 के अन्तर्गत वित्त वर्ष में विभाग द्वारा निर्मित पथों में से 17 हजार किलोमीटर में प्रारंभिक सुधार कार्य एवं नवीकरण कार्य का लक्ष्य है.....(व्यवधान)

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण ने सदन से बर्हिगमन किया)

जिसमें अब तक 1110 हजार किलोमीटर की प्रशासनिक स्वीकृति भी दी जा चुकी है, इसमें से 7000 किलोमीटर पथों की निविदा भी आमंत्रित की गई है तथा 3000 किलोमीटर की निविदा आमंत्रण प्रक्रिया में से शेष 7000 हजार किलोमीटर की स्वीकृति प्रक्रिया में है । महोदय, मुझे यह जानकारी देने में खुशी हो रही है कि नई अनुरक्षण नीति, 2018 जो पहले से पथ की मरम्मति होती थी, उसमें ज्यादा थिकनेस और वह ज्यादा टिकाऊ होगा.....(व्यवधान)
महोदय, बाढ़ क्षतिग्रस्त ग्रामीण सड़कों एवं पुलों की मरम्मति एवं पुर्नस्थापन अन्तर्गत जो किये गये हैं और जो आगे करना है, वर्ष 2017 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त मरम्मती शीर्ष-2245 अन्तर्गत अब तक 3093.09 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है, जिसमें से वर्ष 2018-19 में बाढ़ क्षतिग्रस्त पथों का पुर्नस्थापन के लिए 161.62 करोड़ रुपये का व्यय किया जा चुका है, शेष पुर्नस्थापन कार्यों को पूर्ण करने के लिए कार्रवाई की जा रही है । वर्तमान वर्ष में बाढ़ से 22 जिले प्रभावित हुए हैं, जिसमें अब तक कुल 1816 पथों एवं 32 पुलों की क्षति हुई है। क्षतिग्रस्त पुलों में से जलस्तर नीचे जाते ही यातायात पुनः बहाल करने का विभाग से आदेश निर्गत किया जा चुका है, इसके अनुपालन में कार्य प्रमंडलों द्वारा टेम्पररि कार्य कराया जा रहा है । महोदय, कुछ उपलब्धि भी हैं लेकिन

उपलब्धि तो ग्रामीण कार्य अनुरक्षण नीति सार्वभौम नहीं थी लेकिन अब पथों को श्रेणी–1 एवं श्रेणी–2 में विभाजित कर सीमित संसाधन में नवीकरण एवं अनुरक्षण के लिए लिया जाता था लेकिन पहली बार अभूतपूर्व कदम उठाते हुए राज्य सरकार द्वारा निर्माण एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण के पश्चात् पथों की अनिवार्यता अनुरक्षण हेतु बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति, 2018 लागू कर दी गयी है, महोदय, इसके साथ–साथ पथों के किनारे वृक्षारोपण एवं सेफ्टी मानको को भी सम्मिलित किया गया है ।

महोदय, राज्य योजनाओं के लिए गुणवत्ता प्रबंधन कोषांग का गठन किया गया है एवं इसके अन्तर्गत गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए 17 पी0टी0एम0 एवं 54 इंडिपेंडेंट इंजीनियरों की नियुक्ति भी की गयी है एवं विभाग में 166 कनीय अभियंताओं को प्रतिनियुक्त किया गया है, लगातार समय–समय पर अभियंताओं को तकनीकि प्रशिक्षण दिया जा रहा है, सभी क्षेत्रीय कार्यालयों एवं मुख्यालयों को आधुनिकीकरण की प्रक्रिया शुरु की गयी है । कार्य प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंताओं को कन्फ्रेंस का आक्कलन कर उनकी रैंकिंग की जा रही है । अतः ग्रामीण सड़कों की संपर्कता में सुधार करने, ग्रामीण क्षेत्रों के उद्योगोन्मुखी विकास करने, कृषि उत्पादकों को बाजार उपलब्ध कराने एवं इनका उचित संपकर्ता हेतु वृहत पैमाने पर ग्रामीण पथों का उन्नयन, निर्माण, सुदृढ़ीकरण विभाग द्वारा उपरोक्त योजनाओं का लक्ष्य निर्धारित कर विभाग द्वारा ससमय लागू किया जा रहा है । महोदय, एक बात बताने में मुझे खुशी हो रही है कि हमारे नेता लगातार चिंतित रहते हैं संपर्कता देने के लिए, बढ़ते हुए बिहार को और बढ़ाने के लिए, प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए महोदय एवं विकास की ऊचाईयों तक पहुंचाने के लिए हमारे आदरणीय नेता की एक ही इच्छा रहती है कि समाज में रहने वाले अंतिम व्यक्ति एवं बिहार के अंतिम गॉव तक विकास की किरण पहुंचे, इसके लिए हमारे नेता चिंतित रहते हैं । इसलिए महोदय, माननीय सदस्य श्री रामदेव बाबू से आग्रह है कि वे जो कटौती प्रस्ताव दिये है, उसे वापस ले लें तथा महोदय, वित्तीय वर्ष 2019–20 जिसका समापन 31.03.2020 को होना है, विभाग की योजनाओं की व्यय की पूर्ति हेतु 11,00,00,00,000/–(ग्यारह अरब) रुपये की योजना का सदन के समक्ष प्रस्ताव रखता हूँ तथा माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि इसे वे अनुमति प्रदान करें ।

टर्न-28/सत्येन्द्र/23-7-19

अध्यक्ष: माननीय मंत्री का वक्तव्य समाप्त हुआ । इसके साथ ही ग्रामीण कार्य विभाग की मांग पर वाद विवाद एवं सरकार का उत्तर का कार्यक्रम पूर्ण हुआ । अब क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय जी अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

'' इस शीर्षक की मांग 10/-रू0 से घटायी जाय ।''

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूँ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

'' प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन के मांगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए ग्रामीण कार्य विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्त्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2019 के उपबंध के अतिरिक्त 11,00,00,00,000/-(ग्यारह अरब) रू0 से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय ।

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । मांग स्वीकृत हुई ।

माननीय सदस्यगण, अब शेष अनुपूरक अनुदानों की मांगों का मुखबंध होगा ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि :

'' प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की मांगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्त्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2019 द्वारा स्वीकृत राशि के अतिरिक्त :

मांग संख्या-01 कृषि विभाग के संबंध में 1,19,67,54,000/-(एक अरब उन्नीस करोड सड़सठ लाख चौव्वन हजार)रू0,

मांग संख्या-02 पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के संबंध में 68,70,00,000/-(अड़सठ करोड़ सत्तर लाख)रू0,

मांग संख्या-03 भवन निर्माण विभाग के संबंध में 1,74,29,10,000/-(एक अरब चौहत्तर करोड़ उनतीस लाख दस हजार)रू0,

मांग संख्या-04 मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के संबंध में 1,21,96,87,000/-(एक अरब इक्कीस करोड़ छियानवे लाख सतासी हजार)रू0,
मांग संख्या-06 निर्वाचन विभाग के संबंध में 3,98,27,50,000/-(तीन अरब अनठानवे करोड़ सत्ताईस लाख पच्चास हजार)रू0,
मांग संख्या- 09 सहकारिता विभाग के संबंध में 16,23,18,000/-(सोलह करोड़ तेईस लाख अठारह हजार)रू0,
मांग संख्या-10 ऊर्जा विभाग के संबंध में 16,93,00,00,000/-(सोलह अरब तिरानवे करोड़)रू0,
मांग संख्या- 12, वित्त विभाग के संबंध में 76,84,68,50,000/-(छिहत्तर अरब चौरासी करोड़ अड़सठ लाख पच्चास हजार)रू0,
मांग संख्या- 15 पेंशन के संबंध में 77,20,00,000/-(सत्हत्तर करोड़ बीस लाख)रू0,
मांग संख्या-16 पंचायती राज विभाग के संबंध में 69,14,56,000/-(उनहत्तर करोड़ चौदह लाख छपपन हजार)रू0,
मांग संख्या- 18 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के संबंध में 6,07,19,000/-(छः करोड़ सात लाख उन्नीस हजार)रू0,
मांग संख्या- 19 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग के संबंध में 35,72,000/-(पैतीस लाख बहत्तर हजार)रू0
मांग संख्या- 20 स्वास्थ्य विभाग के संबंध में 91,93,64,000/-(एकानवे करोड़ तिरानवे लाख चौसठ हजार)रू0,
मांग संख्या- 21 शिक्षा विभाग के संबंध में 8,49,34,00,000/-(आठ अरब उनचास करोड़ चौंतीस लाख)रू0,
मांग संख्या- 22 गृह विभाग के संबंध में 1,57,79,34,000/-(एक अरब सनतावन करोड़ उनासी लाख चौंतीस हजार)रू0,
मांग संख्या- 23 उद्योग विभाग के संबंध में 3,00,01,000/-(तीन करोड़ एक हजार)रू0,
मांग संख्या- 24 सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के संबंध में 7,00,000/-(सात लाख)रू0,
मांग संख्या- 25 सूचना प्रावैधिकी विभाग के संबंध में 4,00,00,000/-(चार करोड़)रू0,

मांग संख्या- 26 श्रम संसाधन विभाग के संबंध में 17,54,85,000/-(सतरह करोड़ चौवन लाख पच्चासी हजार)रू0,

मांग संख्या- 27 विधि विभाग के संबंध में 5,00,000/-(पांच लाख) रू0,

मांग संख्या- 30 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के संबंध में 7,50,00,000/-(सात करोड़ पच्चास लाख)रू0,

मांग संख्या- 33 सामान्य प्रशासन विभाग के संबंध में 6,20,00,000/-(छः करोड़ बीस लाख)रू0,

मांग संख्या- 35 योजना एवं विकास विभाग के संबंध में 61,53,78,000/-(इक्सठ करोड़ तिरपन लाख अठहत्तर हजार)रू0,

मांग संख्या- 36 लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के संबंध में 1,000/-(एक हजार)रू0,

मांग संख्या- 38 मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के संबंध में 12,79,60,000/-(बारह करोड़ उनासी लाख साठ हजार)रू0,

मांग संख्या- 39 आपदा प्रबंधन विभाग के संबंध में 2,14,84,000/-(दो करोड़ चौदह लाख चौरासी हजार)रू0,

मांग संख्या- 40 राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संबंध में 50,98,97,000/-(पचास करोड़ अनठानवे लाख सनतानवे हजार)रू0,

मांग संख्या- 43 विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के संबंध में 8,68,60,000/-(आठ करोड़ अड़सठ लाख साठ हजार)रू0,

मांग संख्या- 44 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के संबंध में 45,15,05,000/-(पैंतालीस करोड़ पन्द्रह लाख पांच हजार)रू0,

मांग संख्या- 46 पर्यटन विभाग के संबध में 7,48,89,000/-(सात करोड़ अड़तालीस लाख नवासी हजार)रू0,

मांग संख्या- 48 नगर विकास एवं आवास विभाग के संबंध में 2,30,76,95,000/-(दो अरब तीस करोड़ छिहत्तर लाख पनचानवे हजार)रू0,

मांग संख्या- 50 लघु जल संसाधन विभाग के संबंध में 87,18,00,000/-(सत्तासी करोड़ अठारह लाख)रू0,

मांग संख्या- 51 समाज कल्याण विभाग के संबंध में 11,56,27,88,000/-(ग्यारह अरब छप्पन करोड़ सत्ताईस लाख अठासी हजार)रू0 से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । सभी मांगें स्वीकृत हुईं ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अब विधायी कार्य ।

राजकीय (वित्तीय) विधेयक,

'' बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2019 ''

अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उपमुख्यमंत्री: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

'' बिहार विनियोग(संख्या-3) विधेयक, 2019 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि :

'' बिहार विनियोग(संख्या-3) विधेयक, 2019 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उपमुख्यमंत्री: महोदय, मैं इसे पुर:स्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष: यह पुर:स्थापित हुआ ।

अब विचार का प्रस्ताव । प्रभारी मंत्री ।

विचार का प्रस्ताव

श्री सुशील कुमार मोदी, उपमुख्यमंत्री: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

'' बिहार विनियोग(संख्या-3) विधेयक, 2019 पर विचार हो ।''

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि :

' बिहार विनियोग(संख्या-3) विधेयक, 2019 पर विचार हो ।''

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खंडश: लेता हूँ ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

'' खंड-2 एवं 3 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-2 एवं 3 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

'' अनुसूची इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनुसूची इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

''खंड-1 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड -1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

''नाम इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष: अब स्वीकृति का प्रस्ताव । प्रभारी मंत्री ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उपमुख्यमंत्री: मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

'' बिहार विनियोग(संख्या-3) विधेयक,2019 स्वीकृत हो ।''

टर्न-29/मधुप/23.07.2019

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : अध्यक्ष महोदय, कल ही वित्त मंत्री जी एक वक्तव्य दे रहे थे, इन्होंने माना और यह सच्चाई है कि बिहार में हर वर्ष बाढ़ आती है, प्राकृतिक विपदाएँ होती हैं और प्राकृतिक विपदा के कारण जो राशि हम रिलीफ वर्क में लगाते हैं, वह राशि सरकार अपनी जिम्मेदारी समझकर खर्चा करती है । कल वित्त मंत्री ने यह कहा था कि यदि ये राशि रिलीफ में नहीं खर्च होते तो अन्य कार्यों में हम खर्चा कर सकते थे । स्वाभाविक है कि वह पैसा बचता तो विकास के अन्य कार्यों में वह राशि लगायी जाती । महोदय, मुख्यमंत्री भी, हमलोग भी और हर लोग हमेशा यह माँग करते रहे हैं कि बाढ़ की जो यहाँ समस्या है, प्रति वर्ष आती है और कोई हमारी वजह से नहीं आती है कि हमारे

यहॉ बहुत ज्यादा वर्षा हुई, इसकी वजह से बाढ़ हो गई । हमारे यहॉ कुछ इलाके में सुखाड़ है, कुछ इलाके में बाढ़ है । मगर जो पानी आता है, यह हिमालय से नेपाल के मार्फत आता है या दूसरी नदियों के मार्फत आता है तो एक बहस हमेशा बिहार में यह चलती रही है कि बिहार जो बाढ़ के कारण त्रस्त होता है, तो अन्तर्राष्ट्रीय नदियॉ हैं और नेपाल या दूसरे जगह पानी छोड़ देता है तो हम पानी-पानी हो जाते हैं ।

महोदय, यह बहस हमेशा बिहार में बहुत सारे लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री ने भी और कई स्टेज पर यह मॉग की जाती रही है कि जो बाढ़ की समस्या है, केन्द्र सरकार इसको केन्द्रीय समस्या माने और इसका निराकरण, समस्या के निदान के लिए वह उपाय करेगी । हम अभी तक अपेक्षा कर रहे थे, नेशनल न्यूज पेपर्स में भी, मीडिया में भी, बिहार की जो बाढ़ की स्थिति है, इससे हम समझते थे कि सम्भवतः सुधि ली होगी केन्द्र सरकार ने, हो सकता है कि उनका भी दिल थोड़ा द्रवित हुआ होगा । मगर अमूमन जब इस तरह की बाढ़ आती है तो केन्द्र सरकार अपनी एक टीम भेजती है और टीम भेजकर जायजा लेती है कि कितने का नुकसान हुआ है, क्या हुआ है और फिर केन्द्र सरकार से सहायता देने का वह आश्वासन देते हैं । मगर दुर्भाग्य है कि इस बार के बाढ़ को केन्द्र सरकार ने नेगलेक्ट ही नहीं किया है, बल्कि किसी मंत्री, चाहे बिहार के मंत्री हों, केन्द्र सरकार में मंत्री हों या कोई भी किसी भी तरह का सर्वेक्षण करके बिहार के बिहारी लोग जो दुख में हैं, उससे द्रवित होकर कुछ कहते । वह नहीं कहा ।

यह तो रूटीन वर्क है, हर विभाग का डिमांड पास है, यह है उसपर मंत्री जी को क्या बोलना है, मंत्री जी खाली कह देंगे कि इतना यह है । मगर यह स्पेसिफिक सवाल जो मैंने उठाया, अब कल विनियोग पर उत्तर दे रहे थे हमारे माननीय वित्त मंत्री जी । पता नहीं विनियोग पर फिर इन्होंने राजनीति कैसे कर दी ! इन्होंने पता नहीं किस कारण से कहा कि हमारे नेता ये हैं और 2020 का चुनाव भी हम इनके नेतृत्व में लड़ेंगे, वित्त मंत्री ने अपने वित्तीय कार्य में यह.... (व्यवधान)

अध्यक्ष : आप इधर देखकर बोलिये सिद्दिकी जी ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : महोदय, पता नहीं क्यों डरे हुये हैं, कोई खिचड़ी पक रही है, क्या है, क्या नहीं है !

अध्यक्ष : कारण आप नहीं न हैं !

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : महोदय, अभी हमारी हैसियत उतनी बड़ी नहीं है जिसकी वजह से इनको डर लग रहा है । कारण दूसरे हो सकते हैं मगर हम इतना जरूर चाहेंगे कि जो बिहार की समस्या है, कम से कम आज वित्त मंत्री यही बोल दें, दुहरा दें कि इस सदन ने जो प्रस्ताव पारित किया था विशेष राज्य का दर्जा देने का, उसपर इनका क्या स्टैंड है वित्त मंत्री के नाते । प्रधानमंत्री ने जो यह वादा किया था स्पेशल पैकेज देने का, उसके बारे में वित्त मंत्री जी बता दें तो हम जरूर चाहेंगे कि बाढ़ में किसी भी तरह की राजनीति नहीं हो और इसको राष्ट्रीय आपदा केन्द्र सरकार घोषित करे । आपकी सरकार है, आप दबाव बनाइये और बिहार के लिए, बाढ़ पीड़ित के लिए, विपदा पीड़ित के लिए आप कुछ लाइये, आप वित्त मंत्री हैं, आपकी चलती भी है, हम तो पहले भी कहा है कि अमित शाह जी का ये जगह ले सकते हैं, इनमें पूरा गुण है और इस वजह से मुझको लगता है कि हमारी बात का यह असर होगा और बाढ़ में किसी तरह की राजनीति नहीं, बल्कि पीड़ित जो समाज है, बिहारी है, उसकी सेवा का ये वचन देंगे और केन्द्र सरकार से जरूर ये पैसा लायेंगे । इतना ही कहना है ।

अध्यक्ष : माननीय वित्त मंत्री ।

टर्न-30/आजाद/23.07.2019

श्री सुशील कुमार मोदी,उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, कल सदन ने 2019-20 का विनियोग विधेयक पारित किया था और आज फर्स्ट सप्लीमेंट्री सदन के समक्ष 19 तारीख को पुर:स्थापित हो चुका है और आज विनियोग विधेयक के माध्यम से सदन इसकी अनुमति दे, मैं इसका प्रस्ताव लेकर यहां पर खड़ा हूँ ।

अध्यक्ष महोदय, यह 14,330 करोड़ रू0 का यह फर्स्ट सप्लीमेंट्री है । मैं उसके भीतर विस्तार में नहीं जाऊँगा कि क्या-क्या आईटम है लेकिन मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन के लिए 384 करोड़ रू0, ग्रामीण सड़कों के अनुरक्षण के लिए एक हजार करोड़ रू0 और विश्वविद्यालयों के वेतन के लिए 530 करोड़ रू0 ।

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी परसो गये थे बाढ़ प्रभावित इलाकों के अन्दर और सर्वेक्षण करके आये थे और सिद्दिकी साहेब से भी उनकी मुलाकात हुई थी वहां पर और उसी समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने

महसूस किया कि भीतर के इलाके में जो बाढ़ पीड़ित फंसे हुए हैं, जहां आवागमन की सुविधा, यातायात की सुविधा पूरी तरह से क्षीण-क्षीण हो गई है कि सरकारी अधिकारियों को भी वहां जाना कठिन हो रहा है तो मुख्यमंत्री जी ने निदेश दिया था कि आवश्यकता पड़ेगी तो हेलीकोप्टर से वहां फुड पैकेट डाला जायेगा । मैं सदन को बताना चाहूंगा कि भारतीय सेना, भारतीय सेना बिहार सरकार के अन्तर्गत आती है या भारत सरकार के अन्तर्गत आती है, यह तो आप जानते हैं तो भारतीय सेना का एक हेलीकोप्टर कुशेश्वर स्थान और सीतामढ़ी के चिरौथ इन दोनों स्थानों पर तीन ट्रीप मैं समझता हूँ कि अभी तक लगा चुका होगा और फुड पैकेज जो है, वहां पर भेजने का काम हुआ है । मुझे आपदा प्रबंधन विभाग ने बताया है कि कल दो और हेलीकोप्टर जो है फुड पैकेट को एयर ड्रौप करने का काम करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय, इतनी बड़ी आपदा है, केन्द्र और राज्य दोनों मिलकर आपदा का मुकाबला कर रहे हैं । आज एन0डी0आर0एफ0 की टीम, भारत सरकार की यह टीम है, उसके जवान मोटरवोट लेकर लगे हैं । एस0डी0आर0एफ0 बिहार सरकार का वह लगे हैं, यह जो एयर ड्रौपिंग हो रहा है आर्मी के हेलीकोप्टर के द्वारा, यह बिना केन्द्र के अनुमति के नहीं हो सकता है । अध्यक्ष महोदय, फुड बिहार सरकार का है लेकिन हेलीकोप्टर तो भारत सरकार ने दिया है और एक प्रक्रिया लम्बे समय तक वित्त मंत्री रहे हैं सिद्दिकी साहेब और मुझे पता नहीं, इनके नेता जब 10 साल तक केन्द्र में मंत्री रहे, 5 साल तक मंत्री थे और समर्थन दे रहे थे और 2007 में जब बाढ़ आयी थी, तब बिहार की बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया था कि नहीं किया गया था, मुझको तो लगता है कि नहीं किया गया था । केन्द्र की सरकार में राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का कोई प्रावधान या कोई व्यवस्था नहीं है । केन्द्र मदद करता है और मदद करने की प्रक्रिया क्या होगी, एक मिनट सुन लीजिए । अध्यक्ष महोदय, बिहार सरकार मेमोरेन्डम तैयार करती है और ज्ञापन तैयार करके भेजती है भारत सरकार को । उस ज्ञापन में राज्य सरकार डिमांड करती है कि हमको क्या-क्या सहायता मिलनी चाहिए और उसके आधार पर केन्द्र की टीम आती है और वह टीम बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करके आकलन करती है और फिर गृह मंत्रालय के अन्तर्गत गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक कमिटी बनी हुई है । उसका वह पूरा आकलन करके किस राज्य को कितनी सहायता मिलनी चाहिए, यह एक नौर्म्स निर्धारित है । चाहे कांग्रेस की सरकार हो, बी0जे0पी0

की सरकार हो, राजद की सरकार हो । जो भी सरकार केन्द्र में होती है, यही उसका मानक है, यही उसका तरीका है अध्यक्ष महोदय और उसी के तहत यह सहायता दी जा रही है । (व्यवधान)

इसलिए मैं सदन से आग्रह करूंगा कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी पर सदन जो है, अपनी सहमति प्रदान करे । यह मैं सदन से आग्रह करूंगा, धन्यवाद महोदय ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :-

''बिहार विनियोग (संख्या-03) विधेयक,2019 स्वीकृत हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार विनियोग (संख्या-03) विधेयक,2019 स्वीकृत हुआ ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 23 जुलाई,2019 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या-41 है । अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाय ।

(सभा की सहमति हुई)

श्री सुशील कुमार मोदी,उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट केवल । इनके नेता तो आज तक बाढ़ पीड़ित इलाके में गये नहीं, न इस सदन के नेता गये और न विधान परिषद् के नेता गये और कह रहे हैं कि केन्द्र के नेता नहीं गये ।

अध्यक्ष : अब सभा की बैठक बुधवार, दिनांक 24 जुलाई,2019 को 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।